उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल सिंह **बनाम** बिहार राज्य	71
डबलू सिंह **उर्फ** डम्पी **बनाम** उत्तराखंड राज्य	8
देवराज **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	119
प्रहलाद मोहनलाल साहू **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	52
राकेश सिंघा **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	94
लक्ष्मण **बनाम** उत्तराखंड राज्य	1
शाजहन के. एस. **बनाम** केरल राज्य	19
साजिद **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)	59
हजारीदास **बनाम** बिहार राज्य और अन्य	80
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** प्यारे लाल और अन्य	133

संसद् के अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) — (21)

जनवरी, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और 498-क – आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण – क्रूरता – मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन संवीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि यह न तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण और न ही दहेज की मांग के परिणामस्वरूप अभिकथित क्रूरता का मामला है अतः, साक्ष्यों में तात्विक सुधार और विरोधाभासों के कारण अभियुक्त दोषमुक्त ठहराए जाने के हकदार हैं ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **प्यारे लाल और अन्य** 133

संसद् के अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (1) – (21)

पृष्ठ संख्या 1 – 142 **(2014) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जनवरी, 2014 (पृष्ठ संख्या 1 – 142)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल सिंह **बनाम** बिहार राज्य	71
डबलू सिंह **उर्फ** डम्पी **बनाम** उत्तराखंड राज्य	8
देवराज **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	119
प्रहलाद मोहनलाल साहू **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	52
राकेश सिंघा **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	94
लक्ष्मण **बनाम** उत्तराखंड राज्य	1
शाजहन के. एस. **बनाम** केरल राज्य	19
साजिद **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)	59
हजारीदास **बनाम** बिहार राज्य और अन्य	80
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** प्यारे लाल और अन्य	133

संसद् के अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	(1) — (21)

संपादक-मंडल

श्री पी. के. मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

प्रो. डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ
विश्वविद्यालय,

डा. आर. पी. सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, एम. पी. सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 147, 148, 333, 353 और 120-ख – बल्वा, आपराधिक षड्यंत्र और लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा – जहां बल्वा होने पर अभियुक्तों और लोक सेवकों के कर्तव्य के संबंध में ठीक-ठीक साक्ष्य न होने पर कि दोनों में आक्रामक कौन था तथा साक्षियों के कथनों में विसंगति, अलंकरण और सुधार प्रतीत होता हो और अभिलेख के साक्ष्य से दो मत निकाले जा सकते हों वहां सिद्धांततः संदेह का फायदा अभियुक्त को दिया जाना चाहिए ।

राकेश सिंघा बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 94

– धारा 300 और 404 – हत्या और मृत व्यक्ति की सम्पति का दुर्विनियोग – जहां साक्षियों के विश्वसनीय साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन कथन की पुष्टि होती है कि अभियुक्तों का हेतु मात्र चोरी करना था किंतु चोरी करने की प्रक्रिया में अभियुक्त की हत्या की गई वहां अभियुक्तों की उक्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

डबलू सिंह उर्फ **डम्पी** बनाम **उत्तराखंड राज्य** 8

– धारा 306 और 498-क – आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण – क्रूरता – मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन संवीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि यह न तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण और न ही दहेज की मांग के परिणामस्वरूप अभिकथित क्रूरता का मामला है अतः, साक्ष्यों में तात्विक सुधार और विरोधाभासों के कारण अभियुक्त दोषमुक्त ठहराए जाने के हकदार हैं ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **प्यारे लाल और अन्य** 133

पृष्ठ संख्या

– धारा 320 और 324 – खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा चिकित्सक की राय से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं होता है कि पीड़ित के नाक पर पहुंची क्षति दंड संहिता की धारा 320 के अधीन गंभीर प्रकृति की थी वहां अभियुक्त को घोर उपहति कारित करने के अपराध से नहीं बल्कि खतरनाक आयुध द्वारा उपहति कारित करने के अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित है ।

हजारीदास बनाम **बिहार राज्य और अन्य** 80

– धारा 364 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 313] – अपहरण और व्यपहरण – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित करते समय व्यपहरण या अपहरण से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, अतः विचारण के अनुक्रम के बाद में उभरी ऐसी परिस्थितियां और सामग्री जिन्हें अभियुक्त की सूचना में नहीं लाया गया, से संबंधित अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

अनिल सिंह बनाम **बिहार राज्य** 71

– धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा तीन वर्षीय बालिका को गोदी में उठाकर छत पर ले जाना – उसके तुरंत पश्चात् स्वतंत्र साक्षी को बालिका की रोने की आवाज सुनाई देने पर छत पर जाना – अभियुक्त द्वारा बचकर भाग निकलना – चिकित्सीय परीक्षण करने पर बलात्संग की पुष्टि होना तथा स्वतंत्र साक्षी का अभियुक्त को मिथ्या फंसाए जाने का कोई हेतु सिद्ध न होना – ऐसी परिस्थितियां हैं जो अचूक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हैं, इसलिए

पृष्ठ संख्या

उसकी दोषसिद्धि उचित है ।

साजिद बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)** 59

– धारा 376 और 511 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3] – अप्राप्तवय लड़की के साथ बलात्संग का प्रयत्न – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और साक्षियों के परिसाक्ष्य और चिकित्सीय जांच से साबित होता है कि 5 वर्ष की अप्राप्तवय लड़की के साथ अभियुक्त ने बलात्संग करने का प्रयत्न किया, अतः अभियुक्त को बलात्संग के प्रयत्न के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

लक्ष्मण बनाम **उत्तराखंड राज्य** 1

– धारा 450 और धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – गृह अतिचार और बलात्संग – घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से अधिक थी और अभियोक्त्री मैथुन कार्य की सहमति पक्षकार थी, इसलिए, अभियोक्त्री का साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय न होने के कारण उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

प्रहलाद मोहनलाल साहू बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 52

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 254 [सपठित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 6 और केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ)] – संघ विधि और राज्य विधि में विरोध – संसद् द्वारा पारित उपरोक्त विधि राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित विधि से असंगत

पृष्ठ संख्या

नहीं है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई आदि मद राज्य सूची के अधीन आता है, अतः राज्य विधान-मंडल उक्त विषय पर विधि बना सकता है ।

शाजहन के. एस. बनाम **केरल राज्य** 19

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34)

– धारा 6 और 24 [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शिक्षा संस्थाओं द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) नियम, 2009 – नियम 2(ख)] – सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय – धारा 6 और नियम 3(2) के उपबंधों के परिशीलन से स्पष्ट है कि नियम (1) में निर्दिष्ट 100 गज दूरी की माप शिक्षा संस्था की चहारदीवारी या अहाते की बाहरी सीमा से की जाएगी, अतः सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय शिक्षा संस्था की बाहरी सीमा के 100 गज दूरी तक किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा ।

शाजहन के. एस. बनाम **केरल राज्य** 19

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– विनिषिद्ध माल की बरामदगी – पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र साक्षी का परिसाक्ष्य – पुलिस अधिकारियों के परिसाक्ष्य को मात्र इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस अधिकारी हैं और स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य को भी इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि साक्षी से बलात् हस्ताक्षर कराया गया और दस्तावेजों की कूटरचना की गई, अतः, पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर

पृष्ठ संख्या

चरस की बरामदगी को अविधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता ।

देवराज बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 119

लक्ष्मण

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 14 मार्च, 2013

न्यायमूर्ति बी. एस. वर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 और 511 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3] – अप्राप्तवय लड़की के साथ बलात्संग का प्रयत्न – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और साक्षियों के परिसाक्ष्य और चिकित्सीय जांच से साबित होता है कि 5 वर्ष की अप्राप्तवय लड़की के साथ अभियुक्त ने बलात्संग करने का प्रयत्न किया, अतः अभियुक्त को बलात्संग के प्रयत्न के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता गोपाल ने तारीख 11 जून, 2007 को पुलिस चौकी हर-की-पौड़ी, हरिद्वार में लिखित रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वह जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का निवासी है तथा गंगा नदी में अपने पिता की अस्थियों को बहाने के लिए आया था । उसकी पुत्री कुमारी खुशबू, जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष है, संजय पुल के नीचे बने हुए स्नानगृह में शौच के लिए गई थी और उसकी माता श्रीमती गीता बाई शौचालय के बाहर खड़ी थी । बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर वह शौचालय के अंदर गई और स्नानगृह से अभियुक्त को भागते हुए देखा । श्रीमती गीता बाई ने अभियुक्त को पकड़ लिया था । इसके पश्चात् लड़की को स्नानगृह से बाहर निकाला गया और उसने अपने गुप्तांग में दर्द होने की शिकायत की । शिकायतकर्ता अपने साथ अभियुक्त को पुलिस चौकी पर लाया । लिखित रिपोर्ट के आधार पर चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार की गई थी और दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध सं. 313/2007 अभियुक्त के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया । साधारण डायरी की कार्बन प्रति को प्रदर्श क-6

के रूप में साबित किया गया है । घटना के दिन अर्थात् 11 जून, 2007 को सी. आर. डब्ल्यू. अस्पताल, हरिद्वार के डाक्टर द्वारा उस लड़की की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई तथा चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श क-5 तैयार की गई । उप-निरीक्षक, कुंदन सिंह राना द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया था । वह घटना के स्थान पर गया और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् उसने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र पेश किया था । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और पक्षकारों के काउंसेल के सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त बच्ची के साथ बलात्संग किए जाने के प्रयास का दोषी है और उसे दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन दोषसिद्ध कर दिया तथा उसे दंडादिष्ट किया । अभियुक्त/अपीलार्थी ने व्यथित होकर यह अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – गोपाल ने लिखित रिपोर्ट को साबित किया है । इस साक्षी ने शपथ पर यह कथन किया है कि वह अपनी पत्नी श्रीमती गीता और पुत्री कुमारी खुशबू और कुछ अन्य नातेदारों के साथ था और वह गंगा नदी में अपने मृत पिता की अस्थियों को बहाने के लिए आया था । हर-की-पौड़ी, हरिद्वार के नजदीक उसकी पुत्री कुमारी खुशबू शौच के कमरे में शौच करने के लिए गई थी और उसकी पत्नी शौच के कमरे के बाहर खड़ी थी । अचानक उसने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी और वह शौच के कमरे के अंदर गई । अभियुक्त लक्ष्मण वहां से भागा और तब उन्होंने अभियुक्त को पकड़ लिया । लड़की ने अपने गुप्तांग भागों पर दर्द होने की शिकायत की । इसके पश्चात् वे पुलिस चौकी चले गए और उन्होंने लिखित रिपोर्ट तथा अभियुक्त को वहां पर सौंपा । इस साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी परंतु इससे कुछ भी अपराध में फंसाने वाली बात प्रकट नहीं हुई और उसका कथन अविश्वास योग्य हो गया । कुमारी खुशबू छोटी बच्ची है जिसके साथ अभियुक्त ने बलात्संग किए जाने की कोशिश की । न्यायालय ने बच्ची से कई प्रश्न पूछे और न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि बच्ची इतनी छोटी है कि वह कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकती और वह किसी दूसरे राज्य की है और उसकी भाषा समझ से परे है । शिकायतकर्ता के अनुसार बच्ची कुमारी खुशबू की आयु 5 वर्ष है और वह कोमल वयस की लड़की थी । उससे यह आशा नहीं की गई थी कि बुरे कार्य के वृत्तांत को बताती जो अभियुक्त द्वारा उसके साथ प्रयास किया गया था तथापि, गोपाल और श्रीमती गीता प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के

कथन से यह व्यापक रूप से साबित हुआ है कि जब बच्ची शौचालय के अंदर थी और वह चिल्लाई तब श्रीमती गीता शौचालय के अंदर गई तब अभियुक्त ने तेजी से भागने की कोशिश की और उसे घटनास्थल पर रंगे हाथ बच्ची के माता-पिता द्वारा पकड़ लिया गया और उनके द्वारा उसी दिन पुलिस को उसे सौंप दिया गया । गोपाल और श्रीमती गीता के कथन में यह प्रकट हुआ है कि जब बच्ची ने अपने गुप्तांग भाग पर दर्द होने की शिकायत की थी । श्रीमती गीता ने उस जगह पर सूजन और लालिमा देखी थी । इस प्रकार इन साक्षियों के पास ऐसा कोई अवसर या कारण नहीं है कि उन्होंने अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया हो क्योंकि अभियुक्त रंगे हाथ पकड़ा गया था और उसे उसी दिन पुलिस के हवाले कर दिया गया था । डा. चन्द्र प्रभा सिंह ने घटना के उसी दिन अर्थात् 11 जून, 2007 को बच्ची की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और डाक्टर ने बच्ची के गुप्तांग भाग पर चारों ओर सूजन पाई थी परंतु कोई क्षति नहीं पाई गई और न किसी प्रकार का स्खलन और रक्त निकला था और बच्ची ने आंतरिक परीक्षा में सहयोग नहीं किया । डाक्टर की यह राय है कि बच्ची के साथ बलात्संग किए जाने का प्रयास किया गया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है कि पीड़िता घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी और वह असक्षम साक्षी थी तथा मामले की परिस्थितियों पर विचार किया गया था । विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि पीड़िता की चीख-पुकार करना और घटनास्थल से अभियुक्त की गिरफ्तारी जब वह भागने का प्रयास कर रहा था, दुर्घटना के एक ही संव्यवहार हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन ग्राह्य है और इन बातों से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां अति महत्वपूर्ण हैं । इसके अतिरिक्त, पीड़िता के माता-पिता ने जब बच्ची चिल्लाई थी तब अभियुक्त ने शौचालय से भागने की कोशिश की और उसे वहां पर रंगे हाथ पकड़ लिया गया । (पैरा 12, 14, 15, 16 और 17)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 113.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री लोक पाल सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस. के. चौधरी, अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति बी. एस. वर्मा – यह अपील 2007 के सेशन विचारण सं. 460, राज्य बनाम लक्ष्मण वाले मामले में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/चतुर्थ त्वरित निपटान न्यायालय, हरिद्वार द्वारा तारीख 28 अप्रैल, 2010 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे संक्षेप में "दंड प्रक्रिया संहिता" कहा गया है) की धारा 374 के अधीन फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 6 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता गोपाल ने तारीख 11 जून, 2007 को पुलिस चौकी हर-की-पौड़ी, हरिद्वार में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 सौंपी थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वह जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान का निवासी है तथा गंगा नदी में अपने पिता की अस्थियों को बहाने के लिए आया था । उसकी पुत्री कुमारी खुशबू जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष है, संजय पुल के नीचे बने हुए स्नानगृह में शौच करने के लिए गई थी और उसकी माता श्रीमती गीता बाई शौचालय के बाहर खड़ी थी । बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर वह शौचालय के अंदर गई और स्नानगृह से अभियुक्त को भागते हुए देखा । श्रीमती गीता बाई ने अभियुक्त को पकड़ लिया था । इसके पश्चात् लड़की को स्नानगृह से बाहर निकाला गया और उसने अपने गुप्तांग में दर्द होने की शिकायत की । शिकायतकर्ता अपने साथ अभियुक्त को पुलिस चौकी पर लाया । लिखित रिपोर्ट के आधार पर चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-5 तैयार की गई थी और दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन अपराध सं. 313/2007 अभियुक्त के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया । साधारण डायरी की कार्बन प्रति को प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया गया है ।

3. घटना के दिन अर्थात् 11 जून, 2007 को सी. आर. डब्ल्यू. अस्पताल, हरिद्वार के डाक्टर द्वारा उस लड़की की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई तथा चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श क-5 तैयार की गई ।

4. उप-निरीक्षक, कुंदन सिंह राना द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया था । वह घटना के स्थान पर गया और घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श क-2 तैयार किया तथा साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । अन्वेषण पूरा करने

के पश्चात् उसने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र प्रदर्श क-3 पेश किया था ।

5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा तारीख 17 दिसंबर, 2007 को आदेश करके मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया ।

6. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश/तृतीय त्वरित निपटान न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन आरोप विरचित किया । अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए शिकायतकर्ता गोपाल (अभि. सा. 1) लड़की की माता श्रीमती गीता (अभि. सा. 2) अभियोक्त्री खुशबू (अभि. सा. 3) उप-निरीक्षक कुंदन सिंह राना (अभि. सा. 4) अन्वेषक अधिकारी, डा. चन्द्र प्रभा सिंह (अभि. सा. 5) 984 सी. पी. कांता प्रसाद (अभि. सा. 6) की परीक्षा कराई ।

8. अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है और यह अभिकथन किया है कि वह निर्दोष है तथा जब वह स्नानगृह से बाहर निकलने के पश्चात् दौड़ रहा था तब शिकायतकर्ता की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और उसने लड़की को स्पर्श भी नहीं किया था ।

9. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् और पक्षकारों के काउंसेल के सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त बच्ची के साथ बलात्संग किए जाने के प्रयास का दोषी है और उसे दंड संहिता की धारा 376/511 के अधीन दोषसिद्ध कर दिया तथा उसे दंडादिष्ट किया ।

10. अभियुक्त/अपीलार्थी ने व्यथित होकर यह अपील फाइल की है ।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

12. गोपाल (अभि. सा. 1) ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 को साबित किया है । इस साक्षी ने शपथ पर यह कथन किया है कि वह अपनी पत्नी श्रीमती गीता और पुत्री कुमारी खुशबू और कुछ अन्य नातेदारों के साथ था और वह गंगा नदी में अपने मृत पिता की अस्थियों को बहाने के लिए आया था । हर-की-पौड़ी, हरिद्वार के नजदीक उसकी पुत्री कुमारी खुशबू शौच के कमरे में शौच करने के लिए गई थी और उसकी पत्नी शौच के कमरे के

बाहर खड़ी थी । अचानक उसने बच्ची के चीखने की आवाज सुनी और वह शौच के कमरे के अंदर गई । अभियुक्त लक्ष्मण वहां से भागा और तब उन्होंने अभियुक्त को पकड़ लिया । लड़की ने अपने गुप्तांग भागों पर दर्द होने की शिकायत की । इसके पश्चात् वे पुलिस चौकी चले गए और उन्होंने लिखित रिपोर्ट तथा अभियुक्त को वहां पर सौंपा । इस साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी परंतु इससे कुछ भी अपराध में फंसाने वाली बात प्रकट नहीं हुई और उसका कथन अविश्वास योग्य हो गया ।

13. बच्ची की माता श्रीमती गीता (अभि. सा. 2) ने सम्पूर्ण घटना के बारे में अभिसाक्ष्य दिया जिसकी गोपाल (अभि. सा. 1) द्वारा किए गए कथन से पूर्णतया सम्पुष्टि हुई है ।

14. कुमारी खुशबू (अभि. सा. 3) छोटी बच्ची है जिसके साथ अभियुक्त ने बलात्संग किए जाने की कोशिश की । न्यायालय ने बच्ची से कई प्रश्न पूछे और न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि बच्ची इतनी छोटी है कि वह कोई भी बात स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकती और वह किसी दूसरे राज्य की है और उसकी भाषा समझ से परे है ।

15. शिकायतकर्ता के अनुसार बच्ची कुमारी खुशबू (अभि. सा. 3) की आयु 5 वर्ष है और वह कोमल वयस की लड़की थी । उससे यह आशा नहीं की गई थी कि बुरे कार्य के वृत्तांत को बताती जो अभियुक्त द्वारा उसके साथ प्रयास किया गया था तथापि, गोपाल (अभि. सा. 1) और श्रीमती गीता (अभि. सा. 2) प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन से यह व्यापक रूप से साबित हुआ है कि जब बच्ची शौचालय के अंदर थी और वह चिल्लाई तब श्रीमती गीता (अभि. सा. 2) शौचालय के अंदर गई तब अभियुक्त ने तेजी से भागने की कोशिश की और उसे घटनास्थल पर रंगे हाथ बच्ची के माता-पिता द्वारा पकड़ लिया गया और उनके द्वारा उसी दिन पुलिस को उसे सौंप दिया गया । गोपाल (अभि. सा. 1) और श्रीमती गीता (अभि. सा. 2) के कथन में यह प्रकट हुआ है कि जब बच्ची ने अपने गुप्तांग भाग पर दर्द होने की शिकायत की थी । श्रीमती गीता ने उस जगह पर सूजन और लालिमा देखी थी । इस प्रकार इन साक्षियों के पास ऐसा कोई अवसर या कारण नहीं है कि उन्होंने अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया हो क्योंकि अभियुक्त रंगे हाथ पकड़ा गया था और उसे उसी दिन पुलिस के हवाले कर दिया गया था ।

16. डा. चन्द्र प्रभा सिंह (अभि. सा. 5) ने घटना के उसी दिन अर्थात्

11 जून, 2007 को बच्ची की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की और डाक्टर ने बच्ची के गुप्तांग भाग पर चारों ओर सूजन पाई थी परंतु कोई क्षति नहीं पाई गई और न किसी प्रकार का स्खलन और रक्त निकला था और बच्ची ने आंतरिक परीक्षा में सहयोग नहीं किया । डाक्टर की यह राय है कि बच्ची के साथ बलात्संग किए जाने का प्रयास किया गया ।

17. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया है कि पीड़िता घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी और वह असक्षम साक्षी थी तथा मामले की परिस्थितियों पर विचार किया गया था । विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि पीड़िता की चीख-पुकार करना और घटनास्थल से अभियुक्त की गिरफ्तारी जब वह भागने का प्रयास कर रहा था, दुर्घटना के एक ही संव्यवहार हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन ग्राह्य है और इन बातों से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियां अति महत्वपूर्ण हैं । इसके अतिरिक्त, पीड़िता के माता-पिता ने जब बच्ची चिल्लाई थी तब अभियुक्त ने शौचालय से भागने की कोशिश की और उसे वहां पर रंगे हाथ पकड़ लिया गया ।

18. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मैं आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता और गलती नहीं पाता हूं और उस निर्णय की अभिपुष्टि की जाती है ।

19. अपील गुणागुण रहित है, इसलिए, उसे खारिज किया जाता है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को कायम रखा जाता है ।

20. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त/अपीलार्थी पहले ही अपने विरुद्ध पारित किए गए दंडादेश को भोग रहा है ।

21. इस तथ्य के सत्यापन के लिए विचारण न्यायालय को अभिलेख प्रतिप्रेषित किए जाते हैं कि क्या अभियुक्त/अपीलार्थी अपने विरुद्ध पारित किए गए दंडादेश को पहले से ही भोग रहा है या नहीं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

डबलू सिंह उर्फ **डम्पी**

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 8 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 और 404 – हत्या और मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का दुर्विनियोग – जहां साक्षियों के विश्वसनीय साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन कथन की पुष्टि होती है कि अभियुक्तों का हेतु मात्र चोरी करना था किंतु चोरी करने की प्रक्रिया में अभियुक्त की हत्या की गई वहां अभियुक्तों की उक्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि उचित और न्यायसंगत है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल (मृतक) काशीपुर में बिजली के सामान से संबंधित वर्कशाप चलाता था और उसी भवन के प्रथम मंजिल पर रहता था । तारीख 15 फरवरी, 2004 को लगभग 9.40 बजे पूर्वाह्न जाकिर नामक व्यक्ति ने दूरभाष से केशव चंद्र अग्रवाल (मृतक का भाई) को दूरभाष से यह सूचना दी कि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल दरवाजा नहीं खोल रहे हैं । उक्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् केशव चन्द्र अग्रवाल और अन्य नातेदार घटनास्थल पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर खोल दिया । उसने देखा कि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल रक्त में सने हुए पड़े थे । अभि. सा. 1 ने अपने भाई की हत्या के संबंध में उसी दिन (15 फरवरी, 2004 को) लगभग 10.50 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाना काशीपुर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दी । उक्त रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में 2004 का अपराध सं. 133 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत की गई थी । ज्येष्ठ उप-निरीक्षक, सुरेश चन्द्र जोशी ने अन्वेषण का जिम्मा लिया । पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा यहां पर उन्होंने फोटोग्राफ लिए थे और मृतक के शव को मोहरबंद करने के पश्चात् मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी । पुलिस ने शव का नक्शा तथा पुलिस प्ररूप सं. 13 भी तैयार किया तथा पत्र एल. डी. भट्ट अस्पताल, काशीपुर के अधीक्षक को शव-परीक्षण

के लिए अनुरोध करते हुए पत्र भेजा था । शव परीक्षा के लिए शव को मोहरबंद करके भेजा गया था । डा. एस. एस. नबियाल चिकित्सा अधिकारी, एल. डी. भट्ट अस्पताल, काशीपुर ने उसी दिन (15 फरवरी, 2004 को) लगभग 4.30 बजे अपराह्न शव-परीक्षण किया था । उसने शव परीक्षा रिपोर्ट में 3 मृत्यु पूर्व क्षतियां अभिलिखित की हैं और यह राय व्यक्त की है कि मृतक की मृत्यु पूर्व सिर की क्षति के कारण आघात और रक्तस्राव से हुई थी । अभियुक्त के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रखे गए थे जिसके उत्तर में अभियुक्तों में से प्रत्येक ने यह अभिवाक् किया कि उनके विरुद्ध पेश किया गया साक्ष्य मिथ्या है । तथापि, प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 तथा धारा 411 और 404 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप को साबित किया है और तारीख 21 अक्तूबर, 2011 को तद्नुसार दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया । तारीख 22 अक्तूबर, 2011 को दंड के संबंध के सुनवाई करने के पश्चात् प्रत्येक दोषसिद्ध डबलू सिंह और माइकल मसीह को दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिए 500/- रुपए के जुर्माने के संदाय करने का भी निदेश दिया गया । दंड संहिता की धारा 411 के अधीन अपराध के लिए 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा दंड संहिता की धारा 404 के अधीन अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 100/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । अपर सेशन न्यायाधीश/त्वरित निपटान न्यायालय, काशीपुर द्वारा तारीख 21 अक्तूबर, 2011/22 अक्तूबर, 2011 को पारित किए गए उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि तारीख 14 और 15 फरवरी, 2004 की मध्यरात्रि में मृतक की हत्या की गई थी । अब न्यायालय ने यह परीक्षा की है कि क्या दो अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय से हत्या की गई थी जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया था और जबकि चोरी करते हुए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

की वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा हत्या की गई थी । उसने यह भी वृत्तांत दिया है कि वह एक दूसरा सह-अभियुक्त माइकल मसीह की गिरफ्तारी के समय पर पुलिस के साथ भी गया था, उसका अंतर्वलन अभियुक्त डबलू सिंह की गिरफ्तारी के पश्चात् प्रकाश में आया था और मृतक के जाकेट और पासपोर्ट की बरामदगी के तथ्य की सम्पुष्टि हुई जो उक्त अभियुक्त (माइकल मसीह) के बताने पर की गई थी । इस साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी, परंतु ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है जिससे उसके परिसाक्ष्य में कोई संदेह उत्पन्न होता हो । अभियुक्तों के बताने पर की गई बरामदगियों का उप-निरीक्षक कंचन सिंह और ज्येष्ठ उप-निरीक्षक सुरेश चन्द्र जोशी (अन्वेषक अधिकारी) द्वारा सम्पुष्टि की गई है । प्रदर्श क-3 और क-4 से यह दर्शित हुआ है कि बरामदगी ज्ञापनों पर न केवल पुलिस कार्मिक द्वारा हस्ताक्षर किया गया बल्कि अभियुक्त के साक्षियों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं । इस प्रकार बरामदगी पर हल्के रूप में अविश्वास नहीं किया जा सकता है । ज्येष्ठ उप-निरीक्षक सुरेश चन्द्र जोशी ने विस्तृत रूप से यह कथन किया है कि उसने मृतक की मृत्यु के पश्चात् की अवधि के उसके मोबाइल फोन के काल के ब्यौरे प्राप्त किए जो अभियुक्त डबलू सिंह और माइकल मसीह के हाथ में हो सकता था । न्यायालय इस दलील में कोई सार नहीं पाता है क्योंकि चोरी किए जाने का हेतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट है और चोरी किए जाने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा मृतक की हत्या की गई । अभिलेख के संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय इस अपील में कोई बल नहीं पाता है जो खारिज किए जाने योग्य है । (पैरा 13, 14, 16, 17 और 20)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 285.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री टी. पी. एस. टकुली, न्यायमित्र

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री विनोद शर्मा, उप-महाधिवक्ता, (श्रीमती) निशात इंतेजार और प्रेम कौशल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत ने दिया ।

न्या. पंत – यह अपील 2004 के सेशन विचारण सं. 204 तथा 2007

के सेशन विचारण सं. 204-क में अपर सेशन न्यायाधीश/त्वरित निपटान न्यायालय, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा तारीख 21 अक्तूबर, 2011/22 अक्तूबर, 2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "सीआरपीसी" कहा गया है) की धारा 374 के अधीन फाइल की गई है जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराधों के लिए डबलू सिंह **उर्फ** डम्पी तथा माइकल मसीह अभियुक्त अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया गया था और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा अलग-अलग 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का निदेश देते हुए दंडादिष्ट किया गया था । अभियुक्त अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया था और उनमें से प्रत्येक को उस विषय पर 2 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । अभियुक्त अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 404 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया और उनमें से प्रत्येक को 2 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा अलग-अलग 100/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का निदेश देते हुए दंडादिष्ट किया गया ।

2. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना गया तथा निचले न्यायालय के अभिलेख का भी परिशीलन किया गया ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल (मृतक) काशीपुर में बिजली के सामान से संबंधित वर्कशाप चलाता था और उसी भवन के प्रथम मंजिल पर रहता था । तारीख 15 फरवरी, 2004 को लगभग 9.40 बजे पूर्वाह्न जाकिर नामक व्यक्ति ने दूरभाष से केशव चंद्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) (मृतक का भाई) को दूरभाष से यह सूचना दी कि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल दरवाजा नहीं खोल रहे हैं । उक्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् केशव चन्द्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) और अन्य नातेदार घटनास्थल पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर खोल दिया । उसने देखा कि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल रक्त में सने हुए पड़े थे । अभि. सा. 1 ने अपने भाई की हत्या के संबंध में उसी दिन (15 फरवरी, 2004 को) लगभग 10.50 बजे पूर्वाह्न पुलिस थाना काशीपुर में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) दी । उक्त रिपोर्ट के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में 2004 का अपराध सं. 133 अज्ञात

व्यक्तियों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत की गई थी । ज्येष्ठ उप-निरीक्षक, सुरेश चन्द्र जोशी (अभि. सा. 4) ने अन्वेषण का जिम्मा लिया । पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा यहां पर उन्होंने फोटोग्राफ लिए थे और मृतक के शव को मोहरबंद करने के पश्चात् मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श ए-6) तैयार की थी । पुलिस ने शव (प्रदर्श ए-8) का नक्शा तथा पुलिस प्ररूप सं. 13 (प्रदर्श ए-9) भी तैयार किया तथा पत्र (प्रदर्श ए-7) एल. डी. भट्ट अस्पताल, काशीपुर के अधीक्षक को शव-परीक्षण के लिए अनुरोध करते हुए पत्र भेजा था । शव परीक्षा के लिए शव को मोहरबंद करके भेजा गया था ।

4. डा. एस. एस. नबियाल (अभि. सा. 2) चिकित्सा अधिकारी, एल. डी. भट्ट अस्पताल, काशीपुर ने उसी दिन (15 फरवरी, 2004 को) लगभग 4.30 बजे अपराह्न शव-परीक्षण किया था । उसने शव परीक्षा रिपोर्ट में 3 मृत्यु पूर्व क्षतियां (प्रदर्श क-5) अभिलिखित की हैं और यह राय व्यक्त की है कि मृतक की मृत्यु पूर्व सिर की क्षति के कारण आघात और रक्तस्राव से हुई थी ।

5. अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श क-11) तैयार करने के पश्चात् रक्त-रंजित मिट्टी और सादी मिट्टी ली और इसे मोहरबंद कर दिया तथा संगम ज्ञापन (प्रदर्श ए-12) तैयार किया । उसने जाकिर और अन्य साक्षियों से पूछताछ की और उसकी जानकारी में यह आया कि बदमाशों ने मोबाइल फोन, जाकेट, घड़ी और मृतक की अन्य वस्तुओं के साथ-साथ पासपोर्ट लूटा था । मृतक का मोबाइल फोन नंबर "9412354363" था । इसके पश्चात्, अन्वेषक अधिकारी ने महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड (जिसे संक्षेप में बीएसएनएल कहा गया है) से संपर्क किया और पूर्वोक्त मोबाइल नंबर की काल डिटेल्स ली । अन्वेषण के दौरान यह पाया गया था कि मृतक की मृत्यु के पश्चात् उक्त फोन से काल्स फोन नंबर "0595-2330472" पर की गई थीं । इस पर अन्वेषक अधिकारी ने उप-निरीक्षक कंचन सिंह (अभि. सा. 7) के साथ जिला रामपुर गया और वहां पर टेलीफोन एक्सचेंज से यह पता लगाया कि लैंड लाइन नंबर "0595-2330472" मलखान सिंह नामक व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया गया था । पुलिस दल मलखान सिंह के मकान पर गया जहां उसकी पत्नी ने यह बताया कि यह टेलीफोन कुछ समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ है । इसके पश्चात् मलखान सिंह से सम्पर्क किया गया जिसने यह बताया कि वह ग्राम रतुआ नागला, टांडा, रामपुर के नजदीक का रहने वाला है । यह

पाया गया कि मृतक के मोबाइल से टेलीफोन नंबर "273792" पर भी काल्स किए गए थे जो आवास-विकास कालोनी काशीपुर के अमर सिंह का नंबर था । वहां जाने पर अन्वेषक अधिकारी ने यह पाया कि अमर सिंह पुलिस कांस्टेबल था जो बिजनौर में तैनात था और उसकी पत्नी से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि यह कुटुंब ग्राम रतुआ नागला से संबंधित है । अमर सिंह की पत्नी ने यह बताया कि तारीख 29 फरवरी, 2004 को उसने डबलू सिंह (अभियुक्त) से टेलीफोन काल्स प्राप्त कीं जो उसके ज्येठ का पुत्र है । उसने यह भी बताया कि 15 फरवरी, 2004 को डबलू सिंह बेवक्त उसके पास आया था और उसके कान पर पट्टी बंधी हुई थी जिसने उसे यह बताया कि उसे किसी दुर्घटना में उक्त क्षति पहुंची । तत्पश्चात् पुलिस दल केशव चन्द्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) और अजय अग्रवाल (अभि. सा. 6) (मृतक का भतीजा) के साथ ग्राम रतुआ नागला, जिला रामपुर गए जहां उन्होंने डबलू सिंह से सम्पर्क किया जिसने पुलिस तथा शिकायतकर्ता के समक्ष अपने दोषी होने की संस्वीकृति दी और उसके बताने पर मृतक की घड़ी जो डबलू सिंह ने अपनी कलाई में बांध रखी थी और टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया । इसके पश्चात् उससे (डबलू सिंह) से एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (जिसे संक्षेप में एनएससी कहा गया है) 500/- रुपए का बरामद किया गया जो मृतक से संबंधित था । उक्त अभियुक्त डबलू सिंह से पूछताछ करने पर उसने यह बताया कि उसने सह-अभियुक्त माइकल मसीह के साथ अपराध किया था जिसके पश्चात् माइकल मसीह को भी गिरफ्तार किया गया । मृतक का जाकेट और पासपोर्ट इस अभियुक्त के कहने पर बरामद किए गए थे और उक्त बरामदगी के संबंध में अलग से बरामदगी ज्ञापन भी तैयार किया गया था । बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श ए-3 और ए-4) पर क्रमशः अभियुक्त और साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए थे । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट से यह प्रकट है कि मानव रक्त लगे हुए वस्तुओं को विश्लेषण के लिए भेजा गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी द्वारा दोनों अभियुक्त डबलू सिंह और माइकल मसीह के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34, 411 और 404 के अधीन दंडनीय अपराध के बारे में उनके विचारण के लिए आरोप पत्र (प्रदर्श ए-20) फाइल किया गया था ।

6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर ने आरोप पत्र प्राप्त करके अभियुक्तों को उसकी आवश्यक प्रतियां दीं जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 201

के अधीन अपेक्षित हैं और विचारण के लिए मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने तारीख 29 अप्रैल, 2007 को दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात् दोनों अभियुक्त अर्थात् डबलू सिंह **उर्फ** डम्पी तथा माइकल मसीह के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34, 404 और 411 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए जिस पर अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने केशव चन्द्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) (इत्तिलाकर्ता), डा. एस. एस. नबियाल (अभि. सा. 2) (जिन्होंने शवपरीक्षण किया था), अशोक कुमार (अभि. सा. 3) (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का साक्षी), ज्येष्ठ उप-निरीक्षक सुरेश चन्द्र जोशी (अभि. सा. 4) (अन्वेषक अधिकारी), प्रभाकर (अभि. सा. 5) (फोटोग्राफर), अजय कुमार अग्रवाल (अभि. सा. 6) (मृतक का भतीजा), उप-निरीक्षक कंचन सिंह (अभि. सा. 7) (अभियुक्त के बताने पर की गई बरामदगियों का साक्षी) और उप-निरीक्षक पी. डी. जोशी (अभि. सा. 8) (जिन्होंने चिक रिपोर्ट तैयार की) की परीक्षा करवाई थी ।

8. अभियुक्त के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रखे गए थे जिसके उत्तर में अभियुक्तों में से प्रत्येक ने यह अभिवाक् किया कि उनके विरुद्ध पेश किया गया साक्ष्य मिथ्या है । तथापि, प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया ।

9. विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 तथा धारा 411 और 404 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप को साबित किया है और तारीख 21 अक्तूबर, 2011 को तद्नुसार दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया । तारीख 22 अक्तूबर, 2011 को दंड के संबंध में सुनवाई करने के पश्चात् प्रत्येक दोषसिद्ध डबलू सिंह और माइकल मसीह को दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिए 500/- रुपए के जुर्माने के संदाय करने का भी निदेश दिया गया । दंड संहिता की धारा 411 के अधीन अपराध के लिए 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा दंड संहिता की धारा 404 के अधीन अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 100/- रुपए जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया ।

10. अपर सेशन न्यायाधीश/त्वरित निपटान न्यायालय, काशीपुर द्वारा तारीख 21 अक्तूबर, 2011/22 अक्तूबर, 2011 को पारित किए गए उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त/दोषसिद्ध व्यक्तियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष दो अलग-अलग अपीलें फाइल कीं ।

11. आगे चर्चा करने से पूर्व इस न्यायालय ने यह न्यायोचित और उचित समझा है कि डा. एस. एस. नबियाल (अभि. सा. 2) द्वारा शव परीक्षा रिपोर्ट में अभिलिखित मृत्यु पूर्व क्षतियों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं :–

> " (i) ललाट के ऊपर विदीर्ण कटा हुआ घाव मौजूद, जो ललाट के केन्द्र में क्षैतिज 10 से. मी. x 5 से. मी. आकार का है शिरोवल्क के अग्र अस्थि के समरूप अस्थि की गहराई पर अस्थिभंग नाक के नासा अस्थि के ऊपरी छोर तक विस्तारित अस्थि पर ऊपरी संविभाजन जो दबा हुआ था ।
>
> (ii) सिर के ऊपर पार्श्व शिरोवल्क क्षेत्र के परवर्ती भाग पर कई विदीर्ण घाव मौजूद जो 15 से. मी. x 8 से. मी. x अस्थि की गहराई तक खोपड़ी अस्थि का समरूप भंग हुआ था ।
>
> (iii) दाहिने कान के 3 से. मी. ऊपर शिरोवल्क के दाहिने पार्श्व क्षेत्र के ऊपर विदीर्ण कटा हुआ घाव मौजूद जो आकार में 6 से. मी. x 2 से. मी. x अस्थि पर गहरा था ।
>
> आंतरिक परीक्षा करने पर अग्र खोपड़ी के अस्थि से क्षति सं. 1 के समरूप नाक के अस्थि तक अस्थिभंग जिसको अभिलिखित किया गया है ।"

12. डा. एस. एस. नबियाल (अभि. सा. 2) ने यह राय व्यक्त की है कि मृतक की मृत्यु मृत्यु-पूर्व सिर की क्षति के कारण आघात और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई थी । उसने यह भी कथन किया है कि मृतक की 14 और 15 फरवरी, 2004 को मध्यरात्रि में मृत्यु हुई थी । उसने यह भी कथन किया है कि मृत्यु-पूर्व क्षतियां "गंडासा" की भांति किसी धारदार आयुध से कारित हो सकी है । इस साक्षी ने शव परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श ए-5 साबित की । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि क्षति सं. (i) और (ii) गिरने के कारण हो सकती है परंतु क्षति सं. (iii) गिरने के कारण मृतक को नहीं हो सकती है ।

13. अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त चिकित्सा साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि तारीख 14 और 15 फरवरी, 2004 की मध्यरात्रि में मृतक की हत्या की गई थी । अब हमने यह परीक्षा की है कि क्या दो अभियुक्तों द्वारा सामान्य आशय से हत्या की गई थी जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया था और जबकि चोरी करते हुए राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल की वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा हत्या की गई थी ।

14. केशव चन्द्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि उसका भाई राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल अविवाहित व्यक्ति था जो कुटुंब के अन्य सदस्यों से अलग रहा करता था । उसने यह भी कथन किया है कि तारीख 15 फरवरी, 2004 को जाकिर ने उसे दूरभाष से यह बताया कि राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने अपने रहने के घर के दरवाजे को नहीं खोला था । केशव चंद्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) ने यह भी कथन किया है कि इसके पश्चात् वह अपने बड़े भाई राधा रमन को साथ लेकर घटनास्थल पर गए और उन्होंने चैनल गेट के ताले को तोड़ा और राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल के मकान में प्रविष्ट हुए जहां उसने उसे मृत पाया था । मृतक के शव पर बाहरी क्षतियां हुई थीं । इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने पुलिस थाने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-1 भी दर्ज की । उसने यह भी कथन किया है कि वह मृतक के निवास स्थान पर पुलिस के साथ गया था और यह बताया कि उसके भाई का मोबाइल फोन, पासपोर्ट, जाकेट और एन. एस. सी. प्रमाणपत्र गायब थे । उसने यह भी कथन किया है कि वह रातुआ नगला, जिला रामपुर के रास्ते पर पुलिस के साथ भी गया था, जहां अभियुक्त डबलू सिंह से पूछताछ की गई थी । इस साक्षी ने यह भी वृत्तांत दिया है कि डबलू सिंह को विश्वास में लेने के पश्चात् उसने (डबलू सिंह) ने उसके समक्ष संस्वीकृति दी । उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त के बताने पर पुलिस ने टूटा हुआ मोबाइल फोन, घड़ी और एन. एस. सी. प्रमाणपत्र बरामद किया । उसने यह भी वृत्तांत दिया है कि वह एक दूसरा सह-अभियुक्त माइकेल मसीह की गिरफ्तारी के समय पर पुलिस के साथ भी गया था, उसका अंतर्वलन अभियुक्त डबलू सिंह की गिरफ्तारी के पश्चात् प्रकाश में आया था और (राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल **उर्फ** जर्मनी बाबू) मृतक के जाकेट और पासपोर्ट की बरामदगी के तथ्य की सम्पुष्टि हुई जो उक्त अभियुक्त (माइकल मसीह) के बताने पर की गई थी । इस साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी, परंतु ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है जिससे

उसके परिसाक्ष्य में कोई संदेह उत्पन्न होता हो ।

15. अजय कुमार अग्रवाल (अभि. सा. 6) (मृतक का भतीजा) ने सम्पूर्ण अभियोजन पक्षकथन की सम्पुष्टि की है जैसाकि केशव चन्द्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) द्वारा वृत्तांत दिया गया है । इस साक्षी से लंबी प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद भी कोई विचलन नहीं हो सका । अपीलार्थियों की ओर से केवल विरोध प्रकट किया गया कि केशव चन्द्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि मृतक के जाकेट का रंग सफेद था, जबकि अजय कुमार अग्रवाल (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि बरामद किया गया जाकेट भूरे रंग का था । हमारी राय यह है कि विभेद लघु और स्वाभाविक है और पूर्ण रूप से तात्विक होना नहीं कहा जा सकता है, कोई सफेद जाकेट, यदि गंदी हो जाती है, तो सफेद नहीं दिख सकती है ।

16. दो अभियुक्तों के बताने पर की गई बरामदगियों का उप-निरीक्षक कंचन सिंह (अभि. सा. 7) और ज्येष्ठ उप-निरीक्षक सुरेश चंद्र जोशी (अन्वेषक अधिकारी) द्वारा सम्पुष्टि की गई है । प्रदर्श क-3 और क-4 से यह दर्शित हुआ है कि बरामदगी ज्ञापनों पर न केवल पुलिस कार्मिक द्वारा हस्ताक्षर किया गया बल्कि अभियुक्त के साक्षियों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं । इस प्रकार बरामदगी पर हल्के रूप में अविश्वास नहीं किया जा सकता है । ज्येष्ठ उप-निरीक्षक सुरेश चंन्द्र जोशी (अभि. सा. 4) (अन्वेषक अधिकारी) ने विस्तृत रूप से यह कथन किया है कि उसने मृतक की मृत्यु के पश्चात् की अवधि के उसके मोबाइल फोन के काल के ब्यौरे प्राप्त किए जो अभियुक्त डबलू सिंह और माइकेल मसीह के हाथ में हो सकता था ।

17. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त का अपराध करने का कोई हेतु नहीं था । हम इस दलील में कोई सार नहीं पाते हैं क्योंकि चोरी किए जाने का हेतु अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट है और चोरी किए जाने से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा मृतक की हत्या की गई ।

18. अपीलार्थियों की ओर से यह भी दलील दी गई कि जब चैनल गेट में अंदर से ताला लगा हुआ था तब अभियुक्तों के लिए यह संभव नहीं था कि मृतक के मकान के अंदर घुसें । हमने इस दृष्टिकोण से भी अभिलेख के साक्ष्य की संवीक्षा की है । क्या लकड़ी के बंद दरवाजे में अंदर

से ताला लगा हुआ था, यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तों के पास ऐसा कोई अवसर नहीं था कि गेट के ताला को खोले परंतु चैनल गेटों के मामलों में बिना कठिनाई के अंदर से गेट में तथा बाहर से ताला लगाया जा सकता है । बशर्ते की पर्याप्त कमरा हो जिस पर चैनल के अंदर से कलाई घुस सकती हो जहां पर साधारणतया चैनल गेटों में ऐसा होता है ।

19. अंत में अपीलार्थियों की ओर से यह दलील दी गई है कि यदि ऐसी रीति में घटना घटती जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा सुझाव दिया गया था, अभियुक्त दराज में 8,000.00 रुपए नगदी को भी नहीं छोड़ते जो अन्वेषण के दौरान उसके कमरे में रखी हुई पाई गई थी जिसे केशव चंद्र अग्रवाल (अभि. सा. 1) को सौंपा गया था । इस संबंध में राज्य के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर यह प्रकट हुआ है कि दराज आसानी से खुलने वाला नहीं था । इस प्रकार, यह पूर्णतया संभव है कि अभियुक्त घटना के स्थान से जाने से पूर्व थोड़ी कोशिश करने के पश्चात् इसे छोड़ सके ।

20. अभिलेख के संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर विचार करने के पश्चात् हम इन अपीलों में कोई बल नहीं पाते हैं जो खारिज किए जाने योग्य है ।

21. तदनुसार, दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं । अभियुक्त डबलू सिंह **उर्फ** डम्पी तथा माइकेल मसीह के विरुद्ध 2004 के सेशन विचारण सं. 204 तथा 2007 के सेशन विचारण सं. 204क में अपर सेशन न्यायाधीश/ त्वरित निपटान न्यायालय काशीपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा तारीख 21.10.2011/22.10.2011 को पारित किए गए निर्णय और आदेश में अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश की एतद्द्वारा अभिपुष्टि की जाती है । दोषसिद्ध डबलू सिंह **उर्फ** डम्पी और माइकेल मसीह पहले ही कारागार में हैं । इस निर्णय और आदेश की प्रति कारागार अधीक्षक को भेजी जाए जहां उक्त दोषसिद्ध अभियुक्त दंडादेश भोग रहे हैं, अपीलार्थियों को सूचना भेजी जाए । निचले न्यायालय को अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

शाजहन के. एस.

बनाम

केरल राज्य

तारीख 14 अगस्त, 2012

न्यायमूर्ति एन. के. बालाकृष्णन्

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) – धारा 6 और 24 [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शिक्षा संस्थाओं द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) नियम, 2009 – नियम 2(ख)] – सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय – धारा 6 और नियम 3(2) के उपबंधों के परिशीलन से स्पष्ट है कि नियम (1) में निर्दिष्ट 100 गज दूरी की माप शिक्षा संस्था की चहारदीवारी या अहाते की बाहरी सीमा से की जाएगी, अतः सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद का विक्रय शिक्षा संस्था की बाहरी सीमा के 100 गज दूरी तक किया जाना विधिसम्मत नहीं होगा ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 254 [सपठित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 6 और केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ)] – संघ विधि और राज्य विधि में विरोध – संसद् द्वारा पारित उपरोक्त विधि राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित विधि से असंगत नहीं है क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई आदि मद राज्य सूची के अधीन आता है, अतः राज्य विधान-मंडल उक्त विषय पर विधि बना सकता है ।

इन मामलों में याचियों द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक दलील यह है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 6 को लागू होने के लिए तम्बाकू उत्पाद का विक्रय ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो और विक्रय किसी शिक्षा संस्थान के 100 गज की परिधि के क्षेत्र के भीतर में भी होना चाहिए । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका और दांडिक प्रकीर्ण

मामला खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जहां तक इस मामले का संबंध है इसमें कतई कोई संदिग्धता नहीं है । यह बिलकुल साफ है कि अधिनियम की धारा 6 के दो भिन्न-भिन्न भाग हैं और दोनों स्वतंत्र अपराध हैं । इसमें कोई संदिग्धता या दुरुहता नहीं है । विधान-मंडल का आशय स्पष्ट है । अतः याची द्वारा दिया गया तर्क कि न्यायालय के समक्ष कानूनी उपबंध को संशोधित करने या परिवर्तित करने के कार्य को नवीकृत या उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है । स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि अधिनियम की धारा 6 में प्रयुक्त "और" शब्द वियोजककारी है । धारा 24, केवल धारा 6 के अधीन अपराध से संबंधित दांडिक उपबंध है । विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेश विजयन का यह निवेदन है कि यदि वस्तुतः धारा 6 में केवल एक ही प्रवर्ग का अपराध है जैसा याचियों की दलील है तो धारा 24 की उपधारा (1) या (2) में यथादर्शित "उपबंधों" और "सभी अपराधों" जैसे बहुवचनों का प्रयोग विधान-मंडल द्वारा नहीं किया जाता अतः, यह भी इस मत को बल प्रदान करता है कि धारा 6 की उपधारा (क) और (ख) सुभिन्न और अलग-अलग हैं । (पैरा 29 और 30)

पश्चिमी बंगाल राज्य बनाम केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाले मामले में संविधान न्यायपीठ के बहुमत ने सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची II की विभिन्न प्रविष्टियों के अधीन अधिनियमित विधानों की अतिव्याप्ति की संभावना को मान्यता प्रदान की और यह मत व्यक्त किया "तीनों सूचियों को पढ़ते समय सूची I को सूची III पर और सूची III को सूची II पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए । तथापि, संघ सूची राज्य विधान-मंडल को सूची II के भीतर किसी विषय पर विचार करने से निवारित नहीं करेगा चाहे यह आनुषंगिकता सूची I के किसी मद को प्रभावित करता हो" । विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्णतः राज्य विधान-मंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है अतः कतई कोई विरोध नहीं हो सकता । न केवल यही कि राज्य अधिनियम की धारा 118(झ) भिन्न-भिन्न क्षेत्र को लागू होती है और अधिक व्यापक उपबंध है जो सभी मादक पदार्थों या अन्य वस्तुओं या ऐसे पदार्थों के बारे में है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है और इस प्रकार यह असंदिग्धतः स्पष्ट करता है कि केरल पुलिस अधिनियम में उपबंध का सम्मिलित किया जाना संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 के खंड 6 के

अनुसार राज्य विधान-मंडल को प्रदत्त शक्ति के अनुरूप है । इस प्रकार, विद्वान् लोक अभियोजक के अनुसार धारणागत विरोध सुस्पष्ट किए जाने योग्य है और किसी भी दशा में यह नगण्य होने के कारण उपेक्षित किए जाने योग्य है । जहां कोई असंदिग्धता नहीं है और विधान-मंडल का आशय स्पष्ट है वहां न्यायालय को उपबंधों के संबंध में कुछ अन्य अर्थ निकालने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए । जहां भाषा स्पष्ट है और विधान-मंडल का आशय प्रयुक्त भाषा से निकाला जा सकता है वहां न्यायालय का विधान की व्याप्ति या विधान-मंडल के आशय को बढ़ाने का कोई कर्तव्य नहीं है । विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि वस्तुतः निर्वचन के सिद्धांतों पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक प्रस्तुत मामले का संबंध है क्योंकि आक्षेपित उपबंध अर्थात् केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(झ) विधायी क्षमता के भीतर है । रिट याचिका (सि.) सं. 35189/2011 में याचियों की यह दलील है कि दूसरे प्रत्यर्थी ने उन वस्तुओं को अभिगृहीत किया जो यान में रखे हुए थे और यह कि दूसरे प्रत्यर्थी ने याचियों को तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए वस्तुतः नहीं देखा । किंतु यह कहा गया है कि पहला याची विक्रेता है और यह कि दूसरा याची जेशन अंटोनी नामक व्यक्ति के यान का चालक है जो हैंस बाम्बे आदि जैसे उत्पादों के थोक वितरण में लगे ए. एस. एजेंसियों का मालिक है । याचियों के अनुसार इसका विक्रय 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 के अनुसार किया गया है । उन लोगों ने दलील दी कि हैंस और बाम्बे तम्बाकू उत्पाद नहीं हैं । उनके अनुसार, मात्र इस कारण कि उक्त उत्पाद में तम्बाकू के तत्व हैं यह नहीं कहा जा सकता कि हैंस और बाम्बे तम्बाकू उत्पाद हैं । तम्बाकू उत्पाद पद को केरल पुलिस अधिनियम, 2011 में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उत्पाद अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं । याची के विद्वान् काउंसेल के अनुसार हैंस बाम्बे अनुसूची में दर्शित कोई मद नहीं है । अनुसूची में मद सं. 8 पान मसाला या चबाने वाली ऐसी सामग्री जिसमें तम्बाकू एक तत्व के रूप में है । अभियोजन की यह दलील है कि हैंस बाम्बे मात्र एक व्यापार नाम है । यद्यपि हैंस और बाम्बे पान मसाला नहीं हो सकते वे मद सं. 8 में वर्णित दूसरे प्रवर्ग के भीतर आएंगे क्योंकि यह तम्बाकू एक तत्व के रूप में चाहे जो नाम दिया जाए एक सामग्री है । दूसरे शब्दों में, यदि हैंस बाम्बे में इसके एक तत्व के रूप में तम्बाकू है तो निश्चित ही इसे तम्बाकू उत्पाद होना अभिनिर्धारित किया जा सकता है । अगला तर्क याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह किया गया है कि ऐसे स्थान से जहां हैंस बाम्बे अभिगृहीत किया गया था शिक्षा संस्थानों

से 100 गज की परिधि के भीतर नहीं आता । किंतु प्रथम इत्तिला कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि घटनास्थल चलकारा एसएमटी हाई स्कूल से केवल 75 मीटर और लिटिल फ्लावर स्कूल के पश्चिम से 50 मीटर है । अतः इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उल्लंघन कार्य अधिनियम, 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 6 में वर्णित 100 गज के भीतर किया गया था । याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) के अधीन उपयुक्त शब्द "स्कूल परिसर के समीप" है; इस प्रकार दूरी विनिर्दिष्ट नहीं है । किंतु विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि बाद में दूरी विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की गई । अधिसूचना के अभाव में भी यह अभिनिर्धारित करना युक्तिसंगत है कि 100 मीटर की दूरी निश्चित ही स्कूल परिसर होगा । याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा अगली यह दलील दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रकथन केवल यह दर्शित करते हैं कि दो बोरे के थैले के उत्पाद (हैंस और बाम्बे) के पैकेट यान सं. केएल-8-एजी 8655 से उतारे गए थे । याची के विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) के अधीन या 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 6 के अधीन अपराध नहीं बनता । विद्वान् काउंसेल के अनुसार केवल यह कहा जा सकता है कि उत्पाद उस स्थान पर लाए गए थे और यह नहीं कहा जा सकता है कि याचियों को बालकों या किसी अन्य व्यक्ति को उन वस्तुओं को देते या बेचते हुए पाया गया । किंतु 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 6 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति सिगरेट या कोई अन्य तम्बाकू उत्पाद न बेचेगा, विक्रय की प्रस्थापना करेगा या विक्रय की अनुज्ञा देगा या सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय की अनुज्ञा देगा । अभियोजन के अनुसार इसमें विक्रय के लिए इसको कब्जे में रखना सम्मिलित होगा । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह इंगित किया गया है कि ऐसे किसी तम्बाकू उत्पाद का क्रय करना या लाना अधिनियम की धारा 7 की एक या अधिक उपधाराओं के अधीन भी अपराध गठित करेगा । श्री राजेश विलयन द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि दुकान मालिक ऐसे मामले का प्रदाय और पेश किया जाना भी 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 3(ड) के अधीन यथा परिभाषित "विक्रय" के अर्थान्तर्गत आएगा । धारा 3 विक्रय को इस प्रकार परिभाषित करती है "विक्रय अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय अभिव्यक्तियों के अनुसार विक्रय का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल के संपत्ति

का अंतरण है चाहे नगद या प्रत्यय या विनियम के माध्यम से और चाहे थोक या फुटकर और इसके अन्तर्गत विक्रय का करार और विक्रय की प्रस्थापना और विक्रय के लिए प्रदर्शन;'' चूंकि धारा 3(ड) विक्रय को किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल में संपत्ति का कोई अंतरण अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत विक्रय का प्रदर्शन भी है । अत: यह तथ्य कि ऐसे तम्बाकू उत्पाद फुटकर दुकान पर एक वैन में लाए गए थे और उतारे जा रहे थे । प्रथमदृष्ट्या यह दर्शित करता है कि थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता को नकद या प्रत्यय पर माल के समय संपत्ति का अंतरण हो रहा था । इसके अतिरिक्त अभियोजन की यह दलील है कि यह तम्बाकू उत्पाद वस्तुत: विक्रय के लिए प्रदर्शित किए गए थे । धारा 3(ड) ''विक्रय'' पद का समावेशी और अतिव्यापक परिभाषा देती है और इस प्रकार याचियों की ओर से दिया गया प्रतिकूल तर्क अस्वीकार्य है । विक्रय की दशा में, क्रेता संदत्त किए जाने वाली कीमत, चाहे तत्काल संदत्त किया गया हो या बाद में किसी तारीख को आस्थिगत किया जाए, के लिए सम्पत्ति/माल स्वीकार करता है । जब थोक विक्रेता फुटकर दुकानदार को देने के लिए ऐसे उत्पाद उतारता है तो वस्तुतः फुटकर विक्रेता को सम्पत्ति/माल का विक्रय हो जाता है क्योंकि सम्पत्ति का कब्जा क्रेता को माल के परिदान पर तत्काल क्रेता को न्यागत हो जाता है । यह दलील कि क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को उन तंबाकू उत्पादों का कोई वास्तविक विक्रय नहीं था इसलिए अधिनियम की धारा 6 में अंतर्विष्ट निषेध खंड के भीतर ऐसा विक्रय नहीं आता, निराधार और अमान्य प्रतीत होती हैं । इसके अलावा, यह साक्ष्य के मूल्यांकन की परिधि में आती है इसलिए, इसे विचारण के समय पर उठाया जाना चाहिए था । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह इंगित किया गया है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) तीन तरह के अपराध सृजित करता है; पहला ऐसा व्यक्ति है जो उन लोगों को कई मादक पदार्थ देता या बेचता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है । यह किसी मादक पदार्थ के बारे में है । दूसरा भाग किसी वस्तु या पदार्थ के विक्रय के बारे में है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के नुकसानदेह है । इसमें तम्बाकू उत्पाद भी सम्मिलित होता है । इसमें कई नुकसानदेय वस्तु या पदार्थ होते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय हैं और यद्यपि तम्बाकू उत्पाद ऐसी वस्तु या पदार्थों में से एक हो सकता है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें असंगतता है या किसी भी दशा में यह 2003 के अधिनियम सं. 34 के किन्हीं उपबंधों के प्रतिकूल होगा । इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति

विक्रय के लिए विद्यालय परिसर के समीप किसी वस्तु या पदार्थ या मादक पदार्थ उपाप्त करता है तो उस पर केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118 (झ) में अंतर्विष्ट दांडिक उपबंध भी लागू होंगे । विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि न्यायालय को हमेशा विधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक उपबंधों का निर्वचन करना चाहिए । केरल पुलिस अधिनियम में धारा 118(झ) को सम्मिलित करने के पीछे विधान का आशय का उद्देश्य प्रसंशनीय था । विधान-मंडल के मस्तिष्क में विशेषकर 18 वर्ष से कम आयु के बालकों पर तंबाकू उत्पाद समेत मादक पदार्थों के हानिकर और दुष्परिणामिक प्रभाव का ज्ञान था और उस दुष्परिणाम के उपचार के लिए ही अधिनियम की धारा 118 में उपधारा (झ) सम्मिलित की गई । न्यायालयों को प्रायः कानून की संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा करनी चाहिए क्योंकि हमेशा यह उपधारणा है कि विधान-मंडल अपने लोगों की आवश्यकता को समझता है और ठीक ढंग से मूल्यांकन करता है । विद्वान् लोक अभियोजक का यह भी निवेदन है कि यद्यपि उद्देश्यों और कारणों के कथन में तारीख 15 मई, 1986 को आयोजित 39वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अपने 14वें आम बैठक द्वारा पारित तथा तारीख 17 मई, 1990 को 43वें विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपने 14वें आम बैठक के बारे में भी उल्लेख किया गया किंतु यह नहीं कहा गया कि 2003 का अधिनियम सं. 34 भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के विशेष उपबंध का अवलंब लेते हुए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था । अतः, यह तर्क किया गया कि संसद द्वारा पारित विद्यमान विधि अर्थात्, 2003 का अधिनियम सं. 34 ऐसे विषय की बाबत राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित विधि को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई आदि विषयक राज्य सूची के अधीन आता है । आगे यह तर्क किया गया कि केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(झ) के शामिल किए जाने का अर्थ विधान-मंडल द्वारा शामिल किए गए उपबंध के रूप में निकाला जा सकता है क्योंकि यह ऐसा विषय है जो राज्य सूची के अधीन आता है । अतः याचियों द्वारा दी गई दलील कि राज्य विधान-मंडल, केन्द्रीय कानून को अभिभावी करने के लिए कोई अधिनियमिति पारित नहीं कर सकता और इस प्रकार, धारा 118(झ) 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 के प्रतिकूल है, अमान्य और भ्रामक प्रतीत होता है । रिट याचिका सं. 29166/2011, 35189/2011 और 6318/2012 में यह घोषित करने का अनुरोध है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 द्वारा प्रतिकूल होने के

कारण असंवैधानिक और इसे अभिखंडित किया जाए । दूसरा अनुरोध दूसरे प्रत्यर्थी को याची के यान से अभिगृहीत वस्तुओं को छोड़े जाने का निदेश देने के बारे में है । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि रिट याचिकाओं में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) संविधान के अनुच्छेद 253 के प्रतिकूल है । केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(झ) राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित किया गया क्योंकि विषय-वस्तु अनुसूची 7 की सूची 2 के मद सं. 6 के अंतर्गत आती है । इस प्रकार इन याचिकाओं में किया गया अनुरोध कायम रखे जाने योग्य नहीं है । यान से अभिगृहीत वस्तुओं के अंतरिम छोड़े जाने से संबंधित निदेश न्यायालय द्वारा पहले ही जारी किया गया है जो इस अंतिम आदेश के अधीन होगा जो इस मामले में पारित किया जाए और जो मामले में पारित अधिहरण के आदेश के भी अधीन होगा । (पैरा 47, 48, 49, 52, 53, 55, 57 और 58)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 793 : **के. के. भास्करण** बनाम **राज्य** ;	56
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 139 : **आफसोर होल्डिंग (प्रा.) लिमिटेड** बनाम **बंगलौर विकास प्राधिकरण** ;	41
[2010]	(2010) 5 एस. सी. सी. 622 : **सतीदेवी** बनाम **प्रसन्ना** ;	22
[2010]	(2010) 11 एस. सी. सी. 593 : **सुप्रीम पेपर मिल्स लिमिटेड** बनाम **सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक, कलकत्ता और अन्य** ;	20
[2009]	(2009) 1 एस. सी. सी. 516 : **आर. कल्याणी** बनाम **जनक सी. मेहता और अन्य** ;	17
[2009]	(2009) 4 एस. सी. सी. 94 : **सैंट्रल बैंक आफ इंडिया** बनाम **केरल राज्य** ;	46
[2009]	(2009) 9 एस. सी. सी. 92 : **विजय नारायण थाटे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	24

[2008]	2008 (1) के. एल. टी. 340 : **कोमालन** बनाम **केरल राज्य** ;	23
[2008]	(2008) 4 एस. सी. सी. 720 : **आध्र प्रदेश सरकार** बनाम **पी. लक्ष्मी देवी** ;	56
[2005]	(2005) 10 एस. सी. सी. 437 : **झारखंड राज्य** बनाम **गोविंद सिंह** ;	19
[2004]	(2004) 4 एस. सी. सी. 489 : **प्राकृतिक गैस एसोसिएशन संघ** बनाम **भारत संघ** ;	43
[2004]	(2004) 10 एस. सी. सी. 1 : **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड** ;	47
[1992]	(1992) सप्ली. (1) एस. सी. सी. 323 : **भारत संघ** बनाम **देउकी नंदन अग्रवाल** ;	21
[1983]	ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 150 : **टी. बराई** बनाम **हेनरी** ;	40
[1983]	(1983) 4 एस. सी. सी. 45 : **होचेस्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड** बनाम **बिहार राज्य** ;	46
[1969]	ए. आई. आर. 1969 पृष्ठ 149 : **मैक्सवेल** ;	10
[1966]	ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1678 : **श्याम किशोरी देवी** बनाम **पटना नगर निगम** ;	21
[1963]	ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1638 : **श्री गोविन्दलाल जी** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	14
[1962]	ए. आई. आर. 1962 पटना 28 : **मुकतेश्वर राय और अन्य** बनाम **रामकेवल राय** ;	15
[1958]	ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 861 : **मजगांव डाक लिमिटेड** बनाम **आयकर और अधिक लाभकर आयुक्त** ;	12
[1957]	ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 297 : **ए. एस. कृष्ण** बनाम **मद्रास राज्य** ;	45

[1957]	ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 699 : **बाम्बे** बनाम **आर. एम. डी. चमरवागुवाला** ;	13
[1953]	(1953) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 312 : **लंदन एंड कंट्री कमर्शियल प्रोपर्टीज इनवेस्टमेंट लिमिटेड** बनाम **अटर्नी जनरल** ;	18
[1952]	ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 369 : **अश्विनी** कुमार **घोष** बनाम **अरविन्द घोष** ;	32
[1951]	ए. आई. आर. 1951 (38) एस. सी. 301 **एस. कृष्णन् और अन्य** बनाम **मद्रास राज्य** ;	13
[1951]	ए. आई. आर. (38) 1951 कलकत्ता 48 : **अमूल चन्द्र राय** बनाम **पशुपति नाथ** ;	13
[1887]	(1887) 19 क्यू. बी. डी. 629 (सीए) : **टक एंड संस** बनाम **परिस्टर** ।	18

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 4071.

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, एर्नाकुलम के सेशन विचारण सं. 9545/2011 के विरुद्ध अपील ।

याची की ओर से सर्वश्री मैथ्यु कोरियाकोस और जे. लथीस कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राजेश विजयन, लोक अभियोजक

न्या. एन. के. बालाकृष्णन् –

आदेश

पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा विधि के एक जैसे ही प्रश्न उठाए गए हैं । अत: इन मामलों का निपटान एक ही निर्णय से किया जा रहा है ।

2. इन मामलों में याचियों द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक दलील यह है कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 6 को लागू होने के लिए तम्बाकू उत्पाद का विक्रय ऐसे व्यक्ति को होना चाहिए जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो और विक्रय किसी शिक्षा संस्थान के 100 गज की परिधि

के क्षेत्र के भीतर में भी होना चाहिए ।

3. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 6 इस प्रकार है :–

> "कोई व्यक्ति सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद –
>
> (क) ऐसे किसी व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, और
>
> (ख) किसी शिक्षा संस्था के 100 गज की परिधि के भीतर क्षेत्र में विक्रय, विक्रय की प्रस्थापना या विक्रय की अनुज्ञा नहीं देगा ।"

4. याचियों की यह दलील है कि चूंकि शब्द का प्रयोग उन दो शर्तों के समुच्चय के रूप में किया गया है इसलिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए उन दोनों शर्तों का समाधान होना चाहिए कि व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध किया है । इसका दंडात्मक उपबंध उस अधिनियम की धारा 24 में अन्तर्विष्ट है ।

5. विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेश विजयन ने यह निवेदन किया कि यद्यपि "विरुद्ध" शब्द का उपयोग किया गया है, इसे विशिष्ट संदर्भ में समझा जा सकता है कि इसका प्रयोग वियोजक के रूप में किया गया है ।

6. याचियों के विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन कि जब कानून की भाषा सरल और स्पष्ट है तो निर्वचन के शाब्दिक निर्वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो साधारणत: स्वाभाविक अर्थ निकालने के अलावा शब्द का भिन्न अर्थ निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । अभियोजन के अनुसार धारा 6 को ठीक से पढ़ने पर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि इस विशिष्ट उपबंध में और शब्द का प्रयोग वियोजक भाव में किया गया है । धारा 6 के दो भागों को अलग-अलग किया जा सकता है और नियमानुसार समझा जा सकता है । पहले भाग को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है : कोई व्यक्ति सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को ऐसे किसी व्यक्ति को जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, को नहीं बेचेगा, विक्रय की प्रस्थापना नहीं करेगा या विक्रय की अनुज्ञा नहीं देगा । इसका यह अभिप्राय है कि विक्रय के स्थान के बावजूद यदि पूर्वोक्त उत्पाद किसी ऐसे व्यक्ति को बेचे जाते हैं जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है तो निश्चित रूप

से यह अधिनियम की धारा 6 के अधीन एक अपराध होगा । धारा 6 के दूसरे भाग को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है – कोई व्यक्ति सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को किसी शिक्षा संस्थान के 100 गज की परिधि के क्षेत्र के भीतर नहीं बेचेगा, बेचने की प्रस्थापना नहीं करेगा या बेचने की अनुज्ञा नहीं देगा । इसका यह अभिप्राय है कि उपभोक्ता की आयु को ध्यान दिए बिना ऐसा कोई तम्बाकू उत्पाद किसी शिक्षा संस्थान के 100 गज की परिधि के भीतर बेचा जाता है तो यह अधिनियम की धारा 6 के अधीन अपराध होगा । इसका यह अभिप्राय है कि धारा का पहला भाग विक्रय के स्थान पर ध्यान दिए बिना क्रेता की आयु को केन्द्रित करते हुए इससे एक अपराध बनाता है; धारा का दूसरा भाग उस व्यक्ति की आयु पर ध्यान दिए बिना अपराध के उस प्रतिषिद्ध क्षेत्र में विक्रय को अपराध बनाता है । इस प्रकार धारा दो अपराध बनते हैं ; दोनों भिन्न-भिन्न और पृथक्-पृथक् हैं । विधान-मंडल का कभी भी यह आशय नहीं हो सकता है । तम्बाकू उत्पाद का विक्रय 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शिक्षा संस्थान के 100 गज से परे स्थान पर बेचा जाए । न ही यह आशय हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे उत्पादन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति को उस प्रतिषिद्ध क्षेत्र में बेच सके ।

7. अधिनियम का पुर:स्थापन संसद् द्वारा सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन का प्रतिषेध करने और उत्पादन आपूर्ति और वितरण के विनियमन के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता महसूस होने पर किया गया । विद्वान् अभियोजन का यह निवेदन है कि तम्बाकू धूम्रपान (निष्क्रिय धूम्रपान) से लोगों के प्रभाव को कम करने तथा अल्प वयस्कों को तम्बाकू उत्पाद के विक्रय का निवारण करने भ्रामक विज्ञापनों का शिकार बनने से उन्हें संक्रमित करने से स्वीकृत को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न उपबंध सम्मिलित किए गए थे । संविधान में अनुष्ठापित स्वस्थप्रद जीवनशैली और प्राण के अधिकार का संरक्षण प्रमुख संरक्षण बात महसूस की गई थी । क्योंकि सिगरेट या तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन का प्रतिषेध करने और उसके व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह समीचीन था । अत: पूर्वोक्त अधिनियम, (2003 का अधिनियम सं. 34) संसद् द्वारा पारित किया गया ।

8. धारा 24 को भी निर्दिष्ट करना श्रेयस्कर होगा जो इस प्रकार है :–

"(1) कोई व्यक्ति जो धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा और ऐसे जुर्माने से भी दंडनीय होगा जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन सभी अपराध शमनीय होंगे और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्तत: विचारणीय होंगे ।"

9. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि धारा 6 के दो भागों को (क) और (ख) के रूप में पृथक्-पृथक् दर्शाया गया है । यह भी इस तथ्य का सूचक है कि "और" शब्द का केवल वियोजक के रूप में प्रयोग किया गया है ।

10. **मैक्सवेल**[1] वाले मामले में कानूनों के निर्वचन में समुच्चय बोधक 'या' और 'और' पर विचार करते हुए यह कहा गया है :–

"विधान-मंडल के आशय के क्रियान्वयन के लिए समुच्चय बोधक 'या' और 'और' को एक दूसरे के लिए पढ़ा जाना प्राय: आवश्यक हो जाता है ।"

शब्द 'और' प्रसामान्यत: समुच्चय बोधक है और शब्द 'या' प्रसामान्यत: वियोजक बोधक है । किंतु कभी भी उन्हें संदर्भ से यथा प्रकटित विधान-मंडल के स्पष्ट आशय को प्रभावी बनाने के लिए विलोमत: पढ़ा जाता है ।

11. **बाम्बे** बनाम **आर. एम. डी. चमरवागुवाला**[2] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाम्बे लाटरी और इनाम प्रतिस्पर्धा अधिनियम और कर अधिनियम (1948 का 54) में यथा व्यक्त विधान-मंडल के स्पष्ट आशय को प्रभावी बनाने के लिए 'या' को 'और' के रूप में पढ़ा ।

12. **मजगांव डाक लिमिटेड** बनाम **आयकर और अधिक लाभकर आयुक्त**[3] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'या' शब्द को 'और' के रूप में पढ़ा गया, क्योंकि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 42(2) में 'या' को पढ़ने से निकालने वाला परिणाम आशयित नहीं हो सकता था ।

13. **एस. कृष्णन् और अन्य** बनाम **मद्रास राज्य**[4] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान

---

[1] ए. आई. आर. 1969 पृष्ठ 149.

[2] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 699.

[3] ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 861.

[4] ए. आई. आर. (38) 1951 एस. सी. 301.

के अनुच्छेद 22 के खंड 7 के उपखंड (क) में प्रयुक्त 'और' शब्द को वियोजक बोधक समझा जाना चाहिए । विद्वान् लोक अभियोजक ने भी **अमूल चन्द्र राय** बनाम **पशुपति नाथ**[1] वाले मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय का अवलंब लिया जहां बंगाल किराया अधिनियम, 1885 (1885 का 8) की धारा 168-क का निर्वचन करते हुए यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "'और' को 'या' के रूप में युक्तियुक्तत: अर्थ निकाला जा सकता है जब विधान-मंडल का आशय स्पष्ट है और जब कोई अन्य अर्थ ऐसे आशय को विफल कर देगा ।"

14. राजस्थान नाथद्वारा वाला मंदिर अधिनियम की धारा 5(2) के उपखंड (क) से (च) का निर्वचन करते हुए **श्री गोविन्दलाल जी** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपखंड (ज) में 'या' शब्द को निस्संदेह 'और' होना चाहिए क्योंकि संदर्भ से स्पष्टत: ऐसा ही उपदर्शित होता है ।

15. **मुकतेश्वर राय और अन्य** बनाम **रामकेवल राय**[3] वाले मामले के विनिश्चय का अवलंब विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा लिया गया जहां यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "न केवल कानूनों बल्कि दस्तावेजों में भी कभी-कभी 'और' तथा 'या' दो शब्दों का प्रयोग समानार्थक और एक ही अर्थ में किया जाता है । वह उसी कानून या दस्तावेज में अन्य उपबंधों के संदर्भ में अर्थ पर निर्भर करेगा ।"

अत: इन विनिश्चयों के आलोक में इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 6(क) और 6(ख) के बीच प्रयुक्त 'और' शब्द को वियोजक बोधक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए ।

16. याचियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि दंडात्मक कानूनों का कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए कि भाषा की अभिव्यक्ति किसी अपराध के तत्वों को स्थिर करने वाले सुनिश्चित शब्दों का निर्वचन करते

---

[1] ए. आई. आर. (38) 1951 कलकत्ता 48.

[2] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1638.

[3] ए. आई. आर. 1962 पटना 28.

समय किसी अपराध का सर्जन करने के लिए होना चाहिए । इंटरप्रिटेशन आफ स्टेट्यूज (12वां संस्करण) में मैक्सवेल का यह कहना है कि :–

> "दंडात्मक कानूनों का कठोर अर्थान्वयन चार तरीके से किसी अपराध के सृजन के लिए व्यक्त भाषा की अपेक्षा में ; अपराध के तत्वों को स्थिर करने के लिए सुनिश्चित शब्दों के निर्वचन में दंड अधिरोपित करने की कानूनी पूर्ववर्ती शर्तों के शब्दों की पूर्णतया की अपेक्षा में ; और आपराधिक प्रक्रिया और अधिकारिता से संबंधित तकनीकी उपबंधों के कठोर पालन पर बल देने में स्वयं स्पष्ट प्रतीत होता है ।"

17. आगे यह भी तर्क किया गया है कि किसी आपराधिक कानून में व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपित अपराध विधि की भाषा के भीतर है । यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित किया गया है कि विधि का आशय हमेशा व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करना है और इस स्पष्ट सिद्धांत पर कि दंड की शक्ति विधान-मंडल में इंगित है न कि न्यायिक विभाग में । अत: विधान-मंडल, न कि न्यायालय ऐसी सत्ता है जिसे किसी अपराध को परिभाषित करना है और अपने दंड को आदिष्ट करना है । न्यायालय को धारा के अर्थान्वयन में सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वह शास्ति अधिरोपित करता है । यदि ऐसा युक्तियुक्त निर्वचन है जो किसी विशिष्ट मामले में शास्ति को बचाता हो तो ऐसा अर्थान्वयन जो अभियुक्त के अनुकूल हो, अंगीकार किया जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में जब तक शास्तियां स्पष्ट शब्दों में अधिरोपित न हों वे प्रवर्तनीय नहीं हैं । इस प्रकार विद्वान् काउंसेल के अनुसार धारा का निर्वचन यह अभिनिर्धारित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए कि दोनों अंगों का उपयोग समुच्चय बोधक के रूप में किया गया है और यह कि अपराध गठित करने के लिए दोनों अंगों के अधीन अपेक्षित तत्वों का समाधान होना पाया गया है । इस निवेदन के समर्थन में कि दंडात्मक कानूनों का कठोर अर्थान्वयन किया जाना चाहिए कि विद्वान् काउंसेल ने **आर. कल्याणी** बनाम **जनक सी. मेहता और अन्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

---

[1] (2009) 1 एस. सी. सी. 516.

18. **टक एंड संस** बनाम **परिस्टर**[1] वाले मामले जिसका अनुसरण **लंदन एंड कंट्री कमर्शियल प्रोपर्टीज इनवेस्टमेंट लिमिटेड** बनाम **अटर्नी जनरल**[2] वाले मामले में किया गया, यह कहा गया है :–

> "हमें उस धारा का अर्थान्वयन करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यह शास्ति अधिरोपित करती है । यदि ऐसे युक्तियुक्त निर्वचन को जो किसी विशिष्ट मामले में शास्ति से बचाती हो तो हमें ऐसा अर्थान्वयन स्वीकार करना चाहिए । जब तक शास्तियां स्पष्ट शब्दों में अधिरोपित न हो वे प्रवर्तनीय नहीं हैं । ऐसी दशा में भी जहां किसी धारा के भिन्न-भिन्न निर्वचन ग्राह्य हों वहां ऐसे विशिष्ट निर्वचन को स्वीकार करने के प्रति ठोस कारण हैं यदि यह प्रतीत हो कि इसका परिणाम अयुक्तियुक्त या दमनकारी होगा ।"

19. **झारखंड राज्य** बनाम **गोविंद सिंह**[3] वाले मामले में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया :–

> "जहां भाषा स्पष्ट हो वहां विधान-मंडल का आशय प्रयुक्त भाषा से निकाला जाना चाहिए और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है । उस मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि झारखंड यद्यपि 1990 के बिहार अधिनियम सं. 9 द्वारा यथासंशोधित वन अधिनियम, 1927 की धारा 52(3) में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है । फिर भी वन अपराध के किए जाने में अभिकथित रूप से अन्तर्ग्रस्त अभिगृहीत यान को अधिहरण के बदले जुर्माने के संदाय पर छोड़ा जा सकता है ।"

यह स्वयं सिद्ध है कि ऐसी कोई दुविधा या अस्पष्टता नहीं है और विधान-मंडल का आशय स्पष्ट है तो न्यायालय के लिए उस उपबंध में कुछ भी पढ़ने के लिए कोई प्रयास करने की कोई गुंजाइश नहीं है जो विधान-मंडल ने जानबूझकर अपनी प्रज्ञा से लोप कर दिया है । ऐसी कसरत कानूनी उपबंधों का संशोधन करने या परिवर्तित करने के समान होगा । याची के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क है । किंतु यहां 2003 का अधिनियम सं. 34 की धारा 6 असंदिग्ध और अस्पष्ट है कि उस धारा के दोनों भाग सुभिन्न

---

[1] (1887) 19 क्यू. बी. डी. 629 (सीए).

[2] (1953) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 312.

[3] (2005) 10 एस. सी. सी. 437.

और पृथक्-पृथक् हैं ।

20. याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा **सुप्रीम पेपर मिल्स लिमिटेड** बनाम **सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक, कलकत्ता और अन्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय का भी अवलंब लिया गया । वहां इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "विधि में यह सुस्थिर सिद्धांत है कि न्यायालय किसी ऐसे कानूनी उपबंध में कोई बात नहीं जोड़ सकता है जो स्पष्ट और संदिग्ध है । स्वयं कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का अवधारण करती है और उपदर्शित करती है । यदि भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है तो न्यायालय के लिए कानून में न पाए गए किसी विधायी आशय को विकसित करने के लिए उसमें कोई शब्द जोड़ना उचित नहीं होगा ।"

21. याची के विद्वान् काउंसेल श्री मैथ्यु कोरियाकोस ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क किया कि न्यायालय विधान को पुन: नहीं लिख सकता या पुन: निर्मित या पुनर्जीवित नहीं कर सकता । जब उसमें कतई कोई संदिग्धता न हो । उस निवेदन के समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **भारत संघ** बनाम **देउकी नंदन अग्रवाल**[2] और **श्याम किशोरी देवी** बनाम **पटना नगर निगम**[3] वाले मामलों के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

22. **सती देवी** बनाम **प्रसन्ना**[4] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "निर्वचन का दूसरा महत्वपूर्ण यह नियम है कि न्यायालय विधान को पुनर्जीवित, पुनर्निर्मित या पुनर्विरचित नहीं कर सकता क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है । न्यायालय कानून में शब्दों को जो नहीं जोड़ सकता या ऐसे शब्दों को नहीं पढ़ सकता जो उसमें नहीं हैं । फिर भी यदि कानून में कोई खामी या लोप है तो न्यायालय खामी को नहीं सुधार सकता या लोप को दुरस्त नहीं कर सकता ।"

23. श्री मैथ्यु कोरियाकोस द्वारा **कोमालन** बनाम **केरल राज्य**[5] वाले

---

[1] (2010) 11 एस. सी. सी. 593.
[2] (1992) सप्ली. (1) एस. सी. सी. 323.
[3] ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1678.
[4] (2010) 5 एस. सी. सी. 622.
[5] 2008 (1) के. एल. टी. 340.

मामले के विनिश्चय का भी अलंब लिया । इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया :–

> "अब यह सुस्थिर है कि प्रयोजन मूलक निर्वचन के सिद्धांतों का अनुसरण यह सुनिश्चित करने में किया जाना चाहिए जहां कि क्या दंडात्मक उपबंध के निर्वचन में भी दो युक्तियुक्त मत संभव हैं या नहीं । मात्र इस कारण कि, काउंसेल के लिए ऐसी प्रतिपादना का करना संभव है जिसे संभाव्य युक्तियुक्त मत के रूप में नहीं गिना जा सकता । निर्वचन विधान-मंडल के विवेक को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है । विवेक का निर्धारण एकांत में बैठकर नहीं किया जा सकता जहां अभियुक्त के पक्ष में निर्वचन के सिद्धांत व्याख्यातक हो, सूचित करती है । ऐसी रिष्टि की प्रकृति जिसे विधान निवारित करना कहा जाता है, अधिनियम की स्कीम और प्रयोजन और ऐसी रिष्टि को निवारित करने में अपनाए गए तरीके पर यह विनिश्चित करने के लिए विचार में लाना होगा कि क्या प्रतिस्पर्धा मत युक्तियुक्त और संभव है ।"

24. **विजय नारायण थाटे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "हमारी राय में जब कानून की भाषा साफ और स्पष्ट है तो निर्वचन के शाब्दिक निर्वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए और मामूली तौर पर साम्या, लोक-हित या विधान-मंडल का आशय निकालने पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है । यह जब संभव है जब कानून की भाषा स्पष्ट नहीं है या असंदिग्ध है या उसमें कुछ विरोध आदि है या साफ भाषा से कोई बेतुकापन निकलता है जिससे व्यक्ति निर्वचन के शाब्दिक नियम से विपथित हो सकता है ।"

25. विद्वान् लोक अभियोजक ने दूसरे पहलू पर भी न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया :–

> "कानूनी आदेश 238(ङ) तारीख 25.2.2004 के अनुसार 2003 का अधिनियम सं. 34 की धारा 6(क) 1.5.2004 से प्रवृत्त हुई । दूसरा भाग ; धारा 6(ख) शा. का. नि. 687(अ) तारीख 18.9.2009 की अधिसूचना द्वारा 18.9.2009 से प्रवृत्त हुई । यह भी अभिनिर्धारित

---

[1] (2009) 9 एस. सी. सी. 92.

करने के लिए एक अन्य संकेत देता है कि संसद् ने उस उपबंध को दो पृथक् और भिन्न-भिन्न अंगों के रूप में पुर:स्थापित किया गया । दोनों, दंडनीय थे इसलिए धारा 6(क) पूर्वतर तारीख को प्रवृत्त हुआ और धारा 6(ख) की बाबत अधिसूचना पश्चात्वर्ती तारीख को जारी की गई ।"

26. विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेश विजयन द्वारा एक ओर बिन्दू का भी पक्ष पोषण किया गया । सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2004 का नियम 5 ऐसे अल्प वयस्कों को विक्रय, प्रतिषेध के बारे में है जो अधिनियम की धारा 6 विषयक् नियम है जो पृथक्त: अल्पवयस्कों को विक्रय और ऐसे स्थान के बारे में जहां तम्बाकू उत्पाद को बेचा जाए, के बारे में पृथक्त: है । नियम यह उपबंध करता है कि ऐसे स्थान का स्वामी या प्रबन्धक या कार्य प्रभारी जहां सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों को बेचा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा, कोई तम्बाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा वेडिंग मशीन के माध्यम से न बेचा जाए या न प्रबन्धन किया जाए । नियम 5(2) यह स्पष्ट करता है कि विक्रेता संदेह की दशा में तम्बाकू क्रेता से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने का समुचित साक्ष्य देने का अनुरोध कर सकता है । विक्रय के स्थान की बाबत ; नियम 5(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के स्थान के संबंध में पृथक्त: उपबंध करता है ।

27. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क किया गया कि अधिनियम की धारा 24 के अधीन विहित दंड केवल जुर्माना है जो 200/- रुपए हो सकता है, अन्य परिणाम अर्थात् अधिनियम की धारा 13 और 14 के अधीन यथा उपबंधित माल का अभिग्रहण और अभिहरण है, भी हो सकता है । धारा 14 उस धारा में वर्णित ऐसे तम्बाकू उत्पादों और अन्य उत्पादों के अधिहरण को सशक्त करती है जिसकी बाबत अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन युक्त पाया गया है । यदि यह पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे से यह अभिगृहीत किया गया था, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं था तो न्यायालय को ऐसे पैकेज के अधिहरण का आदेश देने और अधिनियम के उपबंधों के भंग के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य आदेश करने के बजाय ऐसे अन्य आदेश करने का विवेकाधिकार है ।

28. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 15 का यह कहना है कि

जब कभी सिगरेट या किसी तम्बाकू उत्पाद के किसी पैकेज का कोई अधिहरण उस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तो इसका न्यायनिर्णयन करने वाला न्यायालय ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिहरण के न्यायनिर्णयन करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उसके स्वामी को अधिहरण के बदले लागत का भुगतान करने का विकल्प दे सकता है जो अधिहृत माल के मूल्य के समान हो । अधिनियम की धारा 17 में यह कहा गया है कि मूल अधिकारिता वाले प्रमुख सिविल न्यायालय को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के अन्य अधिहरण करने के न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता है । विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि ये उपबंध स्पष्ट करते हैं कि अपराध के लिए विहित दंड केवल जुर्माना है जो 200/- रुपए हो सकता है किंतु अधिहरण के बदले लागत के संदाय या माल के अधिहरण से संबंधित उपबंध समाज के हित का पर्याप्त रूप से सुरक्षोपाय करते हैं ।

29. जहां तक इस मामले का संबंध है इसमें कतई कोई संदिग्धता नहीं है । यह बिलकुल साफ है कि अधिनियम की धारा 6 के दो भिन्न-भिन्न भाग हैं और दोनों स्वतंत्र अपराध हैं । इसमें कोई संदिग्धता या दुरुहता नहीं है । विधान-मंडल का आशय स्पष्ट है । अतः याची द्वारा दिया गया तर्क कि न्यायालय के समक्ष कानूनी उपबंध को संशोधित करने या परिवर्तित करने के कार्य को नवीकृत या उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है । स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि अधिनियम की धारा 6 में प्रयुक्त "और" शब्द वियोजककारी है ।

30. धारा 24, केवल धारा 6 के अधीन अपराध से संबंधित दांडिक उपबंध है । विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेश विजयन का यह निवेदन है कि यदि वस्तुतः धारा 6 में केवल एक ही प्रवर्ग का अपराध है जैसा याचियों की दलील है तो धारा 24 की उपधारा (1) या (2) में यथादर्शित "उपबंधों" और "सभी अपराधों" जैसे बहुवचनों का प्रयोग विधान-मंडल द्वारा नहीं किया जाता अतः, यह भी इस मत को बल प्रदान करता है कि धारा 6 की उपधारा (क) और (ख) सुभिन्न और अलग-अलग हैं ।

31. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पूर्वोक्त धारा में "और" शब्द के ठीक पहले "अर्धविराम" आता है । यह तर्क किया जा सकता है कि कानून के अर्थान्वयन में विराम चिह्न का केवल थोड़ा महत्व है । अतः, प्रायः इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । किंतु वहीं, जब किसी कानून में सावधानीपूर्वक विराम चिह्न लगाया जाता है और इसके अर्थ के

बारे में कोई संदेह होता है तो निःसंदेह विराम चिह्न को भी महत्व दिया जाना चाहिए । यदि विधान-मंडल का आशय "और" शब्द का अर्थान्वयन संयोजक के रूप में करना होता तो "और" शब्द के ठीक पहले आने वाला अर्धविराम न लगाया गया होता । अतः, इस मामले में "और" शब्द से ठीक पहले आने वाले अर्धविराम की स्थिति का भी पर्याप्त महत्व है ।

32. **अश्विनी कुमार घोष** बनाम **अरविन्द घोष**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया :–

> "कुल मिलाकर विराम चिह्न का कानून के अर्थान्वयन में थोड़ा महत्व है और अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । स्टीफैंसन बनाम टेलर वाले मामले में मुख्य न्यायमूर्ति काकबर्न ने कहा कि 'संसदीय नामावली में कोई विराम चिह्न नहीं है अतः हम मुद्रित प्रतियों में उसके द्वारा आबद्ध नहीं हैं ।' तथापि, यह प्रतीत होता है कि 1850 से मुद्रित वेल्लम प्रतियों में विराम चिह्न के कुछ मामले हैं और जब वे आते हैं तो तत्कालीन व्याख्या के रूप में देखा जा सकता है, कानून विधि पर क्रेज की पुस्तक, पृष्ठ 185 देखें । जब किसी कानून में सावधानीपूर्वक विराम चिह्न लगाया जाता है और इसके अर्थ के बारे में कोई संदेह होता है तो निःसंदेह विराम चिह्न को महत्व दिया जाना चाहिए, कानूनी निर्वचन पर क्राफोर्ड की पुस्तक पृष्ठ 343 देखें । मैं यह इनकार नहीं कर सकता हूं कि कुछ मामलों में विराम चिह्न का अपना उपयोग हो सकता है किंतु इसे निश्चिततः नियंत्रक तत्व के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और किसी पाठ के सामान्य अर्थ का नियंत्रण करने के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जा सकता, (वही) ।"

33. यह तर्क किया गया है कि हो सकता है कि उस समय "अर्धविराम" था जब धारा का प्रारूपण किया गया किंतु हो सकता है कि यह उस समय मुद्रक लगाया गया जब अधिनियम मुद्रित किया गया । किंतु यथामुद्रित अधिनियम को स्वीकार करना अधिक स्वाभाविक है क्योंकि यह सम्पूर्ण विधायी प्रक्रिया का उत्पाद है और मुद्रित अधिनियम में पाई गई सभी बातों पर सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए । किंतु जब तक मुद्रित अधिनियम में ऐसा विराम चिह्न अंकित है और क्योंकि किसी समय विराम चिह्न पर आक्षेप नहीं लगाया गया, केवल यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि विराम चिह्न (यहां "अर्धविराम") वहां था जब धारा का प्रारूपण किया गया और इसे ठीक-ठीक मुद्रित किया गया । अतः, अर्धविराम जिसे

---

[1] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 369.

यथा उपरोक्त वर्णित "और" शब्द के पहले पाया गया है, सामान्यतः उपेक्षित नहीं किया जा सकता । वस्तुतः, धारा 6 का निर्वचन धारा 6(क) के ठीक पश्चात् पाए गए अर्धविराम के आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि इसे अतिरिक्त कारक या सहायक के रूप में भी यह अभिनिर्धारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि दो उपबंध; धारा 6 की उपधारा (क) और (ख) सुभिन्न और अलग-अलग हैं ।

34. विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेश विजयन का भी निवेदन है कि शिक्षा संस्था और शिक्षा संस्था से दूरी के बारे में विचार सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (शिक्षा संस्था द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) नियम, 2009 में किया गया है जहां नियम 2(ख) में निम्नलिखित रूप से शिक्षा संस्था को परिभाषित किया गया है :–

> " इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
>
> (ख) 'शिक्षा संस्था' से ऐसा स्थान या केन्द्र अभिप्रेत है जहां विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है और इसके अंतर्गत समुचित प्राधिकारी द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय/महाविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्था सम्मिलित हैं ।"

नियम 3(2) में अधिनियम की धारा 6 को स्पष्ट करते समय यह कहा गया है कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट एक सौ गज की दूरी की माप यथास्थिति शिक्षा संस्था की बाहरी दीवार या बाड़े के बाहरी सीमा से व्यासतः आरंभ करते हुए की जाएगी । अब विचारार्थ अगला प्रश्न यह है कि क्या संघ विधि और राज्य विधि के बीच विरोध है अर्थात् क्या केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(i) 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा के प्रतिकूल है ।

35. संविधान का अनुच्छेद 246 इस प्रकार है :–

> "246. (1) खंड (2) और खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में (जिसे इस संविधान में 'संघ सूची' कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।
>
> (2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को और खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सातवीं अनुसूची की सूची 3 में (जिसे इस संविधान में 'समवर्ती सूची' कहा

गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है ।

(3) खंड (1) और खंड (2) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मंडल को सातवीं अनुसूची की सूची 2 में (जिसे इस संविधान में 'राज्य सूची' कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

(4) संसद् को भारत के राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो ।"

36. विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेश विजयन का यह निवेदन है कि अनुसूची 7 की सूची 2 के प्रवर्ग 6 के अधीन उपवर्णित लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय से यह स्पष्ट होता है कि राज्य विधान-मंडल को लोक स्वास्थ्य की बाबत विधियां बनाने की शक्ति हैं । तम्बाकू उत्पाद का विक्रय प्ररोक जो लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, अनुसूची 7 की सूची 2 के प्रवर्ग 6 के अधीन आता है । इस प्रकार, केरल पुलिस अधिनियम, 2011 को अधिनियमित करने या इसमें धारा 118(i) को निगमित करने के बारे में विधान-मंडल की सक्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है ।

37. "118ञ. ऐसा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार है :–

(i) उनको कोई मादक पदार्थ देता है या बेचता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है या ऐसे बच्चों को कोई वस्तु या पदार्थ देता है या बेचता है जो उनको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकर है या उसे उस प्रयोजन के लिए स्कूल परिसर के समीप उपाप्त करता है ।"

38. संविधान का अनुच्छेद 254 इस प्रकार है :–

" (1) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद् सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति,

संसद् द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या विद्यमान विधि, अभिभावी होगी और उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की सीमा तक शून्य होगी ।

(2) जहां राज्य के विधान-मंडल द्वारा समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद् द्वारा पहले बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है तो यदि ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो वह विधि उस राज्य में अभिभावी होगा :

परंतु इस खंड की कोई बात संसद् को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी ।"

39. याची के विद्वान् काउंसेल श्री सी. एस. मानु ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया कि जैसा उद्देश्यों और कारणों के कथन से देखा जा सकता है । 2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन संसद् द्वारा पारित एक विधान है जो यह उल्लेख करता है :–

"246. **संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषयवस्तु** – (1) खंड (2) और खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में (जिसे इस संविधान में 'संघ सूची' कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को और खंड (1) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान-मंडल को भी, सातवीं अनुसूची की सूची 3 में (जिसे इस संविधान में 'समवर्ती सूची' कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है ।

(3) खंड (1) और खंड (2) के अधीन रहते हुए, किसी राज्य के विधान-मंडल को सातवीं अनुसूची की सूची 2 में (जिसे इस संविधान

में 'राज्य सूची' कहा गया है) प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।

(4) संसद् को भारत के राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के लिए (जो किसी राज्य) के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों न हो ।"

40. विद्वान् काउंसेल के अनुसार 2011 के केरल पुलिस अधिनियम सं. 8 को भारत के राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त नहीं हुई और इस प्रकार उस अधिनियम के उपबंध जो उसके अनुसार 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 में अन्तर्विष्ट उपबंधों से असंगत है, का कोई अभिभावी प्रभाव नहीं हो सकता । सर्वप्रथम लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची के अन्तर्गत नहीं आता बल्कि राज्य सूची अर्थात् अनुसूची 7 की सूची 2 के खंड 6 के अधीन आता है । यदि समवर्ती सूची से संबंधित कोई पूर्ववर्ती संघ विधि राष्ट्रपति की शक्ति के अधीन विद्यमान थे, तो राज्य अधिनियम का विद्यमान संघ विधि पर अभिभावी प्रभाव या प्रमुखता रखने की अपेक्षा होगी । इस प्रकार **टी. बराई** बनाम **हेनरी**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय का विनिश्चय इस मामले के तथ्यों को लागू होता है ।

41. विधान बनाने की शक्ति अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 246 से उद्भूत होती है । यह तर्क किया गया है कि राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टियां विधायी शक्ति का स्रोत नहीं हैं । किंतु वे मात्र विधान के विषय या क्षेत्र रेखांकित करते हैं । इस संबंध में **आफसोर होल्डिंग (प्रा.) लिमिटेड** बनाम **बंगलौर विकास प्राधिकरण**[2] वाले विनिश्चय का अवलंब लिया गया है । वहां यह अभिनिर्धारित किया गया था :–

"न्यायालयों का लगातार यह मत रहा है और यह सुस्थिर विधि है कि तीनों सूची की विभिन्न प्रविष्टियां विधान की शक्तियां नहीं हैं बल्कि विधान के क्षेत्र हैं । विधान बनाने की शक्ति अन्य के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 246 से उद्भूत होती है । अनुच्छेद 246(2) शक्ति का स्रोत होते हुए सर्वोपरि खंड शामिल करती है, खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी संसद् को और खंड (1) के

---

[1] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 150.

[2] (2011) 3 एस. सी. सी. 139.

अधीन रहते हुए किसी विधान-मंडल को सूची (3) में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है । अनुच्छेद 246 स्पष्टत: दो विधायी संघटकों की विधायी शक्ति के क्षेत्र से निर्धारित करती है । यह स्पष्टत: जो उल्लेख करती है कि किस क्षेत्र में सुसंगत संवैधानिक सूची के प्रति निर्देश से किस विधायी संघटक को संविधान के अनुच्छेद 246 के निबंधनानुसार विधि बनाने की शक्ति है । जहां राज्यों को सूची II से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 246(2) के अधीन विधान बनाने की अनन्य शक्ति होगी ; समवर्ती सूची किसी विधायी संघटकों द्वारा विधायी अधिनियमित करने के लिए क्षेत्र खुला रखती है ।"

42. विद्वान् काउंसेल द्वारा यह तर्क किया गया है कि यदि विधान-मंडल उस विषय की बाबत किसी विशिष्ट के प्रति निर्देश से अधिनियमित करता है जिसकी बाबत संसद् को विधि अधिनियमित करने की शक्ति है और यदि इस प्रकार अधिनियमित दोनों विधियों के बीच अप्रतिरोध्य विरोध है तो राज्य विधि मृत विधि होगी और यह केन्द्रीय विधि के पक्ष में समाहित हो जाएगा । विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजेश विजयन ने यह इंगित करते हुए इस तर्क का खंडन किया कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(i) जिसको चुनौती याची द्वारा दी गई है, विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था जो लोक स्वास्थ्य से संबंधित राज्य सूची, (सूची II) के मद सं. 6 के अधीन आता है ।

43. श्री राजेश विजयन द्वारा यह भी तर्क किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 246(1) में अधिकथित संघात्मक प्रमुखता की अवधारणा का अवलंब प्रसामान्यत: तभी लिया जाना चाहिए तो विरोधी जिनका प्रकट और अप्रतिरोध्य होगा कि दोनों विधियों का सह-अस्तित्व संभव न हो । **प्राकृतिक गैस एसोसिएशन संघ** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ द्वारा यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया :–

"भारत का संविधान 7वीं अनुसूची में प्रगणित विभिन्न विषयों की बाबत राज्य विधान-मंडल और संसद् द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्तियों को समाहित करता है । शक्तियों के वितरण से संबंधित नियम को भाग II में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों से अनुसूची की तीनों सूचियों में उपवर्णित से और एकत्र किया जाना चाहिए । संघ और

[1] (2004) 4 एस. सी. सी. 489.

विधान-मंडल दोनों की विधायी शक्तियां संक्षिप्त रूप में दी गई हैं । सूचियों की प्रविष्टियां स्वयमेव विधान-मंडल की शक्तियां नहीं हैं बल्कि विधान के क्षेत्र हैं । तथापि, एक सूची की प्रविष्टि का निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जा सकता जिससे कि यह दूसरी प्रविष्टि को रद्द या निराकृत करती हो या अन्य प्रविष्टि को निरर्थक बनाती हो । प्रकट विरोधी की दशा में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दुविधा को दूर करे और विरोध को सुलझाकर विरोध से बचे । यदि कोई प्रविष्टि अभिभावी होती है या किसी दूसरी प्रविष्टि के प्रकट विरोध में है तो इसका सामंजस्यपूर्ण समाधान निकालने का हर संभव प्रयास किया जाएगा ।"

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सूची (1) और सूची (2), दोनों सूचियों की प्रविष्टियों का अर्थान्वयन इस तरह किया जाए जिससे कि विरोध से बचा जा सके । न्यायालय को सर्वप्रथम यह विनिश्चय करना चाहिए कि वस्तुत: कोई विरोध है । यदि कोई विरोध नहीं है तो संविधान के अनुच्छेद 246(2) के सर्वोपरि खंड के प्रयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

44. यदि प्रथमदृष्ट्या कोई विरोध है तो यह पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या दोनों प्रविष्टियों के बीच सामंजस्य लाना संभव है जिससे ऐसे विरोध से बचा जा सके । यह तभी है जब संघ विधि और राज्य विधान-मंडल की विधि के बीच स्पष्ट और असंगत विरोध है । यह कहा जा सकता है कि संघ की विधि अभिभावी होगी । यदि ऐसे मामले में भी न्यायालय यह जांच करने की कार्यवाही कर सकती है कि क्या यह केवल विधान-मंडल के दूसरे क्षेत्र पर अतिक्रमण है जिसकी उपेक्षा की जा सकती है ।

45. **सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में इस उक्ति को दोहराया गया है कि एक अन्य विधान-मंडल को समनुदेशित क्षेत्र ने आनुशंगिक दखल की उपेक्षा की जानी चाहिए ।

ए. एस. कृष्ण बनाम **मद्रास राज्य**[2] वाले मामले में यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया :–

"जब कोई विधि इस आधार पर आक्षेपित है कि यह विधान-मंडल की उन शक्तियों के अधिकारातीत है जिसने इसे अधिनियमित किया

---

[1] (2009) 4 एस. सी. सी. 94.

[2] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 297.

तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधान की सही प्रकृति क्या है । ऐसा करने के लिए समग्र अधिनियमिति, इसके उद्देश्यों और इसके उपबंधों की व्याप्ति और प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए । यदि ऐसी जांच पर यह पाया जाता है कि विधान सारतः विधान-मंडल को समनुदेशित विषयों में से एक है तो इसे समग्रतः विधिमान्य अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए चाहे यह आनुशंगिकतः ऐसे मामलों में दखल करता हो जो उसकी सक्षमता से परे हो ।"

पूर्वोक्त विनिश्चय का अवलंब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया** बनाम **केरल राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में लिया गया ।

46. **होचेस्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में भी इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया :–

"विधान का क्षेत्र रेखांकित किए जाने के बावजूद भी संसद् द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के बीच असंगतता का प्रश्न केवल ऐसे मामलों में उद्भूत हो सकता है जब समवर्ती सूची में परिगणित विषयों में से किसी एक विषय की बाबत उसी क्षेत्र पर दोनों विधान-मंडलों ने विधि बनाई हो और प्रत्यक्ष विरोध देखा गया हो । यदि एक ओर सूची II और दूसरी ओर सूची I और सूची III के बीच अभिभावी होने के कारण विसंगति पाई गई हो तो राज्य विधि अधिकारातीत होगी और संघ विधि को आगे जाने का मार्ग देना होगा ।"

"जहां अधिकांश प्रविष्टियों वाली तीन सूचियां हैं वहां उनके बीच कुछ अतिव्याप्तियां होना लाजमी हैं । ऐसी स्थिति में सार और तत्व के सिद्धांत को यह अवधारित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए कि प्रविष्टि विधान के किस भाग के संबंध में है । एक बार जब वह अवधारित हो जाता है तो अन्य विधान-मंडल को आरक्षित क्षेत्र में किसी आनुशंगिक दखल का कोई महत्व नहीं रह जाता । न्यायालय को विषय के सार पर ध्यान देना चाहिए । सार और तत्व के सिद्धांत को कभी-कभी विधान के सही प्रकृति को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्त किया जाता है । विधान-मंडल द्वारा विधान का दिया गया नाम महत्वहीन है । समग्र अधिनियमिति, इसके मुख्य उद्देश्य और इसके उपबंधों की व्याप्ति और प्रभाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।"

---

[1] (1983) 4 एस. सी. सी. 45.

आनुशंगिक और कृतिम दखल की अवज्ञा की जानी चाहिए ।"

"दखलकृत क्षेत्र का सिद्धांत तभी लागू होता है जब संघ और राज्यसूचियों के बीच दोनों के एक ही क्षेत्र के भीतर भिड़ंत हो । वहां तत्व और सार का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए और यदि आक्षेपित विधान उस विधान-मंडल जिसके द्वारा यह अधिनियमित किया गया है को व्यक्ततः प्रदत्त शक्ति के भीतर सारतः आता है तो दूसरे विधान-मंडल को समनुदेशित क्षेत्र के आनुषंगिक दखल की उपेक्षा की जानी चाहिए ।"

सैंट्रल बैंक आफ इंडिया बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त विनिश्चय का अनुसरण किया गया । प्रस्तुत मामले में राज्य विधान-मंडल के उपबंध ऐसे विषयों पर नहीं हैं जो उसकी विधायी सक्षमता के परे हों ।

47. **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड**[2] वाले मामले में संविधान न्यायपीठ के बहुमत ने सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची II की विभिन्न प्रविष्टियों के अधीन अधिनियमित विधानों की अतिव्याप्ति की संभावना को मान्यता प्रदान की और यह मत व्यक्त किया :–

"तीनों सूचियों को पढ़ते समय सूची I को सूची III पर और सूची III को सूची II पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए । तथापि, संघ सूची राज्य विधान-मंडल को सूची II के भीतर किसी विषय पर विचार करने से निवारित नहीं करेगा चाहे यह आनुषंगिकता सूची I के किसी मद को प्रभावित करता हो ।"

विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्णतः राज्य विधान-मंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है अतः कतई कोई विरोध नहीं हो सकता । न केवल यही कि राज्य अधिनियम की धारा 118(झ) भिन्न-भिन्न क्षेत्र को लागू होती है और अधिक व्यापक उपबंध है जो सभी मादक पदार्थों या अन्य वस्तुओं या ऐसे पदार्थों के बारे में है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है और इस प्रकार यह असंदिग्धतः स्पष्ट करता है कि केरल पुलिस अधिनियम में उपबंध का

---

[1] (2009) 4 एस. सी. सी. 94.

[2] (2004) 10 एस. सी. सी. 1.

सम्मिलित किया जाना संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 के खंड 6 के अनुसार राज्य विधान-मंडल को प्रदत्त शक्ति के अनुरूप है । इस प्रकार, विद्वान् लोक अभियोजक के अनुसार धारणागत विरोध सुस्पष्ट किए जाने योग्य है और किसी भी दशा में यह नगण्य होने के कारण उपेक्षित किए जाने योग्य है ।

48. जहां कोई असंदिग्धता नहीं है और विधान-मंडल का आशय स्पष्ट है वहां न्यायालय को उपबंधों के संबंध में कुछ अन्य अर्थ निकालने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए । जहां भाषा स्पष्ट है और विधान-मंडल का आशय प्रयुक्त भाषा से निकाला जा सकता है वहां न्यायालय का विधान की व्याप्ति या विधान-मंडल के आशय को बढ़ाने का कोई कर्तव्य नहीं है । विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि वस्तुतः निर्वचन के सिद्धांतों पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक प्रस्तुत मामले का संबंध है क्योंकि आक्षेपित उपबंध अर्थात् केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(झ) विधायी क्षमता के भीतर है ।

49. रिट याचिका (सि.) सं. 35189/2011 में याचियों की यह दलील है कि दूसरे प्रत्यर्थी ने उन वस्तुओं को अभिगृहीत किया जो यान में रखे हुए थे और यह कि दूसरे प्रत्यर्थी ने याचियों को तम्बाकू उत्पाद बेचते हुए वस्तुतः नहीं देखा । किंतु यह कहा गया है कि पहला याची विक्रेता है और यह कि दूसरा याची जेशन अंटोनी नामक व्यक्ति के यान का चालक है जो हैंस बाम्बे आदि जैसे उत्पादों के थोक वितरण में लगे ए. एस. एजेंसियों का मालिक है ।

50. याचियों के अनुसार इसका विक्रय 2003 के केन्द्रीय अधिनियम 34 के अनुसार किया गया है । उन लोगों ने दलील दी कि हैंस और बाम्बे तम्बाकू उत्पाद नहीं हैं । उनके अनुसार, मात्र इस कारण कि उक्त उत्पाद में तम्बाकू के तत्व हैं यह नहीं कहा जा सकता कि हैंस और बाम्बे तम्बाकू उत्पाद हैं । तम्बाकू उत्पाद पद को केरल पुलिस अधिनियम, 2011 को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उत्पाद अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं । याची के विद्वान् काउंसेल के अनुसार हैंस बाम्बे अनुसूची में दर्शित कोई मद नहीं है । अनुसूची में मद सं. 8 पान मसाला या चबाने वाली ऐसी सामग्री जिसमें तम्बाकू एक तत्व के रूप में है (चाहे जो नाम दिया जाए) । अभियोजन की यह दलील है कि हैंस बाम्बे मात्र एक व्यापार नाम है । यद्यपि हैंस और बाम्बे पान मसाला नहीं हो सकते वे मद सं. 8 में वर्णित दूसरे प्रवर्ग के भीतर आएंगे क्योंकि यह तम्बाकू एक तत्व के रूप में चाहे

जो नाम दिया जाए एक सामग्री है । दूसरे शब्दों में, यदि हैंस बाम्बे में इसके एक तत्व के रूप में तम्बाकू है तो निश्चित ही इसे तम्बाकू उत्पाद होना अभिनिर्धारित किया जा सकता है ।

51. अगला तर्क याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह किया गया है कि ऐसे स्थान से जहां हैंस बाम्बे अभिगृहीत किया गया था शिक्षा संस्थानों से 100 गज की परिधि के भीतर नहीं आता । किंतु प्रथम इत्तिला कथन में विनिर्दिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि घटनास्थल चलकारा एसएमटी हाई स्कूल से केवल 75 मीटर और लिटिल फ्लावर स्कूल के पश्चिम से 50 मीटर है । अतः इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उल्लंघन कार्य अधिनियम, 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 6 में वर्णित 100 गज के भीतर किया गया था ।

52. याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) के अधीन उपयुक्त शब्द "स्कूल परिसर के समीप" हैं; इस प्रकार दूरी विनिर्दिष्ट नहीं है । किंतु विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि बाद में दूरी विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी की गई । अधिसूचना के अभाव में भी यह अभिनिर्धारित करना युक्तिसंगत है कि (अर्धवित्तीय रूप से परिगणित स्कूल परिसर की बाहरी सीमा या बाउंडरी से) 100 मीटर की दूरी निश्चित ही स्कूल परिसर होगा ।

53. याचियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा अगली यह दलील दी गई है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रकथन केवल यह दर्शित करते हैं कि दो बोरे के थैले के उत्पाद (हैंस और बाम्बे) के पैकेट यान सं. केएल-8-एजी 8655 से उतारे गए थे । याची के विद्वान् काउंसेल के अनुसार यह केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) के अधीन या 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 6 के अधीन अपराध नहीं बनता । विद्वान् काउंसेल के अनुसार केवल यह कहा जा सकता है कि उत्पाद उस स्थान पर लाए गए थे और यह नहीं कहा जा सकता है कि याचियों को बालकों या किसी अन्य व्यक्ति को उन वस्तुओं को देते या बेचते हुए पाया गया । किंतु 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 6 में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति सिगरेट या कोई अन्य तम्बाकू उत्पाद को न बेचेगा, विक्रय की प्रस्थापना करेगा या विक्रय की अनुज्ञा देगा या सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय की अनुज्ञा देगा । अभियोजन के अनुसार इसमें विक्रय के लिए इसको कब्जे में रखना सम्मिलित होगा । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह

इंगित किया गया है कि ऐसे किसी तम्बाकू उत्पाद का क्रय करना या लाना अधिनियम की धारा 7 की एक या अधिक उपधाराओं के अधीन भी अपराध गठित करेगा ।

54. श्री राजेश विलयन द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि दुकान मालिक ऐसे मामले का प्रदाय और पेश किया जाना भी 2003 के अधिनियम सं. 34 की धारा 3(ड) के अधीन यथा परिभाषित "विक्रय" के अर्थान्तर्गत आएगा । धारा 3 विक्रय को इस प्रकार परिभाषित करती है :–

> "विक्रय अपने व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय अभिव्यक्तियों के अनुसार विक्रय का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल के संपत्ति का अंतरण है चाहे नकद या प्रत्यय या विनियम के माध्यम से और चाहे थोक या फुटकर और इसके अन्तर्गत विक्रय का करार और विक्रय की प्रस्थापना और विक्रय के लिए प्रदर्शन ।"

चूंकि धारा 3(ड) विक्रय को किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल में संपत्ति का कोई अंतरण अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत विक्रय का प्रदर्शन भी है । अत: यह तथ्य कि ऐसे तम्बाकू उत्पाद फुटकर दुकान पर एक वैन में लाए गए थे और उतारे जा रहे थे । प्रथमदृष्ट्या यह दर्शित करता है कि थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता को नकद या प्रत्यय पर माल के समय संपत्ति का अंतरण हो रहा था । इसके अतिरिक्त अभियोजन की यह दलील है कि यह तम्बाकू उत्पाद वस्तुत: विक्रय के लिए प्रदर्शित किए गए थे । धारा 3(ड) "विक्रय" पद का समावेशी और अतिव्यापक परिभाषा देती है और इस प्रकार याचियों की ओर से दिया गया प्रतिकूल तर्क अस्वीकार्य है । विक्रय की दशा में, क्रेता संदत्त किए जाने वाली कीमत, चाहे तत्काल संदत्त किया गया हो या बाद में किसी तारीख को आस्थगित किया जाए, के लिए सम्पत्ति/माल स्वीकार करता है । जब थोक विक्रेता फुटकर दुकानदार को देने के लिए ऐसे उत्पाद उतारता है तो वस्तुतः फुटकर विक्रेता को सम्पत्ति/माल का विक्रय हो जाता है क्योंकि सम्पत्ति का कब्जा क्रेता को माल के परिदान पर तत्काल क्रेता को न्यागत हो जाता है । यह दलील कि क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को उन तम्बाकू उत्पादों का कोई वास्तविक विक्रय नहीं था इसलिए अधिनियम की धारा 6 में अंतर्विष्ट निषेध खंड के भीतर ऐसा विक्रय नहीं आता, निराधार और अमान्य प्रतीत होती हैं । इसके अलावा, यह साक्ष्य के मूल्यांकन की परिधि में आती है इसलिए, इसे विचारण के समय पर उठाया जाना चाहिए था ।

55. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह इंगित किया गया है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) तीन तरह के अपराध सृजित करता है; पहला ऐसा व्यक्ति है जो उन लोगों को कई मादक पदार्थ देता या बेचता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है । यह किसी मादक पदार्थ के बारे में है । दूसरा भाग किसी वस्तु या पदार्थ के विक्रय के बारे में है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय है । इसमें तम्बाकू उत्पाद भी सम्मिलित होता है । इसमें कई नुकसानदेय वस्तु या पदार्थ होते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेय हैं और यद्यपि तम्बाकू उत्पाद ऐसी वस्तु या पदार्थों में से एक हो सकता है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें असंगतता है या किसी भी दशा में यह 2003 के अधिनियम सं. 34 के किन्हीं उपबंधों के प्रतिकूल होगा । इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति विक्रय के लिए विद्यालय परिसर के समीप किसी वस्तु या पदार्थ या मादक पदार्थ उपाप्त करता है तो उस पर केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) में अंतर्विष्ट दांडिक उपबंध भी लागू होंगे ।

56. विद्वान् लोक अभियोजक का यह निवेदन है कि न्यायालय को हमेशा विधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक उपबंधों का निर्वचन करना चाहिए । केरल पुलिस अधिनियम में धारा 118(झ) को सम्मिलित करने के पीछे विधान का आशय का उद्देश्य प्रसंशनीय था । विधान-मंडल के मस्तिष्क में विशेषकर 18 वर्ष से कम आयु के बालकों पर तम्बाकू उत्पाद समेत मादक पदार्थों के हानिकर और दुष्परिणामिक प्रभाव का ज्ञान था और उस दुष्परिणाम के उपचार के लिए ही अधिनियम की धारा 118 में उपधारा (झ) सम्मिलित की गई । न्यायालयों को प्रायः कानून की संवैधानिकता के पक्ष में उपधारणा करनी चाहिए क्योंकि हमेशा यह उपधारणा है कि विधान-मंडल अपने लोगों की आवश्यकता को समझता है और ठीक ढंग से मूल्यांकन करता है जैसाकि **आंध्र प्रदेश सरकार** बनाम **पी. लक्ष्मी देवी**[1] वाले मामले के विनिश्चय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले का अनुसरण **के. के. भास्करण** बनाम **राज्य**[2] वाले मामले में किया गया ।

57. विद्वान् लोक अभियोजक का यह भी निवेदन है कि यद्यपि

---

[1] (2008) 4 एस. सी. सी. 720.

[2] (2011) 3 एस. सी. सी. 793.

उद्देश्यों और कारणों के कथन में तारीख 15 मई, 1986 को आयोजित 39वें विश्व स्वास्थ्य सभा के अपने 14वें आम बैठक द्वारा पारित तथा तारीख 17 मई, 1990 को 43वें विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपने 14वें आम बैठक के बारे में भी उल्लेख किया गया किंतु यह नहीं कहा गया कि 2003 का अधिनियम सं. 34 भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के विशेष उपबंध का अवलंब लेते हुए संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया था । अतः, यह तर्क किया गया कि संसद् द्वारा पारित विद्यमान विधि अर्थात्, 2003 का अधिनियम सं. 34 ऐसे विषय की बाबत राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित विधि को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई आदि विषयक् राज्य सूची के अधीन आता है । आगे यह तर्क किया गया कि केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(झ) के शामिल किए जाने का अर्थ विधान-मंडल द्वारा शामिल किए गए उपबंध के रूप में निकाला जा सकता है क्योंकि यह ऐसा विषय है जो राज्यसूची के अधीन आता है । अतः याचियों द्वारा दी गई दलील की राज्य विधान-मंडल, केन्द्रीय कानून को अभिभावी करने के लिए कोई अधिनियमिति पारित नहीं कर सकता और इस प्रकार, धारा 118(झ) 2003 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 34 के प्रतिकूल है, अमान्य और भ्रामक प्रतीत होता है ।

58. रिट याचिका सं. 29166/2011, 35189/2011 और 6318/2012 में यह घोषित करने का अनुरोध है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 द्वारा प्रतिकूल होने के कारण असंवैधानिक और इसे अभिखंडित किया जाए । दूसरा अनुरोध दूसरे प्रत्यर्थी को याची के यान से अभिगृहीत वस्तुओं को छोड़े जाने का निदेश देने के बारे में है । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि रिट याचिकाओं में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है कि केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) संविधान के अनुच्छेद 253 के प्रतिकूल है । केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118(झ) राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित किया गया क्योंकि विषयवस्तु अनुसूची 7 की सूची 2 के मद सं. 6 के अंतर्गत आती है । इस प्रकार इन याचिकाओं में किया गया अनुरोध कायम रखे जाने योग्य नहीं है । यान से अभिगृहीत वस्तुओं के अंतरिम छोड़े जाने से संबंधित निदेश न्यायालय द्वारा पहले ही जारी किया गया है जो इस अंतिम आदेश के अधीन होगा जो इस मामले में पारित किया जाए और जो मामले में पारित अधिहरण के आदेश के भी अधीन होगा ।

59. दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 4071/2011 में अनुरोध पुलिस अधिकारी द्वारा फाइल की गई शिकायत उपाबंध ग को अभिखंडित करने के लिए है जिसके अनुसार उसमें याची को 2003 के अधिनियम सं. 34 के उपबंधों के अधीन अभियोजित किए जाने की ईप्सा की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए दांडिक प्रकीर्ण मामला सं. 4071/2011 में किया गया अनुरोध भी कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

60. तीन रिट याचिकाओं में केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 118(झ) को असंवैधानिक घोषित करने का ईप्सित अनुरोध भी सारहीन पाया गया है और इस प्रकार इन तीनों याचिकाओं को भी खारिज किया जाता है ।

परिणामतः, तीन रिट याचिकाएं व दांडिक प्रकीर्ण मामला खारिज किया गया ।

तीन रिट याचिकाएं व दांडिक प्रकीर्ण मामला खारिज किया गया ।

पां.

(2014) 1 दा. नि. प. 52 **छत्तीसगढ़**

प्रहलाद मोहनलाल साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 7 जनवरी, 2013

न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 450 और धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – गृह अतिचार और बलात्संग – घटना की तारीख को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से अधिक थी और अभियोक्त्री मैथुन कार्य की सहमति पक्षकार थी, इसलिए, अभियोक्त्री का साक्ष्य अकाट्य और विश्वसनीय न होने के कारण उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री अपने चाचा भुवन और चाची जेठीबाई के साथ रहती थी । तारीख 17 जुलाई, 2003

को वह घर में अकेली थी । अपराह्न लगभग 2.00 बजे अपीलार्थी/ अभियुक्त उसके घर पर आया, जान से मारने की धमकी दी, उसका हाथ पकड़ा और चारपाई पर लेटने के लिए मजबूर किया और उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक मैथुन कारित किया । अभियोक्त्री के चाचा-चाची के घर वापस लौटने पर अभियोक्त्री ने उनको घटना की जानकारी दी । अभियोक्त्री ने अंजेरा पुलिस चौकी में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । उसका चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल में कराया गया । पुलिस द्वारा अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दुर्ग के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया जिसने मामले को दुर्ग के सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । सेशन न्यायाधीश ने मामले का विचारण किया और अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट कर दिया । दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोक्त्री के अनुसार, जब वह सो रही थी तो अपीलार्थी उसके घर में प्रवेश किया और जब अपीलार्थी उसके साथ मैथुन कर रहा था तो जाग गई । जब अभियोक्त्री जागी तो वह सहायता के लिए शोर मचा सकती थी और अपीलार्थी को नोंच सकती थी, उसको लात मार सकती थी उसकी पकड़ से छूटने के प्रयोजनार्थ उसको दूर धकेल सकती थी । किंतु उसने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया था । अभियोक्त्री और भुवन के साक्ष्य पर विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीणों ने अभियोक्त्री और अपीलार्थी को एक साथ देखा था और उन्होंने अभियोक्त्री को भला-बुरा भी कहा था । उनके साक्ष्य से आगे यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ग्राम कोतवार के साथ परामर्श के पश्चात् दर्ज कराई गई थी । मामले के तथ्यों और साक्ष्य और अभियोक्त्री के अनैसर्गिक आचरण से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री उसके साथ कारित हुए लैंगिक मैथुन की सहमतिजन्य पक्षकार थी । इसलिए, अभियोक्त्री का साक्ष्य अपीलार्थी की दोषसिद्धि के बाबत दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता । न्यायालय का यह विचार है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 450 और 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है । अतः दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है । परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 के अधीन प्रदान की गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । (पैरा 14, 15, 16, 17

और 18)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 484.

2003 के सेशन विचारण सं. 253 में दुर्ग के सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 7 मई, 2004 के निर्णय के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री रवि कुमार भगत
राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती मधुनिशा सिंह

न्यायमूर्ति राधेश्याम शर्मा – यह अपील 2003 के सेशन विचारण सं. 253 में दुर्ग के सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 7 मई, 2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । इस आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी प्रहलाद को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 450 और 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 50 रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय कर पाने में विफल रहने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने और 7 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 100 रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के लिए अलग-अलग दंडादिष्ट किया गया है । जेल दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने के लिए निदेशित किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है :–

अभियोक्त्री (अभि. सा. 1), भुवन (अभि. सा. 2) और श्रीमती जेठीबाई (अभि. सा. 3) की भतीजी है । भुवन (अभि. सा. 2) और श्रीमती जेठीबाई (अभि. सा. 3) भागचंद के मकान में किराए पर रहते थे । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) उनके साथ तारीख 3 जुलाई, 2003 से रह रही थी । तारीख 17 जुलाई, 2003 को भुवन (अभि. सा. 2) जीविकोपार्जन के लिए अंजोरा स्थित नागपुर इंजीनियरिंग कालेज गया था और जेठीबाई (अभि. सा. 3) श्रम कार्य करने के लिए खेत को गई थी । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) घर पर अकेली थी । अपराह्न लगभग 2.00 बजे अपीलार्थी उसके घर आया और जान से मारने की धमकी दी, उसका हाथ पकड़ा, उसको चारपाई पर लेटने के लिए मजबूर किया और उसके साथ लैंगिक मैथुन कारित किया । जब भुवन (अभि. सा. 2) और जेठीबाई (अभि. सा. 3) घर वापस लौटे तो अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने उनको घटना के बारे में बताया । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने अंजोरा के पुलिस चौकी में प्रथम

इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को चिकित्सीय परीक्षा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया । डा. श्रीमती शोभा राजपूत (अभि. सा. 6) ने उसका परीक्षण किया और उसने रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) तैयार की । उन्होंने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के योनिक बाल की स्लाइड भी तैयार की । अपीलार्थी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए दुर्ग के जिला अस्पताल भी भेजा गया था । डा. पी. बालकिशोर (अभि. सा. 4) ने उसका परीक्षण किया और रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) तैयार की जिसमें उन्होंने अपीलार्थी को लैंगिक मैथुन कारित करने के योग्य पाया था ।

आगे अन्वेषण के प्रयोजनार्थ अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) का पेटीकोट प्रदर्श पी-2 के द्वारा अभिगृहीत किया गया था । विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर को प्रदर्श पी-4 द्वारा अभिगृहीत किया गया था । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु विनिर्धारण के लिए एक्सरे परीक्षण के लिए भेजा गया था । डा. ए. के. साहू (अभि. सा. 5) ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) का एक्सरे लिया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु 18 वर्ष पाई । स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी-11) तैयार किया गया था । अपीलार्थी का जांघिया अपीलार्थी से अभिगृहीत किया गया था जो प्रदर्श पी-13 है । अभिगृहीत वस्तुओं का रायपुर की अपराध विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रदर्श पी-16 द्वारा भेजा गया था । वहां से रिपोर्ट प्रदर्श पी-18 प्राप्त हुई थी ।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दुर्ग के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोप पत्र फाइल किया गया था जिसने मामले को दुर्ग के सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जिन्होंने विचार किया अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

3. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री रवि कुमार भगत ने दलील दी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) विलंब से दर्ज कराई गई थी । अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु घटना की तारीख पर 16 वर्ष से ऊपर थी । विचारण न्यायालय अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 और 376 के अधीन अपराधों के लिए दोषी अभिनिर्धारित करने में घोर त्रुटि की । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की गंभीरतापूर्वक संवीक्षा किए जाने पर अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के सहमत पक्ष होने की संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता । इसलिए, अपीलार्थी को दोषसिद्धि मान्य ठहराए

जाने योग्य नहीं है और वह दोषमुक्त किए जाने योग्य है ।

4. इसके विपरीत राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान् पैनल की अधिवक्ता श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को प्रदान की गई दोषसिद्धि और दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5. मैंने पक्षों द्वारा दी गई परस्पर विरोधी दलीलों को सुनने के पश्चात् 2003 के सेशन विचारण सं. 153 के अभिलेख का परिशीलन किया ।

6. प्रथमतः, मैं इस तथ्य का परीक्षण करूंगा कि क्या घटना की तारीख पर अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु 16 वर्ष के कम थी ।

7. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु उसकी सशपथ कथन पत्र पर 15 वर्ष अभिलिखित की गई है, किंतु उसने अपनी जन्म तारीख या आयु के संबंध में कुछ नहीं कहा है । भुवन (अभि. सा. 2) ने सशपथ कथन किया है कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु 18-19 वर्ष थी । खेदान सिंह सिन्हा (अभि. सा. 4) ने सशपथ कथन किया है कि वह संघोला के प्राथमिक विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पद पर वर्ष 1989 से तैनात था । वह उक्त विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर लाए थे । विद्यालय प्रवेश रजिस्टर 1988 से जून, 1989 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया था । उक्त रजिस्टर में क्रम संख्या 14 पर प्रवेश संख्या 599 पर अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की जन्म तारीख 23 सितंबर, 1982 उल्लिखित है ।

8. डा. ए. के. साहू (अभि. सा. 5) ने सशपथ कथन किया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की दाहिनी कलाई, दाहिनी कोहनी और दाहिनी कमर का एक्सरे लिया था और रिपोर्ट (प्रदर्श पी-9) प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने पाया था कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु 18 वर्ष थी ।

9. भुवन (अभि. सा. 2), खेदान सिंह सिन्हा (अभि. सा. 4), डा. ए. के. साहू (अभि. सा. 5) और अभि. सा. 9 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य पर विचार करते हुए यह साबित हो जाता है कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) की आयु घटना की तारीख को 18 वर्ष से अधिक थी ।

10. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने सशपथ कथन किया कि घटना की तारीख पर उसका मामा भुवन (अभि. सा. 2) और मामी जेठीबाई (अभि.

सा. 3) आजीविका कमाने गए थे । वह अपने छोटे भाई को सुला रही थी और तत्पश्चात् वह भी सो गई थी । अपराह्न लगभग 2.00 बजे अपीलार्थी उसके घर आया, उसका जांघिया उतार दिया और उसके साथ लैंगिक मैथुन कारित किया । जब अपीलार्थी ने अपने लिंग का प्रवेश उसकी योनि में कराया तो वह जग गई और देखा कि अपीलार्थी उसके साथ लैंगिक मैथुन कर रहा है । तत्पश्चात् अपीलार्थी वहां से भाग गया । जब भुवन (अभि. सा. 2) और जेठीबाई (अभि. सा. 3) घर वापस आए तो उसने (अभियोक्त्री ने) उनको घटना का वृत्तांत सुनाया । भुवन (अभि. सा. 2) और जेठीबाई (अभि. सा. 3) ने सशपथ कथन किया कि वे आजीविका कमाने के लिए गए थे और अपराह्न लगभग 5.30 बजे जब वे वापस आए तो अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने उनको घटना के बारे में बताया था ।

11. यह घिसी पिटी विधि है कि अभियोक्त्री का एकल परिसाक्ष्य ही बिना किसी पुष्टिकरण के दोषसिद्ध का आधार बन सकता है, मैं इस प्रश्न का परीक्षण करूंगा कि क्या अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) का साक्ष्य तर्कपूर्ण और विश्वसनीय है और उसका अवलंब दोषसिद्धि के प्रयोजनार्थ लिया जा सकता है ।

12. प्रस्तुत मामले में अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने सशपथ कथन किया है कि घटना की तारीख पर उसके मामा और मामी आजीविका कमाने के लिए गए थे । वह अपने छोटे भाई को सुला रही थी और तत्पश्चात् वह भी सो गई थी । अपराह्न लगभग 2.00 बजे अपीलार्थी उसके घर आया उसका जांघिया उतार दिया और उसके साथ लैंगिक मैथुन कारित किया । जब अपीलार्थी ने उसकी योनि में अपने लिंग का प्रवेश कराया, तो वह जाग गई और देखा कि अपीलार्थी उसके साथ लैंगिक मैथुन कारित कर रहा था । तत्पश्चात्, अपीलार्थी वहां से भाग गया । उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान सशपथ कथन किया कि जब अपीलार्थी उसके साथ लैंगिक मैथुन कारित कर रहा था तो उसने (अभियोक्त्री ने) अपीलार्थी को नोचने, लात मारने या उसको धकेलने का प्रयास नहीं किया था । उसने उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास भी नहीं किया था । उसने आगे सशपथ कथन किया है कि उसने घर के दरवाजे को भीतर से बंद कर लिया था । यदि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने घर के द्वार को भीतर से बंद कर लिया था तो अपीलार्थी उसके घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था । इससे यह साबित हो जाता है कि दरवाजे को भीतर से बंद नहीं किया गया

था ।

13. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) ने सशपथ कथन किया है कि यह सत्य है कि जब अपीलार्थी उसके घर से बाहर गया तो 10-20 ग्रामीण उसके घर के सामने एकत्रित हो गए थे । यह भी सत्य है कि ग्रामीणों ने उसको गालियां दी थीं और इस प्रकार के कार्य न करने के लिए कहा था । यह भी सत्य है कि जब उसके मामा भुवन (अभि. सा. 2) और मामी जेठीबाई (अभि. सा. 3) घर वापस लौटे तो ग्रामीणों ने उनको बताया कि उसने अपीलार्थी के साथ गलत कार्य कारित किया है और उन्होंने उनसे यह भी कहा कि उसको (अभियोक्त्री को) उसके ग्राम सिंघोला वापस भेज दिया जाए । भुवन (अभि. सा. 2) ने सशपथ कथन किया कि जब वह घर वापस लौटा तो अनेक व्यक्ति उसके घर के सामने एकत्रित हो चुके थे । उन्होंने उसको बताया कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) खार की तरफ चली गई थी । उन्होंने उसको यह भी बताया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी के साथ देखा था और जब उन्होंने अभियोक्त्री को गालियां दीं तो वह खार की ओर भाग गई थी । जेठीबाई (अभि. सा. 3) ने उसको बताया था कि अपीलार्थी ने उसका हाथ पकड़ा था और इसके अलावा अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) द्वारा कुछ नहीं बताया गया था ।

14. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) के अनुसार, जब वह सो रही थी तो अपीलार्थी ने उसके घर में प्रवेश किया और जब अपीलार्थी उसके साथ मैथुन कर रहा था तब जाग गई । जब अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) जागी तो वह सहायता के लिए शोर मचा सकती थी और अपीलार्थी को नोंच सकती थी, उसको लात मार सकती थी उसकी पकड़ से छूटने के प्रयोजनार्थ उसको दूर धकेल सकती थी । किंतु उसने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया था ।

15. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) और भुवन (अभि. सा. 2) के साक्ष्य पर विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीणों ने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) और अपीलार्थी को एक साथ देखा था और उन्होंने अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) को भला-बुरा भी कहा था । उनके साक्ष्य से आगे यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) ग्राम कोतवार के साथ परामर्श के पश्चात् दर्ज कराई गई थी ।

16. मामले के तथ्यों और साक्ष्य और अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) का

अनैसर्गिक आचरण से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) उसके साथ कारित हुए लैंगिक मैथुन की सहमतिजन्य पक्षकार थी । इसलिए, अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) का साक्ष्य अपीलार्थी की दोषसिद्धि के बाबत दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता ।

17. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर मेरा यह विचार है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 450 और 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्धि करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है । अतः दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है ।

18. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 450 और 376 के अधीन प्रदान किया गया दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । उसको इन धाराओं के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । वह जमानत पर है । उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

(2014) 1 दा. नि. प. 59 **दिल्ली**

साजिद

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

तारीख 2 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति जी. पी. मित्तल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा तीन वर्षीय बालिका को गोदी में उठाकर छत पर ले जाना – उसके तुरंत पश्चात् स्वतंत्र साक्षी को बालिका की रोने की आवाज सुनाई देने पर छत पर जाना – अभियुक्त द्वारा बचकर भाग निकलना – चिकित्सीय परीक्षण करने पर बलात्संग की पुष्टि होना तथा स्वतंत्र साक्षी का अभियुक्त को मिथ्या फंसाए जाने का कोई हेतु सिद्ध न होना – ऐसी परिस्थितियां हैं

जो अचूक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हैं, इसलिए उसकी दोषसिद्धि उचित है ।

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियोक्त्री "छ" (यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन होने के कारण नाम विधारित किया गया है) मंडावली, दिल्ली में एक पांच मंजिला भवन में रहती थी । प्रत्येक तल पर 15 कमरे थे । दरवेश राय, अभियोक्त्री का परिवार और अभियुक्त-अपीलार्थी एक ही भवन में रहते थे । तारीख 27 अप्रैल, 2005 को अपराह्न में लगभग 3.30 बजे दरवेश राय मकान की सीढ़ियों पर बैठा कोई पुस्तक पढ़ रहा था । उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को अपनी गोदी में एक छोटा-सी बालिका लिए हुए और सीढ़ियों में ऊपर जाते हुए देखा । कुछ समय के पश्चात् उसने छत से उक्त लड़की की रोने की आवाज सुनी । इसके बाद उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को अपने ऊपर से कूदकर भागते हुए देखा । वह छत पर गया और बालिका को रोते हुए पाया और उसके कपड़े रक्त से लथपथ थे । वह छत से बालिका को लाया और उसे उसकी माता को सौंप दिया जो उसी भवन के तृतीय तल पर रह रही थी । अभियोक्त्री को अस्पताल ले जाया गया । डाक्टर ने परीक्षण करने पर योनिच्छद फटा हुआ पाया गया । मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई । अन्वेषण के दौरान साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया है और उसे दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । उसने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधि की इस प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जब अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता हो, तो परिस्थितियां प्रथम बार में निश्चायक रूप से साबित की जानी चाहिएं और इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियां अचूक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हों तथा साबित की गई परिस्थितियों से साक्ष्य की एक पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता के निष्कर्ष के संगत कोई युक्तियुक्त आधार शेष न बचे और साबित परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिएं कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यताओं में कृत्य अवश्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होना चाहिए । न्यायालय ने दरवेश राय (अभि. सा. 2),

कांस्टेबल सुभाष (अभि. सा. 6), उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 12), और निरीक्षक अलका आजाद (अभि. सा. 13) के परिसाक्ष्य का परिशीलन किया है । गिरफ्तारी ज्ञापन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू.- 6/डी से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी को तारीख 27/28 अप्रैल, 2005 की मध्यवर्ती रात्रि में 12.30 बजे पूर्वाह्न में गली से गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 6 का यह विनिर्दिष्ट कथन है कि वह अस्पताल से अभि. सा. 13 के साथ गली सं. 3, मकान सं. 5, सदन ब्लॉक, मंडावली (घटनास्थल) गया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लोगों से परिप्रश्न किए गए थे और एक किराएदार, जिसका नाम उसे याद नहीं है, (दरवेश राय अभि. सा. 2) का कथन अभिलिखित किया गया था और अपीलार्थी को उक्त किराएदार (अभि. सा. 12) की प्रेरणा पर गिरफ्तार किया गया था । उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह द्वारा भी घटनाओं के क्रम का इसी प्रकार कथन किया गया है । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि वह निरीक्षक अलका आजाद और कांस्टेबल सुभाष के साथ अस्पताल से घटनास्थल पर गया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अन्वेषक अधिकारी ने स्थानीय व्यक्तियों से जांच-पड़ताल की और दरवेश राय (अभि. सा. 2) नामक व्यक्ति ने मामले में साजिद के अंतर्ग्रस्त होने के बारे में खुलासा किया । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसका (अभि. सा. 2) कथन अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था । कुछ समय के पश्चात् स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों की शनाख्त पर अभियुक्त साजिद (अपीलार्थी) को गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 13 के परिसाक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि दरवेश राय (अभि. सा. 2) का कथन केवल अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात् अभिलिखित किया गया था । दरवेश राय और अन्य अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के संबंध में यह एक साधारण कथन है । अभि. सा. 2 की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात निकलकर नहीं आई जिससे यह सुझाव मिल सके कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या रूप से अभिसाक्ष्य दिया था । वास्तव में, इस साक्षी से ऐसी कोई बात तक नहीं कही गई थी कि क्या उसका अपीलार्थी को मिथ्या रूप से आलिप्त करने का कोई हेतु या दुर्भावना थी । इस प्रकार, अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि तारीख 24 अप्रैल, 2005 को अपराह्न में लगभग 3.30 बजे जब वह (अभि. सा. 2) सीढ़ियों में बैठा हुआ था तब उसने अपीलार्थी को अपनी गोदी में अभियोक्त्री को छत पर उसके ऊपर से लांघकर ले जाते हुए देखा था । उसने उसके पश्चात् तुरंत लड़की के रोने की आवाज सुनी और

उसने अपीलार्थी को उसके ऊपर से कूदकर बचकर भागते हुए देखा । अभि. सा. 2 तुरंत छत पर गया और बालिका को पड़े हुए पाया और उसके कपड़े रक्त से लथपथ थे । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए और डा. राकेश सिंह (अभि. सा. 11) के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि बृहत् भगोष्ठ के दाईं तरफ भगाजलिका तक विस्तारित 1.5 से. मी. x 0.5 से. मी. का एक मर्दित विदीर्ण घाव पाया गया था । योनिच्छद फटा हुआ पाया गया था । यह भी सिद्ध होता है कि योनि में संवेदनशीलता और रक्त मौजूद था । इन सभी परिस्थितियों को एकसाथ देखने पर अचूक यह उपदर्शित होता है कि वह केवल अपीलार्थी ही था जिसने अभियोक्त्री पर लैंगिक हमला किया था । अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह बालिका को छत पर क्यों लेकर गया था । उसने इस बात से केवल सीधे-सीधे इनकार किया है । ऊपर सिद्ध परिस्थितियां अचूक अपीलार्थी की दोषिता को इंगित करती हैं । ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो अपीलार्थी की निर्दोषिता के संगत हो । आक्षेपित निर्णय में कोई कमी नहीं है । (पैरा 9, 13, 14, 15 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 1 जे. सी. सी. 67 : **चन्द्र देव राय** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** ;	15
[1984]	ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	11
[1973]	ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 343 : **रहीम बेग और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	16
[1952]	ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 : **हनुमंत गोविंद नारगुंडकर और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ।	10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2009 की दांडिक अपील सं. 481.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री चारू वर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राजदीपा बेहुरा, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति जी. पी. मित्तल – यह अपील तारीख 15 अक्तूबर, 2008 के निर्णय और तारीख 24 अक्तूबर, 2008 के उस दंडादेश के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और 2,000/- रुपए के जुर्माने सहित दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर वह तीन मास का और साधारण कारावास भुगतेगा ।

2. अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य से यथा प्रकट अभियोजन का वृत्तांत यह है कि अभियोक्त्री 'छ' (यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन होने के कारण नाम विधारित किया गया है) मंडावली, दिल्ली में एक पांच मंजिला भवन में रहती थी । प्रत्येक तल पर 15 कमरे थे । अभि. सा. 2 दरवेश राय, अभियोक्त्री का परिवार (अभियोक्त्री सहित) और अपीलार्थी एक ही भवन में रहते थे । तारीख 27 अप्रैल, 2005 को अपराह्न में लगभग 3.30 बजे दरवेश राय (अभि. सा. 2) मकान की सीढ़ियों पर बैठा कोई पुस्तक पढ़ रहा था । उसने अपीलार्थी को अपनी गोदी में एक छोटी-सी बालिका लिए हुए और सीढ़ियों में ऊपर जाते हुए देखा । कुछ समय के पश्चात् अभि. सा. 2 ने छत से उक्त लड़की की रोने की आवाज सुनी । इसके बाद उसने अपीलार्थी को अपने ऊपर से कूदकर भागते हुए देखा । अभि. सा. 2 छत पर गया और बालिका को रोते हुए पाया और उसके कपड़े रक्त से लथपथ थे । वह (अभि. सा. 2) छत से बालिका को लाया और उसे उसकी माता को सौंप दिया जो उसी भवन के तृतीय तल पर रह रही थी । अभियोक्त्री को उसकी चाची तंजीम (अभि. सा. 1) द्वारा लोक नायक अस्पताल ले जाया गया । डाक्टर ने परीक्षण करने पर बृहत् भगोष्ठ के दाईं तरफ भगाजलिका तक विस्तारित 1.5 से. मी. x 0.5 से. मी. का एक मर्दित विदीर्ण घाव पाया । योनिच्छद फटा हुआ पाया गया । डाक्टर ने योनि में संवेदनशीलता और रक्त के थक्के होने की रिपोर्ट दी ।

3. तंजीम के कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई । अन्वेषण के दौरान अभि. सा. 2 सहित साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अभि. सा. 2 के बताने पर अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया ।

4. अपीलार्थी के इस अभिवाक् पर कि वह आरोप का दोषी नहीं है, अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सिद्ध करने के लिए 14 साक्षियों को पेश किया । अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने के अभिकथन के तथ्य पर अभि. सा. 1 तंजीम और अभि. सा. 2 दरवेश अभियोजन पक्ष के प्रमुख साक्षी हैं जबकि अभि. सा. 6 कांस्टेबल सुभाष, अभि. सा. 12 उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह और अभि. सा. 13 निरीक्षक अलका आजाद अभियुक्त की गिरफ्तारी और घटनास्थल पर विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करने के संबंध में साक्षी हैं । वास्तव में अभि. सा. 13 मामले की अन्वेषक अधिकारी हैं ।

5. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य और अभि. सा. 2 द्वारा यथा अभिसाक्ष्यित अपीलार्थी के पश्चात्वर्ती आचरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया है । इस प्रकार, अपीलार्थी को पूर्व उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

6. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री चारू वर्मा द्वारा निम्नलिखित दलीलें दी गई हैं :–

(i) तंजीम द्वारा किए गए कथन के आधार पर अभिलिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए में अपीलार्थी के नाम का कोई उल्लेख नहीं है । उसका न्यायालय में अभि. सा. 1 के रूप में इस बारे में किया गया कथन कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी का नाम बताया था, पश्च-विचार करके किया गया है और एक तात्विक सुधार है । इसलिए इस संबंध में अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

(ii) अभि. सा. 2 द्वारा अभिसाक्ष्यित अनुसार अभियोजन का पक्षकथन केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभि. सा. 2 अपीलार्थी को पहले से नहीं जानता था और इस प्रकार उसके परिसाक्ष्य से ऐसा कोई अप्रतिरोध्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह अपीलार्थी ही है जो अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी है । अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध केवल एक संदेह पैदा हो सकता है । तथापि, संदेह कितना भी मजबूत हो सबूत का स्थान नहीं ले सकता । इस प्रकार, अपीलार्थी संदेह के फायदे का हकदार है ।

(iii) अपीलार्थी के लिंग पर कोई बाह्य क्षति नहीं पाई गई थी । यह सुस्थिर है कि यदि कोई नौजवान व्यक्ति किसी छोटे बालक

के साथ बलात्संग करता है तो अपराधी के लिंग पर कुछ-न-कुछ क्षति होना लाजिमी है । क्षति का न होना अपीलार्थी की निर्दोषिता को इंगित करता है ।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सुश्री राजदीपा बेहुरा ने यह दलील दी कि अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य में आरोप अचूक अपीलार्थी पर लगाया गया है । अपीलार्थी द्वारा विपदग्रस्त को छत पर ले जाने के तुरंत पश्चात् अभि. सा. 2 ने रोने की आवाज सुनी और अपीलार्थी को हड़बड़ी में भागते हुए देखा । यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी ने अभि. सा. 2 पर किसी हेतु या कोई दुश्मनी होने का कोई आरोप नहीं लगाया है और इस प्रकार यह मानना मुश्किल है कि अभि. सा. 2 अपीलार्थी को इस जघन्य अपराध में मिथ्या रूप से फंसाएगा ।

8. मेरे समक्ष तंजीम (अभि. सा. 1) द्वारा किया गया कथन, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए है जिसके आधार पर वर्तमान मामला दर्ज किया गया था । स्वीकृततः, इसमें अपीलार्थी का नाम नहीं है । इसलिए अभि. सा. 1 के इस परिसाक्ष्य पर, कि जब वे अस्पताल जा रहे थे तब 'छ' ने अपराधी का नाम साजिद बताया था, विश्वास नहीं किया जा सकता है । यदि ऐसा होता तो अभि. सा. 1 ने अवश्य डाक्टर को अपराधी का नाम बताया होता और वह नाम अवश्य ही चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र में अभिलिखित किया गया होता । इसलिए मैं प्रतिरक्षा पक्ष की विद्वान् काउंसेल की इस दलील से सहमत हूं कि अभियोक्त्री द्वारा अपीलार्थी के नाम का प्रकटन करने के बारे में अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । अभि. सा. 1 द्वारा यह कथन अभियोजन के पक्षकथन को मजबूत करने के लिए किया गया प्रतीत होता है ।

9. विधि की इस प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जब अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता हो, तो परिस्थितियां प्रथम बार में निश्चायक रूप से साबित की जानी चाहिएं और इस प्रकार साबित की गई परिस्थितियां अचूक अभियुक्त की दोषिता को इंगित करती हों तथा साबित की गई परिस्थितियों से साक्ष्य की एक पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता के निष्कर्ष के संगत कोई युक्तियुक्त आधार शेष न बचे और साबित परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिएं कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यताओं में कृत्य अवश्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होना चाहिए ।

10. **हनुमंत गोविंद नारगुंडकर और एक अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय मामले के केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करने पर साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में ऐसा मूलभूत निर्णय है जिसका पश्चात्वर्ती निर्णयों में निरंतर अवलंब लिया गया है ।

11. **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **हनुमंत गोविंद नारगुंडकर** (उपरोक्त) वाले मामले का अवलंब लेते हुए उन शर्तों को निर्दिष्ट किया है जो अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूरी तरह सिद्ध हुआ कह सकने से पूर्व अवश्य ही पूरी की जानी चाहिएं । वे शर्तें हैं :–

> "1. परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, प्रथम बार में पूर्णतः सिद्ध की जानी चाहिएं ।
>
> 2. इस प्रकार सिद्ध किए गए सभी तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की उप-कल्पना के संगत होनी चाहिएं ।
>
> 3. परिस्थितियां एक निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं और वे ऐसी होनी चाहिएं जिससे कि साबित किए जाने के लिए प्रस्थापित उप-कल्पना को छोड़कर प्रत्येक उप-कल्पना अपवर्जित हो जाए ।
>
> 4. दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की इतनी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे कि अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत निष्कर्ष निकालने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार शेष न रहे ; और
>
> 5. यह ऐसी होनी चाहिए जिससे कि यह दर्शित हो कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यताओं में कृत्य अवश्य ही अभियुक्त द्वारा किया गया है ।"

12. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने मेरा ध्यान अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 13) के कथन की ओर दिलाया और यह दलील दी कि धारा 161 के अधीन अभि. सा. 2 का कथन केवल अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात् अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 1 अपराधी का नाम नहीं जानती थी । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी की

---

[1] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343.

[1] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

गिरफ्तारी के लिए कोई आधार नहीं दिया है । इसलिए इससे यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया और मामले में फंसाया गया । यह दलील दी गई है कि यदि अभि. सा. 2 के कथन पर विश्वास कर भी लिया जाए, तो भी एकमात्र परिस्थिति अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य की है, जो यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि वह अपीलार्थी ही था जो अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी था ।

13. मैंने दरवेश राय (अभि. सा. 2), कांस्टेबल सुभाष (अभि. सा. 6), उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह (अभि. सा. 12) और निरीक्षक अलका आजाद (अभि. सा. 13) के परिसाक्ष्य का परिशीलन किया है । गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/डी से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी को तारीख 27/28 अप्रैल, 2005 की मध्यवर्ती रात्रि में 12.30 बजे पूर्वाह्न में गली से गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 6 का यह विनिर्दिष्ट कथन है कि वह अस्पताल से अभि. सा. 13 के साथ गली सं. 3, मकान सं. 5, सदन ब्लॉक, मंडावली (घटनास्थल) गया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि लोगों से परिप्रश्न किए गए थे और एक किराएदार, जिसका नाम उसे याद नहीं है (दरवेश राय अभि. सा. 2), का कथन अभिलिखित किया गया था और अपीलार्थी को उक्त किराएदार (अभि. सा. 12) की प्रेरणा पर गिरफ्तार किया गया था । उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह द्वारा भी घटनाओं के क्रम का इसी प्रकार कथन किया गया है । उसने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि वह निरीक्षक अलका आजाद और कांस्टेबल सुभाष के साथ अस्पताल से घटनास्थल पर गया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अन्वेषक अधिकारी ने स्थानीय व्यक्तियों से जांच-पड़ताल की और दरवेश राय (अभि. सा. 2) नामक व्यक्ति ने मामले में साजिद के अंतर्ग्रस्त होने के बारे में खुलासा किया । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसका (अभि. सा. 2) कथन अन्वेषक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया था । कुछ समय के पश्चात् स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों की शनाख्त पर अभियुक्त साजिद (अपीलार्थी) को गिरफ्तार किया गया था । अभि. सा. 13 (अन्वेषक अधिकारी) ने निम्नलिखित अभिसाक्ष्य दिया है :–

> "मैंने अभियोक्त्री के माता-पिता का कथन अभिलिखित किया । अस्पताल से मैं घटनास्थल पर गई और दरवेश के बताने पर कच्चा स्थल नक्शा, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए बनाया । मैंने पुलंदा मालखाने में जमा किया । तारीख 27/28 अप्रैल, 2005 की रात्रि में उक्त मकान

की गली से न्यायालय में मौजूद अभियुक्त साजिद को उसके गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/डी द्वारा गिरफ्तार किया गया । उसकी व्यक्तिगत तलाशी का ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ई है । मैंने दरवेश राय और अन्य अभियोजन साक्षियों का कथन अभिलिखित किया । अभियुक्त द्वारा पहने हुए वस्त्र अर्थात् जींस पैंट, टी-शर्ट, अंडरवियर एक पुलंदे में एमएस मुद्रा से मुहरबंद किए और ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए द्वारा कब्जे में लिए गए .....।"

14. अभि. सा. 13 के परिसाक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि दरवेश राय (अभि. सा. 2) का कथन केवल अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात् अभिलिखित किया गया था । दरवेश राय और अन्य अभियोजन साक्षियों के कथन अभिलिखित करने के संबंध में यह एक साधारण कथन है ।

15. अभि. सा. 2 की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी । किंतु उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात निकलकर नहीं आई जिससे यह सुझाव मिल सके कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या रूप से अभिसाक्ष्य दिया था । वास्तव में, इस साक्षी से ऐसी कोई बात तक नहीं कही गई थी कि क्या उसका अपीलार्थी को मिथ्या रूप से आलिप्त करने का कोई हेतु या दुर्भावना थी । इस प्रकार, अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि तारीख 24 अप्रैल, 2005 को अपराह्न में लगभग 3.30 बजे जब वह (अभि. सा. 2) सीढ़ियों में बैठा हुआ था तब उसने अपीलार्थी को अपनी गोदी में अभियोक्त्री को छत पर उसके ऊपर से लांघकर ले जाते हुए देखा था । उसने उसके पश्चात् तुरंत लड़की के रोने की आवाज सुनी और उसने अपीलार्थी को उसके ऊपर से कूदकर बचकर भागते हुए देखा । अभि. सा. 2 तुरंत छत पर गया और बालिका को पड़े हुए पाया और उसके कपड़े रक्त से लथपथ थे । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/ए और डा. राकेश सिंह (अभि. सा. 11) के परिसाक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि बृहत् भगोष्ठ के दाईं तरफ भगाजलिका तक विस्तारित 1.5 से. मी. x 0.5 से. मी. का एक मर्दित विदीर्ण घाव पाया गया था । योनिच्छद फटा हुआ पाया गया था । यह भी सिद्ध होता है कि योनि में संवेदनशीलता और रक्त मौजूद था । इन सभी परिस्थितियों को एकसाथ देखने पर अचूक यह उपदर्शित होता है कि वह केवल अपीलार्थी ही था जिसने अभियोक्त्री पर लैंगिक हमला किया था । अपीलार्थी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि

वह बालिका को छत पर क्यों ले गया था । उसने इस बात से केवल सीधे-सीधे इनकार किया है । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने **चन्द्र देव राय** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)**[1] वाले मामले का अवलंब लिया है जिसमें इस न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषमुक्त कर दिया था । उक्त मामले में एकमात्र परिस्थिति यह थी कि अभियोक्त्री को अपराह्न में 9.45 बजे अपीलार्थी के कमरे से बरामद किया गया था और उसकी योनि से रक्तस्राव हो रहा था । साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी अपनी पत्नी और बालक के साथ एक कमरे के मकान में रह रहा था और अपीलार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी । इस प्रकार, उस मामले में एकमात्र परिस्थिति उस कमरे से जहां अभियुक्त अपने परिवार के साथ रहता था से बालिका की बरामदगी होना था । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि उस मामले में अभियुक्त अभियोक्त्री के साथ पाया गया था या किसी व्यक्ति ने उसे अभियोक्त्री के साथ देखा था । ऐसी परिस्थितियां होने पर खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि सिद्ध की गई परिस्थितियां अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब ली गई नज़ीर से अपीलार्थी के पक्षकथन को सहायता नहीं मिलती है ।

16. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने **रहीम बेग और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले का भी अवलंब यह दलील देने के लिए लिया कि किसी छोटी बालिका के साथ बलात्संग के मामले में अपीलार्थी के लिंग पर यदि उसने अपराध कारित किया है तो कुछ-न-कुछ क्षति आएगी । उसने निर्णय के पैरा 26 को निर्दिष्ट किया, जिसका सारांश निम्नलिखित है :–

> "जिला कारागार, रायबरेली के चिकित्सा अधिकारी डा. कटियार के अनुसार, यदि 10 या 12 वर्ष की कोई लड़की, जो कुंवारी है और जिसका योनिच्छद अविकल है, के साथ किसी पूर्णतः विकसित व्यक्ति द्वारा बलात्संग किया जाता है तो उस व्यक्ति के लिंग पर क्षतियां होना संभाव्य हैं । तथापि, डाक्टर को दोनों

---

[1] (2009) 1 जे. सी. सी. 67.

[2] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 343.

अभियुक्तों में से किसी के लिंग पर कोई क्षति नहीं मिली थी । इस प्रकार, अभियुक्तों के लिंगों पर ऐसी क्षतियों का न होना उनकी निर्दोषिता को इंगित करता है । डा. कटियार द्वारा दोनों अभियुक्तों का परीक्षण तारीख 5 अगस्त, 1969 को किया गया था । तथापि, अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों अभियुक्त तारीख 4 अगस्त, 1969 को गिरफ्तार किए गए थे । ऐसा कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसके पश्चात् तुरंत पुलिस द्वारा उनका चिकित्सीय परीक्षण क्यों नहीं कराया गया था ।"

17. इस मामले में डा. राकेश सिंह (अभि. सा. 11), जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराई गई थी, से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था । प्रस्तुत मामले में बलात्संग लगभग तीन वर्ष की एक छोटी-सी बालिका के साथ किया गया है । सुकुमार अवस्था की किसी छोटी बालिका की त्वचा और भगाजलिका इतनी नरम हो सकती है कि अपराधी के लिंग पर कोई क्षति कारित न हो । किसी भी दशा में, इस संबंध में किसी प्रतिपरीक्षा या किसी साक्ष्य के अभाव में, अपीलार्थी के लिंग पर कोई क्षति न होने की बात उसे दोषिता से मुक्त नहीं कर सकती है, जो मेरी राय में पूरी तरह साबित होती है ।

18. ऊपर सिद्ध परिस्थितियां अचूक अपीलार्थी की दोषिता को इंगित करती हैं । ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो अपीलार्थी की निर्दोषिता के संगत हो । आक्षेपित निर्णय में कोई कमी नहीं है ।

19. इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है ।

20. लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है ।

21. अपीलार्थी को निदेशित किया जाता है कि शेष दंडादेश भुगतने के लिए तुरंत संबंधित अधीक्षक, कारागार के समक्ष अभ्यर्पण करे ।

22. इस आदेश की प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय तथा अधीक्षक, कारागार को भेजी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

अनिल सिंह

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 2 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति हेमन्त कुमार श्रीवास्तव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 364 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 313] – अपहरण और व्यपहरण – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन अभिलिखित करते समय व्यपहरण या अपहरण से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, अतः विचारण के अनुक्रम के बाद में उभरी ऐसी परिस्थितियां और सामग्री जिन्हें अभियुक्त की सूचना में नहीं लाया गया, से संबंधित अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चौकीदार अरसदी पासवान ने तारीख 10 मई, 1988 को धोरिया पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह रिपोर्ट दी कि उसी दिन लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न से 7.00 बजे पूर्वाह्न के बीच किसी राहगीर ने उसे यह सूचना दी कि एक पुरुष व्यक्ति का शव जिसे गोलियों की क्षति कायम हुई हैं, मौजा भूसार बहियार में पड़ा हुआ है । पूर्वोक्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् वह वहां पर पहुंचा और उसने एक पुरुष व्यक्ति का शव देखा । वहां पर कई व्यक्ति एकत्रित हुए थे परंतु कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त शव की पहचान नहीं कर सका । चौकीदार अरसदी पासवान के पूर्वोक्त कथनों के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन धोरिया पुलिस थाने पर 1998 का मामला सं. 44 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अन्वेषण के दौरान शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी और शव का शवपरीक्षण करने के पश्चात् उसके फोटोग्राफ लिए गए थे और मृतक के कपड़े भी अभिगृहीत किए गए थे । कोई भी व्यक्ति शव के बारे में दावा करने के लिए नहीं पहुंचा और तदनुसार पुलिस द्वारा शव का निपटारा कर दिया गया । अन्वेषण के दौरान सूर्या नारायण सिंह और रामचन्द्र सिंह ग्राम बोरा, पुलिस थाना सोनेखर, जिला भागलपुर, धोरिया पुलिस थाने पर गए और उन्होंने शव के फोटो

तथा कपड़ों की पहचान की । रामचन्द्र सिंह ने यह बताया कि पूर्वोक्त फोटो और कपड़े उसके पुत्र अर्थात् रविन्द्र सिंह के हैं । पूर्वोक्त रामचन्द्र सिंह ने यह कहते हुए धोरिया पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को लिखित में अर्जी दी कि उसका पुत्र रविन्द्र सिंह को अभिकथित घटना की तारीख को अनिल सिंह (अपीलार्थी) द्वारा ले जाया गया था और घर छोड़ते समय उसके पुत्र ने सफेद पूरी आस्तीन की कमीज और धोती पहन रखी थी और इसके अतिरिक्त उसने लिखित अर्जी में यह कथन किया है कि धोरी सिंह ने मृतक रविन्द्र सिंह के संग अपीलार्थी को देखा था जो सनहोला ग्राम में नाश्ता कर रहा था और पूर्वोक्त धोरी सिंह के अलावा उपेन्द्र सिंह और तीरो सिंह ने भी मृतक के संग में अपीलार्थी को देखा था । इसके अतिरिक्त, उसने अपने लिखित अर्जी में यह कथन किया है कि उसकी फुलो सिंह के साथ भूमि संबंधी विवाद था और अपीलार्थी पूर्वोक्त फुलो सिंह का करीबी मित्र था । उसने अपनी लिखित अर्जी में यह संदेह व्यक्त किया है कि अपीलार्थी और पूर्वोक्त फुलो सिंह ने उसके पुत्र की हत्या की है । पूर्वोक्त लिखित अर्जी रामचन्द्र सिंह द्वारा तारीख 22 मई, 1988 को दी गई थी । यह दांडिक अपील 1989 के सेशन मामला सं. 228 में प्रथम श्रेणी, अपर सेशन न्यायाधीश, बंका द्वारा तारीख 14 फरवरी, 2001 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 20 फरवरी, 2001 को पारित किए गए दंडादेश के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा तथा जिसके अधीन उन्होंने दंड संहिता की धारा 364 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एकमात्र अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया तथा 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने का उसे दंडादेश दिया । विद्वान् प्रथम श्रेणी, अपर सेशन न्यायाधीश, बंका द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अन्य अभियुक्त अर्थात् फुलो सिंह और भगवान सिंह को उनके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त कर दिया । न्यायमूर्ति ने अपीलार्थी की ओर से हाजिर विद्वान् काउंसेल तथा राज्य की ओर से हाजिर लोक अभियोजक को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया था परंतु अपीलार्थी से मृतक को ले जाने के बारे में कोई प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके कथन अभिलिखित करते समय उससे नहीं पूछा गया था । स्वीकृततः दंड

संहिता की धारा 364 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया था । यद्यपि, किसी व्यक्ति के विरुद्ध बड़े अपराध का आरोप विरचित किया गया तो ऐसे व्यक्ति को लघु अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता है । परंतु स्वीकृततः वर्तमान मामले में व्यपहरण और अपहरण के तथ्य के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थी के कथन में उससे पूछताछ नहीं की गई । विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि यदि विचारण के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट परिस्थितियां और सामग्रियां तथा उक्त परिस्थितियां और सामग्रियां अभियुक्त की जानकारी में नहीं लाई जाती हैं तब अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता और उसका सम्पूर्ण विचारण दूषित हो जाता है । इसलिए विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 364 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि साक्ष्य जो विचारण के दौरान अपीलार्थी के विरुद्ध दिया गया है उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करते समय उसके समक्ष नहीं रखा गया था । चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को छोड़कर अभिलेख पर ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं है कि अभिकथित अपराध से अपीलार्थी को संबंधित किया जाए तथा जहां तक अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य का संबंध है, वह संदेहपूर्ण भी प्रतीत होता है क्योंकि उसने पहली बार अपने मुंह से यह बात बोली है जबकि वह तथा अन्य साक्षियों ने अभिकथित घटना के 12 से 14 दिन के पश्चात् मृतक के फोटो से उसकी पहचान की थी । चर्चा के आधार पर न्यायालय की यह राय है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल नहीं हो सका है तथा अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है । (पैरा 24, 25 और 26)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील (एसजे) सं. 96.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री दिवाकर प्रसाद कर्ण

प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती आभा सिंह (सहायक लोक

अभियोजक)

न्यायमूर्ति हेमन्त कुमार श्रीवास्तव – अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल तथा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले लोक अभियोजक को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

2. यह दांडिक अपील 1989 के सेशन मामला सं. 228 में प्रथम श्रेणी, अपर सेशन न्यायाधीश, बंका द्वारा तारीख 14 फरवरी, 2001 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 20 फरवरी, 2001 को पारित किए गए दंडादेश के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा तथा जिसके अधीन उन्होंने दंड संहिता की धारा 364 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एकमात्र अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया तथा 10 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने का उसे दंडादेश दिया । विद्वान् प्रथम श्रेणी, अपर सेशन न्यायाधीश, बंका द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अन्य अभियुक्त अर्थात् फुलो सिंह और भगवान सिंह को उनके विरुद्ध विरचित आरोप से दोषमुक्त कर दिया ।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चौकीदार अरसदी पासवान ने तारीख 10 मई, 1988 को धोरिया पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह रिपोर्ट दी कि उसी दिन लगभग 6.00 बजे पूर्वाह्न से 7.00 बजे पूर्वाह्न के बीच किसी राहगीर ने उसे यह सूचना दी कि एक पुरुष व्यक्ति का शव जिसे गोलियों की क्षति कायम हुई हैं, मौजा भूसार बहियार में पड़ा हुआ है । पूर्वोक्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् वह वहां पर पहुंचा और उसने एक पुरुष व्यक्ति का शव देखा । वहां पर कई व्यक्ति एकत्रित हुए थे परंतु कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त शव की पहचान नहीं कर सका ।

4. चौकीदार अरसदी पासवान के पूर्वोक्त कथनों के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन धोरिया पुलिस थाने पर 1998 का मामला सं. 44 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

5. अन्वेषण के दौरान शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी और शव का शवपरीक्षण करने के पश्चात् उसके फोटोग्राफ लिए गए थे और मृतक के कपड़े भी अभिगृहीत किए गए थे । कोई भी व्यक्ति शव के बारे में दावा करने के लिए नहीं पहुंचा और तदनुसार पुलिस द्वारा शव का निपटारा कर दिया गया । अन्वेषण के दौरान सूर्या नारायण सिंह (अभि. सा. 1) और रामचन्द्र सिंह ग्राम बोरा, पुलिस थाना सोनेखर, जिला

भागलपुर, धोरिया पुलिस थाने पर गए और उन्होंने शव के फोटो तथा कपड़ों की पहचान की । रामचन्द्र सिंह ने यह बताया कि पूर्वोक्त फोटो और कपड़े उसके पुत्र अर्थात् रविन्द्र सिंह के हैं । पूर्वोक्त रामचन्द्र सिंह ने यह कहते हुए धोरिया पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को लिखित में अर्जी दी कि उसका पुत्र रविन्द्र सिंह को अभिकथित घटना की तारीख को अनिल सिंह (अपीलार्थी) द्वारा ले जाया गया था और घर छोड़ते समय उसके पुत्र ने सफेद पूरी आस्तीन की कमीज और धोती पहन रखी थी और इसके अतिरिक्त उसने लिखित अर्जी में यह कथन किया है कि धोरी सिंह (अभि. सा. 8) ने मृतक रविन्द्र सिंह के संग अपीलार्थी को देखा था जो सनहोला ग्राम में नाश्ता कर रहा था और पूर्वोक्त धोरी सिंह के अलावा उपेन्द्र सिंह और तीरो सिंह ने भी मृतक के संग में अपीलार्थी को देखा था । इसके अतिरिक्त, उसने अपने लिखित अर्जी में यह कथन किया है कि उसकी फुलो सिंह के साथ भूमि संबंधी विवाद था और अपीलार्थी पूर्वोक्त फुलो सिंह का करीबी मित्र था । उसने अपनी लिखित अर्जी में यह संदेह व्यक्त किया है कि अपीलार्थी और पूर्वोक्त फुलो सिंह ने उसके पुत्र की हत्या की है । पूर्वोक्त लिखित अर्जी रामचन्द्र सिंह द्वारा तारीख 22 मई, 1988 को दी गई थी ।

6. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् पुलिस ने अपीलार्थी और सह-अभियुक्तों फुलो सिंह तथा भगवान सिंह के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अपराध का संज्ञान लिया गया था और प्रायिक रीति में मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था ।

7. अपीलार्थी और अन्य दो अभियुक्त अर्थात् फुलो सिंह तथा भगवान सिंह का विचारण किया गया था और तदनुसार, उन्हें दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संयुक्त रूप से आरोपित किया गया था । अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण किए जाने का दावा किया ।

8. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 12 साक्षियों की परीक्षा की जिनमें से अभियोजन की ओर से प्रार्थना करने पर सूर्या नारायण सिंह (अभि. सा. 1) को पक्षद्रोही घोषित किया गया था । इस साक्षी ने अभिकथित घटना के बारे में कुछ भी कथन नहीं किया है । यद्यपि, अन्वेषक अधिकारी द्वारा दंड संहिता की धारा 161 के अधीन

अभिलिखित कथनों की ओर उसका ध्यान दिलाया गया परंतु उसने पुलिस के समक्ष उक्त कथन किए जाने से इनकार किया ।

9. अभि. सा. 3 मृतक की पत्नी है । अभि. सा. 4 मृतक का साला है । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह दावा किया है कि अपीलार्थी अभिकथित घटना के पूर्व मृतक के घर पर आया था और मृतक को उसके मकान से ले गया था । कृष्णदेव सिंह मृतक का ममेरा ससुर है और इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतक के पिता मृतक को ढूंढने के लिए उसके मकान पर पहुंचे थे तथा वह मृतक के पिता के साथ ग्राम बोरा गया था जहां अभि. सा. 3 ने अभिकथित घटना के बारे में बताया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि वह अन्य व्यक्तियों के साथ धोरिया पुलिस थाने पर गया था जहां मृतक के फोटो और कपड़े उसे और अन्य लोगों को दिखाए गए थे । इस साक्षी ने लिखित अर्जी (प्रदर्श-1) तैयार की तथा पूर्वोक्त लिखित अर्जी पर रामचन्द्र सिंह ने अपने अंगूठे का निशान लगाया था ।

10. मृतक का ससुर अभि. सा. 5 है और इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 3 ने उसको पहले यह बताया था कि अपीलार्थी उसके पति को ले गया था ।

11. अभि. सा. 6 सुना-सुनाया साक्षी भी है तथा इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभि. सा. 3 ने इस तथ्य के बारे में बताया कि अपीलार्थी उसके पति को ले गया था । इस साक्षी को पक्षद्रोही भी घोषित किया गया था ।

12. धोरी सिंह (अभि. सा. 8) को पक्षद्रोही घोषित किया गया था यद्यपि, इस साक्षी का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसके कथन की ओर दिलाया गया परंतु उसने पुलिस के समक्ष ऐसा कोई कथन किए जाने से इनकार किया ।

13. अभि. सा. 7 ग्राम भूसार का निवासी है तथा उसने यह कथन किया है कि उसने अभिकथित घटना की रात्रि को गोली चलने की आवाज सुनी थी और जब प्रातः वह सीताराम रविदास के खेत पर गया तो उसने शव को देखा था तथा पुलिस ने वहां से एक खाली कारतूस बरामद किया था । इस साक्षी ने अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं किया है । इसी तरह, अभि. सा. 9 ने यह कथन किया है कि उसने खेत में शव पड़ा हुआ

देखा था परंतु इस साक्षी ने अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं किया है । इसी तरह, अभि. सा. 10 ने यह कथन किया है कि घटना के अभिकथित तारीख को उसके साले को ले जाया गया था और सुरेश, योगेन्द्र गनाउरी मंडल ने उसके समक्ष यह बताया कि अपीलार्थी और दो अन्य व्यक्तियों ने उसके साले की हत्या की । यह स्वीकार किया गया है कि यह साक्षी सुना-सुनाया साक्षी है ।

14. अभि. सा. 11 (अभि. सा. 10 के रूप में गलत रूप से उल्लेख किया गया है) जो डाक्टर है जिसने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया था और उसके शरीर पर बंदूक की गोली की क्षतियां देखी थीं ।

15. अभि. सा. 12 एक औपचारिक साक्षी है जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जिसे प्रदर्श-3 द्वारा प्रदर्शित किया गया है, को साबित किया है ।

16. अपीलार्थी और अन्य दो अभियुक्तों का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिसमें उन्होंने अपने निर्दोष होने की बात दोहराई है । अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों द्वारा अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है परंतु अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथनों का परिशीलन करने से तथा अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा का परिशीलन करने से मुझे यह प्रतीत हुआ है कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में अभियोजन पक्षकथन से पूर्णतया इनकार किया है तथा पूर्व शत्रुता और भूमि संबंधी विवाद के कारण अपने को मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया है ।

17. विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के परिसाक्ष्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों जो दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश के आदेश में पारित किया गया, अवलंब लिया है जैसाकि ऊपर कथन किया गया है ।

18. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देते हुए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश को चुनौती दी है कि विद्वान् प्रथम श्रेणी, अपर सेशन न्यायाधीश के निष्कर्ष अटकल बाजियों पर ही आधारित है इस तथ्य को देखते हुए अभिकथित अपराध में अपीलार्थियों के विरुद्ध उपलब्ध कोई वैध और अकाट्य साक्ष्य नहीं है जिससे कि उसे अभिकथित अपराध से संबंधित किया जाए । उसने यह भी निवेदन किया है कि प्रथम

श्रेणी, अपर सेशन न्यायाधीश ने उन्हीं साक्षियों पर विचार करके दो अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया जबकि बिना किसी आधार के अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर दिया ।

19. दूसरी ओर, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह अनुरोध करते हुए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश का समर्थन किया है कि अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने यह दावा किया है कि वह अपीलार्थी था जो अभिकथित घटना की तारीख को मृतक को उसके मकान से ले गया था और बाद में मृतक का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था और इसके अतिरिक्त अभि. सा. 7 ने यह कथन किया कि घटना की अभिकथित तारीख को उसने गोली चलने की आवाज सुनी और बाद में मृतक का शव बरामद किया गया था ।

20. जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि केवल अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि अभिकथित घटना की तारीख को मृतक को उसके घर से अपीलार्थी द्वारा ले जाया गया था और पूर्वोक्त दो साक्षियों को छोड़कर अभियोजन साक्षियों में से किसी ने भी यह दावा नहीं किया है कि उन्होंने अपीलार्थी को मृतक को ले जाते हुए देखा था ।

21. अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि अभिकथित घटना की तारीख को अपीलार्थी उसके मकान पर पहुंचा और उसके पति को ले गया । उसने आगे यह भी कथन किया है कि उसका पति शाम तक वापस नहीं लौटा और इसके पश्चात् वह अपीलार्थी के घर गई और अपने पति के बारे में पूछताछ की परंतु अपीलार्थी ने उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । उसने यह भी कथन किया है कि धोरी मंडल ने उसे यह बताया कि उसने अपीलार्थी और सह-अभियुक्त फुलो सिंह को सनहोला बाजार में नाश्ता करते हुए देखा था । उसने आगे यह भी कथन किया कि उसके पिता और अन्य नातेदार उसके पति को ढूंढने के लिए गए थे और 10 से 12 दिनों के पश्चात् वह धोरिया पुलिस थाने पर गई जहां उसने अपने पति के शव के कपड़े और फोटो की पहचान की ।

22. अभि. सा. 4 ने केवल यह कथन किया है कि तारीख 9 मई, 1988 को लगभग 1.00 बजे अपराह्न उसके साले को अपीलार्थी द्वारा ले जाया गया था और वह रात्रि तक वापस नहीं लौटा और जहां वह अपनी बहन अभि. सा. 3 के साथ था तथा अपीलार्थी के मकान में मृतक के बारे में पूछताछ करने के लिए गए थे परंतु अपीलार्थी ने कोई संतोषजनक उत्तर

नहीं दिया और उसको ढूंढते हुए वह तारीख 22 मई, 1988 को धोरिया पुलिस थाने पर गया जहां उसने मृतक की फोटो और कपड़ों से उसकी पहचान की । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के पैरा 3 की ओर इस साक्षी का ध्यान दिलाया गया तथा इस साक्षी ने यह कथन किया कि उसने इस आशय का पुलिस के समक्ष कथन किया था कि अपीलार्थी द्वारा उसके साले को ले जाया गया था । स्वीकृततः इस मामले के अन्वेषक अधिकारी की विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई थी । अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा न करने के कारण अपीलार्थी को अन्वेषक अधिकारी के समक्ष अभिलेख पर अभि. सा. 4 से विभेद प्रकट करने के लिए कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सका । अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि अपनी बहन से अभिकथित घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् वह अपनी बहन के मकान पर पहुंचा था । इसलिए पूर्वोक्त परिस्थिति में अभि. सा. 4 सुना-सुनाया साक्षी होना प्रतीत होता है ।

23. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार कि मृतक को तारीख 9 मई, 1988 को ले जाया गया था और उसका शव तारीख 10 मई, 1988 को बरामद हुआ था । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्षकथन यह है कि अभि. सा. 3 तथा उसके अन्य कुटुंब के सदस्य तारीख 22 मई, 1988 को धोरिया पुलिस थाने पर गए और मृतक के कपड़ों और फोटो से उसकी पहचान की । स्वीकृततः, तारीख 9 मई, 1988 से 22 मई, 1988 के बीच अभि. सा. 3 तथा अन्य साक्षियों ने अपीलार्थी के नाम को प्रकट नहीं किया और न ही उस रीति के बारे में बताया जिसमें अपीलार्थी द्वारा मृतक को ले जाया गया था । प्रथम बार तारीख 22 मई, 1988 को मृतक के पिता द्वारा धोरिया पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को लिखित अर्जी (प्रदर्श-1) दी गई थी ।

24. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया था परंतु अपीलार्थी से मृतक को ले जाने के बारे में कोई प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसके कथन अभिलिखित करते समय उससे नहीं पूछा गया था । स्वीकृतः दंड संहिता की धारा 364 के अधीन आरोप विरचित नहीं किया गया था । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया था । यद्यपि, किसी व्यक्ति के विरुद्ध बड़े अपराध का आरोप विरचित किया गया तो ऐसे व्यक्ति को लघु अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सकता

है । परंतु स्वीकृततः वर्तमान मामले में व्यपहरण और अपहरण के तथ्य के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपीलार्थी के कथन में उससे पूछताछ नहीं की गई । विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि यदि विचारण के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट परिस्थितियां और सामग्रियां तथा उक्त परिस्थितियां और सामग्रियां अभियुक्त की जानकारी में नहीं लाई जाती हैं तब अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता और उसका सम्पूर्ण विचारण दूषित हो जाता है । इसलिए विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मेरा यह मत है कि अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 364 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा

सकता है क्योंकि साक्ष्य जो विचारण के दौरान अपीलार्थी के विरुद्ध दिया गया है उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसका कथन अभिलिखित करते समय उसके समक्ष नहीं रखा गया था ।

25. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को छोड़कर अभिलेख पर ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं है कि अभिकथित अपराध से अपीलार्थी को संबंधित किया जाए तथा जहां तक अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य का संबंध है, वह संदेहपूर्ण भी प्रतीत होता है क्योंकि उसने पहली बार अपने मुंह से यह बात बोली है जबकि वह तथा अन्य साक्षियों ने अभिकथित घटना के 12 से 14 दिन के पश्चात् मृतक के फोटो से उसकी पहचान की थी ।

26. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर मेरी यह राय है कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल नहीं हो सका है तथा अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

27. इस प्रकार, यह दांडिक अपील मंजूर की जाती है तथा तारीख 14 फरवरी, 2001 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा तारीख 20 फरवरी, 2001 का दंडादेश का आदेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी जमानत पर है और उसे उसके जमानत पत्र व बंधपत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 80 **पटना**

हजारीदास

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

तारीख 3 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति हेमन्त कुमार श्रीवास्तव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 320 और 324 – खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा चिकित्सक की राय से युक्तियुक्त संदेह से परे यह

साबित नहीं होता है कि पीड़ित के नाक पर पहुंची क्षति दंड संहिता की धारा 320 के अधीन गंभीर प्रकृति की थी वहां अभियुक्त को घोर उपहति कारित करने के अपराध से नहीं बल्कि खतरनाक आयुध द्वारा उपहति कारित करने के अपराध से दोषसिद्ध ठहराया जाना न्यायोचित है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि मत्तार सदाई (अभि. सा. 7) ने तारीख 6 मई, 1994 को लगभग 4.45 बजे अपराह्न सहायक उप-निरीक्षक, बिस्फी पुलिस थाना को इस प्रभाव से अपना फर्द बयान दिया कि उसी दिन लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न अपीलार्थी सं. 1 हजारीदास कुछ श्रमिकों के साथ तालाब के दक्षिण और पूर्वी कोने में स्थित भूमि पर बाड़ लगा रहे थे । उसने यह भी कथन किया है कि गांववासी पूर्वोक्त भूमि का रास्ते के रूप में प्रयोग किया करते थे और जब उसने अपीलार्थी सं. 1 से इस बारे में पूछा कि वह पूर्वोक्त रास्ते पर बाड़ क्यों लगा रहे हैं तब अपीलार्थी सं. 1 क्रोधित हो गया और उसे गालियां देने लगा और अन्य लोगों को उसे मारने का आदेश दिया । अपीलार्थी सं. 1 अपने घर पर गया और बाकी अपीलार्थियों के साथ वापस लौटा और अन्य अभियुक्त लाठी और फर्सा से लैस थे । सभी पूर्वोक्त व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और इस अनुक्रम में अपीलार्थी सं. 1 ने उसको मारने के आशय से उसकी गर्दन पर फर्सा से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी गर्दन के बाईं ओर क्षति पहुंची और रक्त बहने लगा । वह जमीन पर गिर गया और उसी बीच में, अभियुक्त शिवशंकर दास ने उस पर अपनी पिस्तौल से गोली चलाने का प्रयास किया परंतु उसकी गोली चूक गई । पूर्वोक्त अभियुक्त ने उसकी जेब से कुछ नकदी निकाल ली । उसी बीच में सावित्री देवी दौड़ कर अपने घर गई और मिट्टी का तेल और माचिस लाई और उसने गेहूं के बंडल और नरकात पर आग लगा दी । अपीलार्थी सं. 1 ने पपीते का पेड़ काटा । पूर्वोक्त घटना को प्रयाग राय, राजेन्द्र दास, मटू महतो, अजय कुमार और बनारसी दास ने देखा । पूर्वोक्त घटना के पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार किया गया । सह-अभियुक्त सावित्री देवी और शिवशंकर दास के साथ अपीलार्थियों का विचारण किया गया था और तद्नुसार सह-अभियुक्त सावित्री देवी और शिवशंकर दास के साथ अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संयुक्त रूप से आरोपित किया गया था जबकि सह-अभियुक्त सावित्री देवी को दंड संहिता की धारा 435 के अधीन अपराध के लिए पृथक् रूप से आरोपित किया गया था और सह-अभियुक्त शिवशंकर दास

को दंड संहिता की धारा 379 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए पृथक् रूप से आरोपित किया गया था । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 8 साक्षियों की परीक्षा कराई और अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श-1 के रूप में औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श-2 के रूप में अभि. सा. 7 की क्षति रिपोर्ट और प्रदर्श पी-3 के रूप में फर्द बयान को भी प्रदर्शित किया था । अपीलार्थियों और सह-अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए थे जिसमें उन्होंने आरोपों से इनकार किया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने 2 साक्षियों की परीक्षा भी कराई जो स्वाभाविक रूप से औपचारिक थे और कुछ दस्तावेजों को साबित किया जिन्हें क्रमशः प्रदर्श-क, प्रदर्श-ख, प्रदर्श-ग, और प्रदर्श-घ के रूप में चिन्हित किया गया था । विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया और अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – धारा का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि गंभीर उपहति को आठ प्रवर्गों में प्रवर्गित किया गया है और प्रवर्ग सं. 1 से 7 वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं । जहां तक प्रवर्ग 8 का संबंध है यह कहा गया है कि कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है तब पूर्वोक्त क्षति गंभीर उपहति की परिभाषा के अंतर्गत आएगी । वर्तमान मामले में अभि. सा. 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तीक्ष्ण कटी हुई क्षति अभि. सा. 7 की गर्दन पर पाई गई थी जो उसके जीवन के लिए खतरनाक थी और यह कारण था कि पूर्वोक्त क्षति प्रकृति में गंभीर थी परंतु यह स्वीकार किया गया है कि अभि. सा. 8 ने प्रदर्श-2 में पूर्वोक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया है और इससे अलग वहां इस आधार पर पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त क्षति से रक्त बह रहा था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभिकथित घटना 7.00 बजे पूर्वाह्न घटित हुई थी और अभि. सा. 8 द्वारा 12.00 बजे दोपहर में अभि. सा. 7 की परीक्षा की गई । यह विश्वास करना कठिन है कि ऐसे लंबे समय के अंतराल के पश्चात् पूर्वोक्त क्षति से फिर भी रक्त बह रहा था । इसके अतिरिक्त, केवल उस क्षति के कारण रक्त का बहना पाया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि

उक्त क्षति अभि. सा. 7 के जीवन के लिए खतरनाक थी । निःसंदेह वर्तमान मामले में अभि. सा. 7 की गर्दन पर क्षति पाई गई परंतु अभि. सा. 8 ने प्रदर्श-2 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि अभियोजन साक्षी 7 की गर्दन पर कोई नस कटी हुई थी और इसलिए, अभि. सा. 8 की राय संदेहपूर्ण हो गई है । निःसंदेह डाक्टर की राय का कुछ महत्व है परंतु यह न्यायालय का कार्य है, कानून में वर्णित परिभाषा के आधार पर क्षति की प्रकृति का विनिश्चय करें । इसलिए, यद्यपि प्रदर्श-2 को विचार में लिया गया है तब भी मेरे विचार से अभियोजन साक्षी 7 की गर्दन पर तीक्ष्ण कटी हुई क्षति पाई गई थी जो उसके जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी और इसलिए, पूर्वोक्त क्षति गंभीर उपहति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती । इससे अलग, अभि. सा. 8 द्वारा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या अभि. सा. 7 अस्पताल में भर्ती था या नहीं । यद्यपि उसने यह कथन किया है कि उसने अभि. सा. 7 के लिए पर्ची तैयार की थी परंतु स्वीकृततः अभियोजन पक्ष कोई पर्ची या अस्पताल के रजिस्टर को नहीं लाया है और इसलिए, यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अभि. सा. 7 तीव्र शारीरिक पीड़ा में 20 दिन तक था या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ था । इस विषय पर मेरी यह राय है कि तीक्ष्ण कटी हुई क्षति अभि. सा. 7 की गर्दन पर पाई गई थी, दंड संहिता की धारा 320 के अधीन परिधि के अंतर्गत नहीं आती है । पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे इस तथ्य को साबित करने में सफल नहीं हो सका है कि अभियोजन साक्षी 7 की गर्दन पर पाई गई क्षति गंभीर प्रकृति की थी और इसलिए, दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपीलार्थी सं. 1 की दोषसिद्धि विधि के अनुसरण में नहीं है । पूर्वोक्त चर्चाओं के आधार पर न्यायालय की यह राय है कि अपीलार्थी सं. 1 दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार अपीलार्थी सं. 1 की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 324 के अधीन परिवर्तित किया जाता है । (पैरा 23, 24, 25, 26 और 29)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. :

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर सर्वश्री ओम प्रकाश पांडे और

सत्येन्द्र पांडे

राज्य की ओर से श्रीमती आभा सिंह, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति हेमन्त कुमार श्रीवास्तव – यह दांडिक अपील 1995 के सेशन विचारण सं. 78/2000 के सेशन विचारण सं. 299 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश II, मधुबनी द्वारा तारीख 10 अक्तूबर, 2001 को पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 5 वर्ष के कठोर कारावास भोगने तथा 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादिष्ट किया गया, 500/- रुपए का जुर्माना ऊपर कथित धारा के लिए उस पर भी अधिरोपित किया गया था और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे 1 मास की कठोर कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया । विद्वान् अपर न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी सं. 2 और 3 को भी दोषसिद्ध किया गया और पूर्वोक्त धारा के अधीन 6 मास के लिए कठोर कारावास भोगने का भी उन्हें दंडादेश दिया गया ।

2. सभी उपरोक्त कथित अपीलार्थी और सह-अभियुक्त सावित्री देवी और शिवशंकर दास को दंड संहिता की धारा 307/149 के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया गया और इसके अतिरिक्त सह-अभियुक्त सावित्री देवी को दंड संहिता की धारा 435 के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया गया जबकि शिवशंकर दास को दंड संहिता की धारा 379 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आक्षेपित निर्णय द्वारा विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया गया ।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार हैं कि मत्तार सदाई (अभि. सा. 7) ने तारीख 6 मई, 1994 को लगभग 4.45 बजे अपराह्न सहायक उप-निरीक्षक, बिस्फी पुलिस थाना को इस प्रभाव से अपना फर्द बयान दिया कि उसी दिन लगभग 7.00 बजे पूर्वाह्न अपीलार्थी सं. 1 हजारीदास कुछ श्रमिकों के साथ तालाब के दक्षिण और पूर्वी कोने में स्थित भूमि पर बाड़ लगा रहे थे । उसने यह भी कथन किया है कि गांववासी पूर्वोक्त भूमि का रास्ते के रूप में प्रयोग किया करते थे और जब उसने अपीलार्थी सं. 1 से इस बारे में पूछा कि वह पूर्वोक्त रास्ते पर बाड़ क्यों

लगा रहे हैं तब अपीलार्थी सं. 1 क्रोधित हो गया और उसे गालियां देने लगा और अन्य लोगों को उसे मारने का आदेश दिया । अपीलार्थी सं. 1 अपने घर पर गया और बाकी अपीलार्थियों के साथ वापस लौटा और अन्य अभियुक्त लाठी और फर्सा से लैस थे । सभी पूर्वोक्त व्यक्तियों ने उस पर हमला किया और इस अनुक्रम में अपीलार्थी सं. 1 ने उसको मारने के आशय से उसकी गर्दन पर फर्सा से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी गर्दन के बाईं ओर क्षति पहुंची और रक्त बहने लगा । वह जमीन पर गिर गया और उसी बीच में, अभियुक्त शिवशंकर दास ने उस पर अपनी पिस्तौल से गोली चलाने का प्रयास किया परंतु उसकी गोली चूक गई । पूर्वोक्त अभियुक्त ने उसकी जेब से कुछ नकदी निकाल ली । उसी बीच में सावित्री देवी दौड़ कर अपने घर गई और मिट्टी का तेल और माचिस लाई और उसने गेहूं के बंडल और नरकात पर आग लगा दी । अपीलार्थी सं. 1 ने पपीते का पेड़ काटा । पूर्वोक्त घटना को प्रयाग राय, राजेन्द्र दास, मटू महतो, अजय कुमार और बनारसी दास ने देखा । पूर्वोक्त घटना के पश्चात् उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार किया गया ।

4. पूर्वोक्त फर्द बयान के आधार पर बिस्फी पुलिस थाना मामला सं. 58/1994 रजिस्ट्रीकृत किया गया था और तद्नुसार दंड संहिता की धारा 147, 148, 323, 324, 307, 379, 427, 447, 435 और आयुध अधिनियम की धारा 27 तथा अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3/5 के अधीन अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 326, 307, 379, 427, 447, 435 और आयुध अधिनियम की धारा 27 तथा अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(ii) के अधीन अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया था परंतु दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 326, 307, 379, 427, 447, 435 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया था और मामला प्रायिक रीति में सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया ।

5. सह-अभियुक्त सावित्री देवी और शिवशंकर दास के साथ अपीलार्थियों का विचारण किया गया था और तद्नुसार सह-अभियुक्त सावित्री देवी और शिवशंकर दास के साथ अपीलार्थियों को दंड संहिता की

धारा 307/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संयुक्त रूप से आरोपित किया गया था जबकि सह-अभियुक्त सावित्री देवी को दंड संहिता की धारा 435 के अधीन अपराध के लिए पृथक् रूप से आरोपित किया गया था और सह-अभियुक्त शिवशंकर दास को दंड संहिता की धारा 379 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए पृथक् रूप से आरोपित किया गया था ।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 8 साक्षियों की परीक्षा कराई और अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श-1 के रूप में औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श-2 के रूप में अभि. सा. 7 की क्षति रिपोर्ट और प्रदर्श पी-3 के रूप में फर्द बयान को भी प्रदर्शित किया था । अपीलार्थियों और सह-अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए थे जिसमें उन्होंने आरोपों से इनकार किया है ।

7. प्रतिरक्षा पक्ष ने 2 साक्षियों की परीक्षा भी कराई जो स्वाभाविक रूप से औपचारिक थे और कुछ दस्तावेजों को साबित किया जिन्हें क्रमशः प्रदर्श-क, प्रदर्श-ख, प्रदर्श-ग, और प्रदर्श-घ के रूप में चिह्नित किया गया था ।

8. विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया और ऊपरकथित रीति में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

9. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होकर विद्वान् काउंसेल ने यह दलील देते हुए दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी है कि अभियोजन पक्ष घटना के स्थान तथा घटना की रीति को साबित करने में सफल नहीं हो सका है । उन्होंने यह भी कथन किया कि अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में घटना की रीति के बारे में कई विभेद प्रकट हुए हैं परंतु इसके बावजूद भी विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया । उन्होंने यह भी दलील दी की अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्षी 7 की मूल क्षति रिपोर्ट को लाने में विफल हुआ है क्योंकि अभि. सा. 8 ने स्वयं अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह स्वीकार किया है कि अभि. सा. 7 की परीक्षा के समय पर उन्होंने प्रथम पेज के भाग पर क्षति का उल्लेख किया है और इसके पश्चात् पेज के पूर्वोक्त भाग के आधार पर उन्होंने क्षति रिपोर्ट तैयार की जिसे प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया है । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि अभि. सा. 8 ने

यह राय दी है कि अभि. सा. 7 के शरीर पर पाई गई क्षति गंभीर प्रकृति की हैं परंतु उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अभि. सा. 7 की क्षति सं. 1 के बारे में पूर्वोक्त राय दी है क्योंकि पूर्वोक्त क्षति से रक्त निकल रहा था । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 8 की पूर्वोक्त राय विधि के अनुसरण में नहीं है और इसलिए क्षति सं. 1 जो उसके शरीर पर पाई गई थी, गंभीर नहीं थी और इसलिए, दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपीलार्थी सं. 1 की दोषसिद्धि उचित नहीं थी । उसने आगे यह दलील दी कि अभि. सा. 7 के अनुसार अभिकथित घटना तारीख 6 मई, 1994 को घटित हुई थी और अभि. सा. 7 का फर्द बयान उसी दिन 4.45 बजे अपराह्न अभिलिखित किया गया था और इसके अतिरिक्त प्रदर्श-1 से प्रकट होता है कि औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभि. सा. 7 का फर्द बयान तारीख 7 मई, 1994 को संबंधित न्यायालय को भेज दिया गया था परंतु यह आश्चर्यजनक है कि पूर्वोक्त औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और फर्द बयान तारीख 10 मई, 1994 को संबंधित न्यायालय के समक्ष रखा गया था । उन्होंने यह दलील दी कि पूर्वोक्त विलंब का अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और इसलिए, पूर्वोक्त विलंब से अभियोजन पक्षकथन की सत्यता के बारे में संदेह उत्पन्न होता है । उसने यह भी दलील दी कि अन्वेषक अधिकारी की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं की गई थी और इसलिए प्रतिरक्षा पक्ष को अन्वेषक अधिकारी से पूर्वोक्त विलंब के बारे में प्रश्न पूछने के लिए अवसर नहीं दिया जा सका । पूर्वोक्त दलीलों के आधार पर अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में कायम योग्य नहीं हो सकता है ।

10. दूसरी ओर, विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा जो राज्य की ओर से हाजिर हुए उन्होंने यह दलील देते हुए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के आदेश का समर्थन किया है कि अधिकांशतः अभि. सा. 7 जो इस मामले में आहत हुआ है सहित सभी तात्विक साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और उन्होंने घटना के स्थान तथा घटना की उत्पत्ति तथा घटना की रीति को साबित किया है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि अभि. सा. 7 की क्षति रिपोर्ट तथा अभि. सा. 8 का साक्ष्य बाकी अभियोजन साक्षियों के कथनों से संपुष्टि होती है और इसलिए, इस न्यायालय के पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि वह

दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के आदेश पर हस्तक्षेप करें ।

11. अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 7 ने अभिकथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है यद्यपि पूर्वोक्त साक्षी संयोगी साक्षियों के रूप में उपस्थित हुए हैं परंतु सभी उपरोक्त कथित साक्षियों ने यह कहते हुए अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है कि अपीलार्थी सं. 1 तालाब के दक्षिण और पूर्वी ओर स्थित भूमि पर बाड़ लगाने का काम कर रहा था, अभि. सा. 7 ने उसे ऐसा कार्य करने से मना किया और इसके पश्चात् अपीलार्थी सं. 1 और अन्य व्यक्तियों ने फर्सा और लाठी से अभियोजन साक्षी 7 पर हमला कर दिया ।

12. निःसंदेह इस मामले का अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई परंतु अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि अपीलार्थी सं. 1 तालाब के पूर्वी और दक्षिण कोने की ओर भूमि पर बाड़ लगा रहा था और पूर्वोक्त भूमि गांववासियों द्वारा रास्ते के रूप में प्रयोग की जाती थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि हजारीदास की भूमि पूर्वोक्त रास्ते के उत्तर की ओर स्थित है । इस साक्षी ने विशेष रूप से अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 2 में यह कथन किया है कि कैलाश का मकान विवादित भूमि से लगा हुआ था और उक्त भूमि पर रास्ता था ।

13. अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी सं. 1 पोखर के पूर्वी ओर भूमि पर बाड़ लगा रहा था, यद्यपि, इस साक्षी ने पूर्वोक्त भूमि के खाता और खसरा संख्या को बताने में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है ।

14. इसी तरह, अभि. सा. 4 ने यह कथन किया है कि अभिकथित घटना के समय पर पोखर के उत्तरी किनारे पर अपीलार्थियों द्वारा बाड़ लगाया जा रहा था ।

15. अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी सं. 1 पोखर के किनारे बाड़ लगा रहा था ।

16. अभि. सा. 6 ने यह कथन किया है कि पोखर के किनारे पर बाड़ लगाने के कारण झगड़ा हुआ था ।

17. अभि. सा. 7 जो मामले का इत्तिला देने वाला है, ने यह कथन किया है कि अभिकथित घटना अपीलार्थियों द्वारा पोखर पर बाड़ लगाने के कारण घटित हुई थी ।

18. निःसंदेह, इस मामले में अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा नहीं की गई परंतु यह स्वीकार किया गया कि अभि. सा. 4 को छोड़कर अधिकांश सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि अभिकथित घटना पोखर के दक्षिणी पूर्वी ओर स्थित भूमि पर बाड़ लगाने के कारण घटित हुई थी और पूर्वोक्त भूमि को गांववासियों द्वारा रास्ते के रूप में प्रयोग किया जाता था । इसलिए, मेरी यह राय है कि अभियोजन पक्ष न केवल घटना के स्थान को साबित करने में सफल हुआ है परंतु घटना की उत्पत्ति के बारे में भी ।

19. जहां तक घटना घटने की रीति का संबंध है अधिकांशतः सभी तात्विक अभियोजन साक्षियों ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अभि. सा. 7 पर फर्सा से प्रहार किया जबकि बाकी अपीलार्थियों ने लाठी से उस पर हमला किया ।

20. निःसंदेह तात्विक अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कुछ छोटे-मोटे विभेद प्रकट हुए हैं परंतु पूर्वोक्त छोटे-मोटे विभेद होना पूर्णतया नैसर्गिक है क्योंकि अभिकथित घटना वर्ष 1994 में घटित हुई थी और अभियोजन साक्षियों का अभिसाक्ष्य 3 से 4 वर्ष के पश्चात् अभिलिखित किया गया था इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में प्रकट हुए विभेद अभियोजन पक्षकथन की गहराई तक नहीं जाते ।

21. डा. भगवान दास (अभि. सा. 8) ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि वह तारीख 6 मई, 1994 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिस्फी पर तैनात था और उसने उसी दिन 12.00 बजे दोपहर में अभि. सा. 7 की परीक्षा की । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

> "(i). गर्दन के बाईं ओर तीव्र कटी हुई क्षति 4-1/2 इंच x 1/4 इंच x 1/2 इंच ।
>
> (ii) दाहिनीं जांघ पर 2 इंच x 2 इंच का गुमटा ।
>
> (iii) बाईं ऊपरी भुजा पर 2 इंच x 2 इंच का गुमटा ।"

इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियोजन साक्षी 7 की गर्दन पर पाई गई क्षति तीक्ष्ण रूप से कटी हुई थी जो प्रकृति में गंभीर थी जिसे तीक्ष्ण धारदार आयुध से कारित किया गया था जबकि बाकी 2 क्षतियां प्रकृति में साधारण थीं और किसी कठोर और कुंद वस्तु से कारित की गई थीं । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने पर उसने यह कथन किया है कि

चूंकि तीक्ष्ण रूप से कटी हुई क्षति से रक्त बह रहा था और उसने यह राय व्यक्त की है कि यह क्षति गंभीर थी । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया है पूर्वोक्त तीक्ष्ण कटी हुई क्षति जीवन के लिए खतरनाक थी । इसके अतिरिक्त, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह स्वीकार किया है कि अभि. सा. 7 की परीक्षा करने के समय पर उसने अभि. सा. 7 के शरीर पर पाई गई क्षतियों का कागज के टुकड़े पर उल्लेख किया है और इसके पश्चात् उन्होंने पूर्वोक्त कागज के भाग के आधार पर अपनी क्षति रिपोर्ट तैयार की । यह स्वीकार किया गया है कि कागज के पूर्वोक्त भाग को अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था और इसलिए, मेरा यह मत है कि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने ठीक ही यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मूल क्षति रिपोर्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई थी ।

22. अभि. सा. 8 ने अपने अभिसाक्ष्य तथा प्रदर्श-2 में यह उल्लेख किया है कि अभि. सा. 7 की गर्दन पर पाई गई क्षति प्रकृति में गंभीर थी और इसके अतिरिक्त अभि. सा. 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तीक्ष्ण रूप से कटी हुई क्षति अभि. सा. 7 के जीवन के लिए खतरनाक थी यद्यपि अभि. सा. 8 द्वारा अभि. सा. 7 के क्षति रिपोर्ट प्रदर्श-2 में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है । गंभीर उपहति को दंड संहिता, 1860 की धारा 320 में परिभाषित किया गया है । उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में "घोर" कहलाती हैं :–

"प्रथम – पुंस्त्वहरण ।

दूसरा – दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद ।

तीसरा – दोनों में से किसी भी कान की श्रवणशक्ति का स्थायी विच्छेद ।

चौथा – किसी अंग या जोड़ का विच्छेद ।

पांचवां – किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास ।

छठा – सिर या चेहरे या स्थायी विद्रूपिकरण ।

सातवां – अस्थि या दांत का भंग या विसंधान ।

आठवां – कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहति से ग्रस्त व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है ।"

23. पूर्वोक्त धारा का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि गंभीर उपहति को आठ प्रवर्गों में प्रवर्गित किया गया है और प्रवर्ग सं. 1 से 7 वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं । जहां तक प्रवर्ग 8 का संबंध है यह कहा गया है कि कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहति से ग्रस्त व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है तब पूर्वोक्त क्षति गंभीर उपहति की परिभाषा के अंतर्गत आएगी ।

24. वर्तमान मामले में अभि. सा. 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तीक्ष्ण कटी हुई क्षति अभि. सा. 7 की गर्दन पर पाई गई थी जो उसके जीवन के लिए खतरनाक थी और यह कारण था कि पूर्वोक्त क्षति प्रकृति में गंभीर थी परंतु यह स्वीकार किया गया है कि अभि. सा. 8 ने प्रदर्श 2 में पूर्वोक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया है और इससे अलग वहां इस आधार पर पूर्वोक्त निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त क्षति से रक्त बह रहा था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभिकथित घटना 7.00 बजे पूर्वाह्न घटित हुई थी और अभि. सा. 8 द्वारा 12.00 बजे दोपहर में अभि. सा. 7 की परीक्षा की गई । यह विश्वास करना कठिन है कि ऐसे लंबे समय के अंतराल के पश्चात् पूर्वोक्त क्षति से फिर भी रक्त बह रहा था । इसके अतिरिक्त, केवल उस क्षति के कारण रक्त का बहना पाया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त क्षति अभि. सा. 7 के जीवन के लिए खतरनाक थी । निःसंदेह वर्तमान मामले में अभि. सा. 7 की गर्दन पर क्षति पाई गई परंतु अभि. सा. 8 ने प्रदर्श 2 में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि अभियोजन साक्षी 7 की गर्दन पर कोई नस कटी हुई थी और इसलिए, अभि. सा. 8 की राय संदेहपूर्ण हो गई है ।

25. निःसंदेह डाक्टर की राय का कुछ महत्व है परंतु यह न्यायालय का कार्य है, कानून में वर्णित परिभाषा के आधार पर क्षति की प्रकृति का विनिश्चय करें । इसलिए, यद्यपि प्रदर्श 2 को विचार में लिया गया है तब भी मेरे विचार से अभियोजन साक्षी 7 की गर्दन पर तीक्ष्ण कटी हुई क्षति पाई गई थी जो उसके जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी और इसलिए,

पूर्वोक्त क्षति गंभीर उपहति की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती । इससे अलग, अभि. सा. 8 द्वारा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या अभि. सा. 7 अस्पताल में भर्ती था या नहीं । यद्यपि उसने यह कथन किया है कि उसने अभि. सा. 7 के लिए पर्ची तैयार की थी परंतु स्वीकृततः अभियोजन पक्ष कोई पर्ची या अस्पताल के रजिस्टर को नहीं लाया है और इसलिए, यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अभि. सा. 7 तीव्र शारीरिक पीड़ा में 20 दिन तक था या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ था । इस विषय पर मेरी यह राय है कि तीक्ष्ण कटी हुई क्षति अभि. सा. 7 की गर्दन पर पाई गई थी, दंड संहिता की धारा 320 के अधीन परिधि के अंतर्गत नहीं आती है ।

26. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे इस तथ्य को साबित करने में सफल नहीं हो सका है कि अभियोजन साक्षी 7 की गर्दन पर पाई गई क्षति गंभीर प्रकृति की थी और इसलिए, दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपीलार्थी सं. 1 की दोषसिद्धि विधि के अनुसरण में नहीं है ।

27. निःसंदेह, अभि. सा. 7 का फर्दबयान तारीख 6 मई, 1994 को अभिलिखित किया गया था और औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और फर्द-बयान तारीख 7 मई, 1994 को संबंधित न्यायालय को भेजा गया था जिसे तारीख 10 मई, 1994 को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा गया परंतु केवल औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और फर्दबयान संबंधित न्यायालय को भेजने में विलंब होने से अभियोजन पक्षकथन पर तब तक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा यह साबित न कर दिया जाए कि पूर्वोक्त विलंब प्रतिरक्षा के लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल हुआ है ।

28. वर्तमान मामले में अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि इस तथ्य को दर्शित किया जाए कि पूर्वोक्त विलंब से अपीलार्थियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसलिए, यद्यपि औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और फर्दबयान मामले के रजिस्ट्रेशन के 4 दिन पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा गया था तब भी यह बात अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

29. पूर्वोक्त चर्चाओं के आधार पर मेरी यह राय है कि अपीलार्थी

सं. 1 दंड संहिता की धारा 326 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और तद्नुसार अपीलार्थी सं. 1 की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 324 के अधीन परिवर्तित किया जाता है ।

30. जहां तक बाकी अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का संबंध है, मैं विचारण न्यायालय के निष्कर्षों पर कोई विघ्न नहीं डालता हूं और मेरा यह मत है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया था ।

31. जहां तक दंड के आदेश का संबंध है यह स्वीकार्य है कि अभिकथित घटना भूमि विवाद के कारण घटी थी और दोनों पक्षकारों ने विवादित भूमि पर अपने-अपने अधिकार का दावा किया था । इसके अतिरिक्त, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी सं. 1 दोषसिद्धि के निर्णय को सुनाते समय लगभग 53 वर्ष की आयु का है और उसे उस घटना के संबंध में जो वर्ष 1994 में घटी थी, वर्ष 2001 में दोषसिद्ध किया गया । मैंने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी सं. 1 को तारीख 10 अक्तूबर, 2001 को अभिरक्षा में लिया गया था और वह 5 नवंबर, 2001 तक अभिरक्षा में रहा है । अतः, अपीलार्थी सं. 1 की पूर्व दोषसिद्धि और आपराधिक इतिहास को दर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है और इसलिए, मेरा यह मत है कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह पर्याप्त होगा कि अपीलार्थी सं. 1 को दिया गया दंड उसके द्वारा पहले ही भोगी गई अवधि तक माना जाए । जहां तक बाकी अपीलार्थियों का संबंध है उन्हें दंड संहिता की धारा 323 के अधीन केवल दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और इसलिए, मेरा यह मत है कि उन्हें अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम्यक् रूप से चेतावनी देने के पश्चात् उन्मुक्त किया जाना चाहिए ।

32. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर इस दांडिक अपील को दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंड के आदेश में उस रीति से जैसाकि ऊपर कथन किया गया है उपांतर करके खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

राकेश सिंघा

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 7 सितंबर, 2012

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 147, 148, 333, 353 और 120-ख – बल्वा, आपराधिक षड्यंत्र और लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा – जहां बल्वा होने पर अभियुक्तों और लोक सेवकों के कर्तव्य के संबंध में ठीक-ठीक साक्ष्य न होने पर कि दोनों में आक्रामक कौन था तथा साक्षियों के कथनों में विसंगति, अलंकरण और सुधार प्रतीत होता हो और अभिलेख के साक्ष्य से दो मत निकाले जा सकते हों वहां सिद्धांततः संदेह का फायदा अभियुक्त को दिया जाना चाहिए ।

अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20 जून, 1999 को लायल सिक्यूरिटी फोर्स, बम्बई के लगभग 40 व्यक्ति रामपुर पहुंचे थे, उनमें से तुलसी दास, राम सरन सिंह, अरुण कुमार तिवारी, अमर सिंह और संतोष कुमार इसके सदस्य थे जिनके पास अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त लाइसेंसशुदा अग्न्यायुध थे । वे सतलज विश्राम गृह में लगभग 4-5 दिन रामपुर में ठहरे थे । तारीख 25 जून, 1999 को दोपहर में वे रामपुर से चले थे और लगभग 4.45 बजे अपराह्न चन्द्रमणी, उप-निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना, झाकरी के साथ कैंप साइट पावर प्रोजेक्ट, मंगलाहाड पर पहुंचे । रास्ते में चन्द्रमणी ने अपने ज्येष्ठों के मौखिक आदेशों पर सुरक्षा पदधारियों को कांस्टेबल, बहादुर सिंह, कांस्टेबल प्रकाश चन्द, हेड कांस्टेबल धीरज सैन, कांस्टेबल पन्ना लाल और कांस्टेबल लेखराज के साथ कैंप साइट की ओर उन्हें ले जाया गया । उनकी जानकारी में यह आया कि कुछ पुलिस पदधारी जिन्हें पहले ही प्रोजेक्ट स्थल पर नियोजित किया गया था, कर्मकारों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे । उसने उन्हें यह निदेश दिया कि वे अपनी वर्दी पहने । इसके पश्चात् वे मंगलाहाड बैरियर की ओर अग्रसर हुए परंतु कर्मकारों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया । सभी सुरक्षा कार्मिक उनको ऐसा करते हुए देखकर यान से नीचे उतर गए, कंपनी के कर्मकारों ने नारेबाजी करनी शुरू

कर दी । पूर्वोक्त उप-निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कंपनी के कर्मचारियों को आंदोलन न करने के लिए राजी कर लिया और उनसे कहा गया कि सौहार्दपूर्ण रूप से विवाद का निपटारा किया जाएगा, परंतु कर्मकारों ने सीटियां बजानी आरंभ कर दीं और वे उनकी भीड़ में सम्मिलित हो गए । अभि. सा. 1 पूर्वोक्त ने पुनः हिंसात्मक रवैया न अपनाने के लिए उन्हें भी राजी किया । उसी बीच में वहां पर एक यान पहुंचा और राजेन्द्र कौशल नामक व्यक्ति और अभियुक्त हरिओम (मृतक) कुछ दूरी पर नीचे उतरे और राजेन्द्र कौशल ने अपने भाषण में कर्मकारों से यह कहा कि वे लोग काफी समय से कंपनी के क्रियाकलापों को सहन कर रहे हैं और उनसे कहा कि वे लगातार अपने आंदोलन को जारी रखें । इसके पश्चात् राजेन्द्र कौशल पूर्वोक्त ने पत्थर उठा लिया । इस पर कर्मकारों ने भी पत्थर उठा लिए और पुलिस पदधारियों पर फेंकना शुरू कर दिया । पुलिस तथा घायल सुरक्षा गार्ड यान के पीछे शरण लेने के लिए चले गए और कर्मकारों ने सुरक्षा कार्मिकों का पीछा किया । उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी ने वायरलैस स्टेशन पर अपनी पहुंच लगाई और उच्चतर प्राधिकारियों को सूचना दी । उसी बीच में 4-6 कर्मकार कमरे के अंदर घुस गए और दीपक सुरिन्दर कुमार को कमरे से बाहर ले गए और उसे कर्मकारों द्वारा भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी । जबकि उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी ने कमरे से बाहर न आने की चेतावनी भी दी थी ऐसा न हो कि वह मारे जाएं । इस प्रकार, वह कमरे के अंदर ही रहा । कर्मकारों ने खिड़कियों के शीशों को नुकसान पहुंचाया शीशों पर पत्थर फेंके और यह घटना लगभग 10-15 मिनट तक लगातार चलती रही । उसी बीच में उसने बन्दूक से गोली चलने की आवाज सुनी और उसके पश्चात् ऐसा हुआ कि कुछ कर्मकार अपने हाथों में डंडे लेकर कमरे के अंदर घुस गए और उसे सड़क पर खींच कर ले आए और उसकी बेल्ट और शासकीय तमगे तथा उसकी टोपी उससे छीन ली । उसे पीटा गया जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर के भिन्न-भिन्न भागों पर क्षतियां कायम हुईं । एक श्रमिक की मृत्यु बन्दूक की गोली चलने के परिणामस्वरूप हो गई और लायल सुरक्षा बल के एक व्यक्ति के सिर पर क्षति पहुंची और बाद में वह नाले में मृत पाया गया । निरीक्षक, सी. आई. डी., ध्यानचंद वर्ष 1999 में ज्योरी पर तैनात था । उसके अनुसार, तारीख 17 जून, 1999 को अभियुक्त राकेश सिंघा ने कोटला पर सीआईटीयू कार्यालय में बैठक संचालित की थी जिसमें बिहारी लाल और हरिओम आदि भी मौजूद थे ।

उक्त बैठक में कंपनी के लगभग 26 कर्मचारी उपस्थित हुए थे । राकेश सिंघा ने उनके समक्ष अपना भाषण दिया था कि कंपनी के नए सुरक्षा कार्मिक को पहले की भांति वापस भगा दिया जाए और उसने कहा कि वे अपने बलिदान के लिए तैयार रहें और यदि किसी कर्मकार को नुकसान पहुंचता है तो उसे प्रतिकर दिया जाएगा । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 22 जून, 1999 को अभियुक्त राकेश सिंघा द्वारा पुनः एक बैठक को संबोधित किया गया और जब कर्मकारों को संबोधित कर रहा था तब उसने यह सूचना दी कि कुछ नए सुरक्षा कार्मिक पहुंच गए हैं, उन्हें भी वापस भेजा जाएगा । कर्मकार जो आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, उन्हें वास्तविक कामरेड समझा जाएगा । तद्नुसार, ध्यान सिंह ने रिपोर्ट तैयार की और इसे उच्चतर प्राधिकारियों को भेज दिया गया । अभियोजन पक्ष ने यह भी कथन किया है कि वह राकेश सिंघा अभियुक्त था जिसने सीआईटीयू कर्मकारों को भड़काया था और कंपनी के सुरक्षा में तैनात किए गए व्यक्तियों जो कार्यस्थल पर पहुंचेंगे, को हटाने के लिए कर्मकारों को षड्यंत्र पूर्वक तैयार किया गया था । परिणामस्वरूप कर्मकार पुलिस के संरक्षण के अधीन सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने विधि-विरुद्ध जमाव किया तथा पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तथा पुलिस और सुरक्षा कार्मिक जो इस घटना को रोकने के लिए एकत्रित हुए थे वहां पर संपत्ति का नुकसान हुआ और एक श्रमिक देवीदत्त भट्ट की मृत्यु हो चुकी थी जिसे बन्दूक की गोली के छर्रे से क्षति पहुंची थी, डा. वी. के. मिश्रा की राय के अनुसार सिर की क्षति के कारण सुरक्षा गार्ड की भी मृत्यु हुई थी । डा. पियूष कपिला द्वारा सुरक्षा गार्ड विरेन्द्र मिश्रा के शव का शव परीक्षण किया गया था जिसका शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 24/क है । उसने यह भी राय व्यक्त की है कि यद्यपि शव पानी के तालाब से 15 फीट नीचे से बरामद किया गया था जैसाकि पुलिस द्वारा वृत्तांत दिया गया है परंतु सभी तरह यह संभावनाएं हैं कि मृतक को पानी में फेंके जाने से पूर्व उसके सिर पर क्षति हुई थी । क्षति और मृत्यु के बीच लगभग 15 मिनट का अंतर था और मृत्यु और शव परीक्षण के बीच लगभग 96 घंटे का अंतर था । आहत व्यक्तियों की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी और वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी द्वारा दर्ज की गई थी और कर्मकारों ने कर्मकारों की हत्या के अपराध के लिए प्रति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की थी । दोनों ओर क्षतियां कायम हुई थीं, इसके अतिरिक्त मृतक कर्मकार देवीदत्त भट्ट की

बन्दूक की गोली से क्षति के कारण तथा सुरक्षा गार्ड विरेन्द्र मिश्रा की मृत्यु हुई थी । पुलिस द्वारा दोनों मामलों में अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थियों सहित 14 व्यक्तियों के विरुद्ध वर्तमान मामले में चालान फाइल किया गया था । शिव पाल सिंह रघुवंशी, तुलसी दास, राम सरन सिंह, अरुण कुमार तिवारी, अमर सिंह और संतोष कुमार और कुछ अन्य लोग प्रति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त थे । इन दोनों चालानों पर अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से विचारण किया गया था । कर्मकारों के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर दूसरे चालान से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था । तथापि, विचारण न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि दोनों चालानों पर एक साथ विचारण करे और यह निष्कर्ष निकाले कि आक्रामक कौन थे । परंतु वर्तमान चालान अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध रखा गया था, विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त रूप में अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया और अन्य लोगों को दोषमुक्त कर दिया इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई है । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुस्थिर विधि है कि अभियुक्त में से एक व्यक्ति का कार्य या कार्रवाई अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग में नहीं लाई जा सकती । षड्यंत्र को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि षड्यंत्र का प्रथमदृष्ट्या मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के लागू करने के लिए अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है जो षड्यंत्र की विधि के अपवाद के रूप में है । परंतु धारा 10 केवल तब लागू होती है जब न्यायालय का यह समाधान हो कि विश्वास करने का यह युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध कारित करने के लिए एक साथ षड्यंत्र किया था । दूसरे शब्दों में, प्रथमदृष्ट्या ऐसा साक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति अपने कार्यों को करने से पूर्व षड्यंत्र का पक्षकार था, सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है । जबकि ऐसा प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य विद्यमान है, उक्त आशय को प्रथम बार ग्रहण करने के पश्चात् सामान्य आशय के संदर्भ में षड्यंत्रकारियों में से किसी के द्वारा की गई या लिखित में किया जाना कहा जा सकता है जो अन्यों के विरुद्ध सुसंगत है । यह षड्यंत्र के विद्यमान होने को साबित करने के प्रयोज्य के लिए ही सुसंगत नहीं है । एक बार अभियुक्त को आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होने के रूप में साबित कर दिया जाता है जिस पर अन्य सह-अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाता है । यह नहीं कहा जा सकता है

कि अभियुक्त षड्यंत्र के लिए जिम्मेवार है जिसने अपराध किए जाने में भागीदारी नहीं की, उस मुख्य अपराध को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि (i) किसी षड्यंत्र का दुष्प्रेरण (ii) आपराधिक षड्यंत्र के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता है । पहले को धारा 107 के द्वितीय खंड में परिभाषित किया गया है और बाद वाले को धारा 120-क में परिभाषित किया गया है । आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का सार धारा 120-क के अंतर्गत है यह अपराध किए जाने का एक स्पष्ट करार है जिसे दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय बनाया गया है । दुष्प्रेरण का अपराध धारा 107 के द्वितीय खंड के अंतर्गत सृजित किया गया है जिसमें यह अपेक्षित है कि मात्र षड्यंत्र की अपेक्षा कुछ और भी होना चाहिए । उक्त षड्यंत्र के अनुसरण में कुछ कार्य या अवैध लोप होना चाहिए । इस प्रकार, षड्यंत्र के दुष्प्रेरण के लिए दंड और षड्यंत्र भी भिन्न है । पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा करने पर मैं उपरोक्त साक्षियों के कथनों में असंगतताएं, अतिश्योक्ति और सुधार पाता हूं । यदि किसी साक्षी ने मामले को साबित करने का प्रयास किया है और दूसरा साक्षी का साक्ष्य बिखर जाता है और तात्विक विशिष्टियों पर उससे विभेद प्रकट करता है, परंतु किसी प्रकार साक्षियों के एक समूह ने यह कथन किया है कि केवल हरिओम, राजेन्द्र कौशल कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था जब सुरक्षा कार्मिक परियोजना के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे थे और कई अन्यों की न्यायालय में परीक्षा की गई जिनके बारे में अन्य सीआईटीयू कर्मकारों के पहुंचने के बारे में उल्लेख किया गया है, परंतु वे इस प्रश्न पर संगत रहे हैं कि सशस्त्र सुरक्षा कार्मिक और पुलिस के पहुंचने पर कर्मकारों ने पहले किसी हिंसा का सहारा नहीं लिया था क्योंकि उनके पहुंचने पर भी वे परियोजना स्थल पर पहले ही नियोजित पुलिस कार्मिकों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे । अभिलेख पर दर्शित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कर्मकार सुसज्जित थे जबकि सुरक्षा कार्मिकों के पास बन्दूकें थीं और एक गोली चलाई गई थी जिससे कर्मकारों में से एक व्यक्ति को क्षति पहुंची थी जिसकी मृत्यु हो गई और कुछ अन्य कर्मकार क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें छर्रे की क्षतियां कायम हुई थीं जैसाकि डाक्टर द्वारा कथन किया गया है । इस प्रकार अभिलेख के साक्ष्य से दो मत प्रकट हुए हैं । एक मत केवल अभियुक्त हरिओम मृतक की ओर इंगित करता है तथा राजेन्द्र कौशल को कर्मकारों को भड़काने के लिए अभियुक्त नहीं बनाया गया और दूसरा मत यह है कि गार्डों को उकसाए

बिना उन्होंने गोली चलाई थी जिससे कुछ कर्मकारों को क्षतियां पहुंचीं जिसमें से एक की मृत्यु हो गई । अन्यों के बारे में कोई अकाट्य या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और यह सुस्थापित किया गया है कि मत का फायदा जो अभियुक्त के पक्ष में है, अभियुक्त को दिया जाना चाहिए । पूर्वोक्त परिस्थितियों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि आक्रामक कौन था । अभियोजन साक्ष्य यह सिद्ध करने में विफल हुआ है कि किस प्राधिकारी के कहने पर उप-निरीक्षक चन्द्रमणी सशस्त्र सुरक्षा कार्मिक के साथ घटनास्थल पर गया था जब उसके पास कोई विधिमान्य आदेश नहीं थे । सुरक्षा कार्मिकों के साथ पुलिस दल के प्रस्थान के बारे में रोजनामचा (दैनिक डायरी) में अभिलिखित नहीं किया गया और पुलिस पदधारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय आंदोलन को किसने संचालित किया था । निरीक्षक, ध्यान चंद के कथन को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है । तथ्यों से यह प्रकट हुआ है कि सुरक्षा कार्मिक और पुलिस को कंपनी द्वारा आंदोलन के दबाने के लिए तथा परियोजना में कर्मकारों को काम पर वापस लाने के लिए विवश करने हेतु घटनास्थल पर लाया गया था । ऐसी स्थिति से यह प्रकट है कि पुलिस द्वारा मामले में ठीक से कार्यवाही नहीं की गई जिससे अंततः एक बुरी घटना घटी जिसके बारे में अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आक्रामक कौन था । पूर्वोक्त पृष्ठभूमि के संबंध में जब साक्ष्य से विश्वास उत्प्रेरित नहीं होता है और उसमें पूर्णतया विभेद है और अभियुक्त व्यक्तियों की पंजिका के बारे में उचित पहचान का अभाव है तब न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति में से किसी को भी उपरोक्त अपराधों के संबंध में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट नहीं किया जा सकता है । (पैरा 10, 24, 25 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1988]	ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1883 : **केहर सिंह और अन्य** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** ।	10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 586.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से (संख्या 1, 3 और 4)	सर्वश्री जगदीश वत्स, अश्वनी पाठक और सुरेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री पी. एम. नेगी, उप-महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह – अपीलार्थियों के साथ 10 अन्य लोगों को दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 353, 332, 333, 114, 427, 307, 302, 120-ख और 201 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप-पत्रित करके विचारण किया गया था । अन्य सह-अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया था जबकि इसमें इसके पश्चात् अपीलार्थियों का "अभियुक्त" के रूप में उल्लेख किया गया है और उसमें इनके पश्चात् उन्हें दंड संहिता की धारा 147, 148, 353, 332, 333 और 120-ख/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा अभियुक्त राकेश सिंघा को दंड संहिता की धारा 147, 148, 353, 332, 333 और 120-ख के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और अलग-अलग धाराओं के लिए कारावास का दंडादेश निम्नप्रकार दिया गया है :–

"

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	धारा के अधीन अपराध	दंडादेश
1.	हरी ओम शर्मा (अब मृत)	दंड संहिता की धारा 147, 148, 353 और 120-ख	6 मास का कठोर कारावास और प्रत्येक को 500.00 रुपए का जुर्माना तथा जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 1 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास दंडादेश ।
		दंड संहिता की धारा 332 के अधीन	एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,000.00 रुपए जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 2 मास का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादेश ।
		दंड संहिता	2 वर्ष का कठोर

		की धारा 333 के अंतर्गत	कारावास तथा 2,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 3 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।
2.	किशन सिंह	दंड संहिता की धारा 147, 148, 353 और 120-ख	6 मास की अवधि का कठोर कारावास तथा अलग-अलग 500.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 1 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।
		दंड संहिता की धारा 332 के अधीन	1 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1,000.00 रुपए के जुर्माने के संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 2 मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।
		दंड संहिता की धारा 333 के अधीन	2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2,000.00 रुपए का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 3 मास का

			साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।
3.	भगत राम कौशल	दंड संहिता की धारा 147, 148, 353 और 120-ख	6 मास की अवधि का कठोर कारावास और अलग-अलग 500.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 1 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।
		दंड संहिता की धारा 332 के अधीन	1 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास और 1,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 2 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।
		दंड संहिता की धारा 333 के अधीन	2 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 3 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

4.	राकेश सिंघा	दंड संहिता की धारा 147, 148, 353 और 120-ख	6 मास की अवधि का कठोर कारावास तथा अलग-अलग 500.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 1 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।
		दंड संहिता की धारा 332 के अधीन	1 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास तथा 1,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 2 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।
		दंड संहिता की धारा 333 के अधीन	2 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास तथा 2,000.00 रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 3 मास का साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।

सभी सारभूत् दंडादेश के बारे में एक साथ चलने का आदेश किया गया ।"

2. पूर्वोक्त अभियुक्तों ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर तात्विक विभेदों के आधार पर अपनी दोषमुक्ति चाहने के

लिए यह अपील फाइल की और अभियोजन पक्ष द्वारा विधि के अनुसरण में उनके विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित नहीं किया है ।

तथ्यों की पृष्ठभूमि इस प्रकार है :–

3. "नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट" भारत सरकार और राज्य सरकार की सह-उद्यम कंपनी है । सतलज नदी के बहाव पर 1500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का निर्माण करना था । उक्त नदी का पानी जिस स्थान से लिया गया था वह स्थान नाथपा झाकरी के नाम से जाना जाता है जिसमें जमीन के अंदर 27 किलोमीटर हेड-सुरंग के रास्ते पानी लिया जाता है । हेड-रेस सुरंग के 11 किलोमीटर भाग पर निर्माण कार्य किए जाने के लिए नाथपा झाकरी संयुक्त उद्यम के लिए व्यापक निविदा की गई थी । उनके द्वारा अनुमानतः इंजीनियरों सहित 500 श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी । उक्त कंपनी को झाकरी, मंगलाहाड, दाज कोटला के स्थान पर अपना कार्य किया जाना था । वर्ष 1998 में उक्त उद्यम का लगभग 90 प्रतिशत का कार्य पूरा कर लिया गया था । इस प्रकार उन्होंने अपना कार्यबल वहां से हटा दिया था परंतु कर्मकारों से बड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जो "सेंटर आफ इंडिया ट्रेड यूनियन" (सीआईटीयू) के सदस्य थे अभियुक्त राकेश सिंघा और हरि ओम शर्मा यद्यपि नाथपा झाकरी संयुक्त उद्यम के कर्मकार नहीं थे परंतु वे सीआईटीयू के सक्रिय कर्मकार थे जबकि अन्य अभियुक्त कंपनी के कर्मकार थे ।

4. सीआईटीयू कर्मकार का नेतृत्व अभियुक्त राकेश सिंघा द्वारा किया गया था जो इसका अध्यक्ष था । पूर्वोक्त कंपनी का कार्यबल फरवरी, 1999 के मास से हड़ताल पर था । सीआईटीयू के नेता और संदेशवाहक ने अभिकथित रूप से काम पर नहीं जाने के लिए कर्मकारों को भड़काया था जिस पर उनके द्वारा उक्त कंपनी के वफादारों को फिर से कार्य करने से रोका था । कंपनी के स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की मदद से उक्त कंपनी को आबंटित शेष कार्य के निष्पादन करवाने की कोशिश भी की थी परंतु इसका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला बल्कि कर्मकार जो हड़ताल पर थे, ने कंपनी के सुरक्षा कार्मिकों पर हमला किया जिन्होंने अपने कर्मकारों को अपनी सुरक्षा तथा कंपनी की सम्पत्ति की रक्षा के लिए आयुध की आपूर्ति या अतिरिक्त सशस्त्र सुरक्षा देने का आग्रह किया । इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध यह हुआ था कि संयुक्त उद्यम के प्रबंधतंत्र ने "वफादार सुरक्षाबल, बम्बई" की सेवा लेने की अध्यपेक्षा की जिससे कि कर्मकार जो लगातार कार्य करने में हितबद्ध हैं उनको सुरक्षा के अंतर्गत लाया जाए ।

अभियोजन पक्षकथन

5. अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20 जून, 1999 को लायल सिक्यूरिटी फोर्स, बम्बई के लगभग 40 व्यक्ति रामपुर पहुंचे थे, उनमें से तुलसी दास (अभि. सा. 42), राम सरन सिंह (अभि. सा. 43), अरुण कुमार तिवारी (अभि. सा. 44), अमर सिंह (अभि. सा. 45) और संतोष कुमार (अभि. सा. 46) इसके सदस्य थे जिनके पास अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त लाइसेंसशुदा अग्न्यायुध थे । वे सतलज विश्राम गृह में लगभग 4-5 दिन रामपुर में ठहरे थे ।

(i) तारीख 25 जून, 1999 को दोपहर में वे रामपुर से चले थे और लगभग 4.45 बजे अपराह्न चन्द्रमणी, उप-निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी (अभि. सा. 1) पुलिस थाना, झाकरी के साथ कैंप साइट पावर प्रोजेक्ट, मंगलाहाड पर पहुंचे । रास्ते में चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) ने अपने ज्येष्ठों के मौखिक आदेशों पर सुरक्षा पदधारियों को कांस्टेबल बहादुर सिंह (अभि. सा. 2), कांस्टेबल प्रकाश चन्द, हेड कांस्टेबल धीरज सैन (अभि. सा. 9), कांस्टेबल पन्ना लाल और कांस्टेबल लेखराज के साथ कैंप साइट की ओर उन्हें ले जाया गया । उनकी जानकारी में यह आया कि कुछ पुलिस पदधारी जिन्हें पहले ही प्रोजेक्ट स्थल पर नियोजित किया गया था, कर्मकारों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे । उसने उन्हें यह निदेश दिया कि वे अपनी वर्दी पहनें । इसके पश्चात् वे मंगलाहाड बैरियर की ओर अग्रसर हुए परंतु कर्मकारों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया । सभी सुरक्षा कार्मिक उनको ऐसा करते हुए देखकर यान से नीचे उतर गए, कंपनी के कर्मकारों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी । पूर्वोक्त उप-निरीक्षक/भारसाधक अधिकारी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और कंपनी के कर्मचारियों को आंदोलन न करने के लिए राजी कर लिया और उनसे कहा गया कि सौहार्दपूर्ण रूप से विवाद का निपटारा किया जाएगा, परंतु कर्मकारों ने सीटियां बजानी आरंभ कर दीं और वे उनकी भीड़ में सम्मिलित हो गए । अभि. सा. 1 पूर्वोक्त ने पुनः हिंसात्मक रवैय्या न अपनाने के लिए उन्हें भी राजी किया । उसी बीच में वहां पर एक यान पहुंचा और राजेन्द्र कौशल नामक व्यक्ति (जिसे अभियुक्त के रूप में सहबद्ध नहीं किया गया है) और अभियुक्त हरिओम (मृतक) कुछ दूरी पर नीचे उतरे और राजेन्द्र कौशल ने अपने भाषण में कर्मकारों से यह कहा कि वे लोग काफी समय से कंपनी के क्रियाकलापों को सहन कर रहे हैं और उनसे कहा कि वे लगातार अपने

आंदोलन को जारी रखें । इसके पश्चात् राजेन्द्र कौशल पूर्वोक्त ने पत्थर उठा लिया । इस पर कर्मकारों ने भी पत्थर उठा लिए और पुलिस पदधारियों पर फेंकना शुरू कर दिया । पुलिस तथा घायल सुरक्षा गार्ड यान के पीछे शरण लेने के लिए चले गए और कर्मकारों ने सुरक्षा कार्मिकों का पीछा किया ।

(ii) उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) ने वायरलैस स्टेशन पर अपनी पहुंच लगाई और उच्चतर प्राधिकारियों को सूचना दी । उसी बीच में 4-6 कर्मकार कमरे के अंदर घुस गए और दीपक सुरिन्दर कुमार (अभि. सा. 3) को कमरे से बाहर ले गए और उसे कर्मकारों द्वारा भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दी । जबकि उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी ने कमरे से बाहर न आने की चेतावनी भी दी थी ऐसा न हो कि वह मारे जाएं । इस प्रकार, वह कमरे के अंदर ही रहा । कर्मकारों ने खिड़कियों के शीशों को नुकसान पहुंचाया शीशों पर पत्थर फेंके और यह घटना लगभग 10-15 मिनट तक लगातार चलती रही । उसी बीच में उसने बन्दूक से गोली चलने की आवाज सुनी और उसके पश्चात् ऐसा हुआ कि कुछ कर्मकार अपने हाथों में डंडे लेकर कमरे के अंदर घुस गए और उसे सड़क पर खींच कर ले आए और उसकी बेल्ट और शासकीय तमगे तथा उसकी टोपी उससे छीन ली । उसे पीटा गया जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर के भिन्न-भिन्न भागों पर क्षतियां कायम हुईं । एक श्रमिक की मृत्यु बन्दूक की गोली चलने के परिणामस्वरूप हो गई और लायल सुरक्षा बल के एक व्यक्ति के सिर पर क्षति पहुंची और बाद में वह नाले में मृत पाया गया ।

(iii) निरीक्षक, सी. आई. डी., ध्यानचंद (अभि. सा. 34) वर्ष 1999 में ज्योरी पर तैनात था । उसके अनुसार, तारीख 17 जून, 1999 को अभियुक्त राकेश सिंघा ने कोटला पर सीआईटीयू कार्यालय में बैठक संचालित की थी जिसमें बिहारी लाल और हरिओम आदि भी मौजूद थे । उक्त बैठक में कंपनी के लगभग 26 कर्मचारी उपस्थित हुए थे । राकेश सिंघा ने उनके समक्ष अपना भाषण दिया था कि कंपनी के नए सुरक्षा कार्मिक को पहले की भांति वापस भगा दिया जाए और उसने कहा कि वे अपने बलिदान के लिए तैयार रहें और यदि कोई कर्मकार को नुकसान पहुंचता है तो उसे प्रतिकर दिया जाएगा । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 22 जून, 1999 को अभियुक्त राकेश सिंघा द्वारा पुनः एक बैठक को संबोधित किया गया और जब कर्मकारों को संबोधित कर रहा था तब

उसने यह सूचना दी कि कुछ नए सुरक्षा कार्मिक पहुंच गए हैं, उन्हें भी वापस भेजा जाएगा । कर्मकार जो आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं, उन्हें वास्तविक कामरेड समझा जाएगा । तद्नुसार, ध्यान सिंह (अभि. सा. 34) ने रिपोर्ट तैयार की और इसे उच्चतर प्राधिकारियों को भेज दिया गया ।

(iv) अभियोजन पक्ष ने यह भी कथन किया है कि वह राकेश सिंघा अभियुक्त था जिसने सीआईटीयू कर्मकारों को भड़काया था और कंपनी के सुरक्षा में तैनात किए गए व्यक्तियों जो कार्यस्थल पर पहुंचेंगे, को हटाने के लिए कर्मकार को षड्यंत्र पूर्वक तैयार किया गया था । परिणामस्वरूप कर्मकारों पुलिस के संरक्षण के अधीन सुरक्षा करने वाले व्यक्तियों को देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने विधिविरुद्ध जमाव किया तथा पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया तथा पुलिस और सुरक्षा कार्मिक जो इस घटना को रोकने के लिए एकत्रित हुए थे वहां पर संपत्ति का नुकसान हुआ और एक श्रमिक देवीदत्त भट्ट की मृत्यु हो चुकी थी जिसे बन्दूक की गोली के छर्रे से क्षति पहुंची थी, डा. वी. के. मिश्रा की राय के अनुसार सिर की क्षति के कारण सुरक्षा गार्ड की भी मृत्यु हुई थी । डा. प्यूष कपिला (अभि. सा. 24) द्वारा सुरक्षा गार्ड विरेन्द्र मिश्रा के शव का शवपरीक्षण किया गया था जिसका शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 24/क है । उसने यह भी राय व्यक्त की है कि यद्यपि शव पानी के तालाब से 15 फीट नीचे से बरामद किया गया था जैसाकि पुलिस द्वारा वृत्तांत दिया गया है परंतु सभी यह संभावनाएं हैं कि मृतक को पानी में फेंके जाने से पूर्व उसके सिर पर क्षति हुई थी । क्षति और मृत्यु के बीच लगभग 15 मिनट का अंतर था और मृत्यु और शवपरीक्षण के बीच लगभग 96 घंटे का अंतर था ।

(v) आहत व्यक्तियों की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी और वर्तमान प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी द्वारा दर्ज की गई थी और कर्मकारों ने कर्मकारों की हत्या के अपराध के लिए प्रति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी दर्ज की थी । दोनों ओर क्षतियां कायम हुई थीं, इसके अतिरिक्त मृतक कर्मकार देवीदत्त भट्ट की बन्दूक की गोली से क्षति के कारण तथा सुरक्षा गार्ड विरेन्द्र मिश्रा की मृत्यु हुई थी ।

6. पुलिस द्वारा दोनों मामलों में अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थियों सहित 14 व्यक्तियों के विरुद्ध वर्तमान मामले में चालान फाइल किया गया था । शिव पाल सिंह रघुवंशी (अभि. सा. 25), तुलसी दास (अभि. सा. 42), रामसरन सिंह (अभि. सा. 43), अरुण कुमार

तिवारी (अभि. सा. 44), अमर सिंह (अभि. सा. 45) और संतोष कुमार (अभि. सा. 46) और कुछ अन्य लोग प्रति प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्त थे । इन दोनों चालानों पर अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से विचारण किया गया था । कर्मकारों के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर दूसरे चालान से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था । तथापि, विचारण न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि दोनों चालानों पर एक साथ विचारण करे और यह निष्कर्ष निकाले कि आक्रामक कौन थे । परंतु वर्तमान चालान अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध रखा गया था, विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त रूप में अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया और अन्य लोगों को दोषमुक्त कर दिया इसलिए, वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

7. श्री जगदीश वत्स विद्वान् अधिवक्ता जिनकी सर्वश्री अश्वनी पाठक सुरेन्द्र वर्मा, अधिवक्ता द्वारा सम्यक् रूप से सहायता की गई थी, दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त राकेश सिंघा अभिकथित घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, इस प्रकार कांस्टेबल बहादुर सिंह (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में गलत रूप से यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था । यह भी तर्क दिया गया कि घटनास्थल पर सैकड़ों कर्मकार थे । कंपनी के कर्मकारों को आतंकित करने पर उन्होंने बिना किसी विधिमान्य आदेशों के पुलिस के साथ आयुध सज्जित सुरक्षा गार्डों की सेवा लेने का विरोध किया ताकि वे अपने दबाव के आगे झुक जाएं । इस षड्यंत्र में पुलिस से उन्हें अलग रखा गया और लाठी चार्ज का सहारा लिया गया तथा सुरक्षा गार्डों ने बन्दूक की गोलियों का सहारा लिया जिसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मकारों को छर्रों की क्षति कायम हुई और उनमें से एक की मृत्यु हो गई और वहां पर भगदड़ मच गई । इस कार्यवाही में सुरक्षा गार्डों में से एक नाले में गिर गया था और उसे सिर की क्षति कायम हुई थी । उसकी भी मृत्यु हो गई और यह भी दलील दी गई थी कि कर्मकारों द्वारा कोई विधिविरुद्ध जमाव नहीं किया गया था । उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वे मंगलाहाड पर पहुंचे उन्होंने यह देखा कि कुछ पुलिस पदधारी पहले ही वहां पर नियोजित थे जो परियोजना के कर्मकारों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे । पुलिस और सुरक्षा कार्मिकों के पहुंचने से पूर्व कोई हिंसा नहीं हुई थी, सब कुछ सामान्य था । यह दलील दी गई कि कर्मकारों द्वारा आंदोलन करने की संभावना को बाहर नहीं किया जा सकता है जब पुलिस तथा सुरक्षा गार्डों द्वारा लाठी चार्ज किया गया था । विद्वान् काउंसेल

ने हेड कांस्टेबल जीत राम (अभि. सा. 5) के कथनों का भी उल्लेख किया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि उसने दो-तीन बन्दूक की गोलियां चलने की आवाज सुनी थी जो सुरक्षा कार्मिकों द्वारा ही चलाई जा सकी थी जो आयुधों से लैस थे जबकि अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि कोई बन्दूक या आयुध कर्मकारों के पास था । श्री वत्स ने यह भी दलील दी है कि राकेश सिंघा सीआईटीयू का अध्यक्ष रहा है जिसने श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य किया था और इन बातों के अनुसरण में उसने उनसे मंत्रणा की और निरीक्षक ध्यान चन्द (अभि. सा. 34) का कथन एक दूषित वृत्तांत है जिसे किसी अभिलेख से सिद्ध नहीं किया गया है जिस पर उसके बारे में उच्चतर प्राधिकारियों को अभिलेख भेजे जाने का अभिकथन किया गया है । इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में अभियुक्त-व्यक्तियों की पहचान विचलित करने वाला है । साक्ष्य पर प्रकट हुए दो वृत्तांत निगम्य हैं । अभियुक्त के पक्ष में वृत्तांत का फायदा उस पर उनके पक्ष को महत्व दिया जाना चाहिए । श्री वत्स द्वारा उठाए गए उपरोक्त प्रश्न अभिलेख के विस्तार पर प्रकट हुए साक्ष्य से मैं प्रभावित हूं कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य तात्विक विशिष्टियों पर विभेदकारी, असंगत और अतिश्योक्तिपूर्ण और विश्वास के अयोग्य है । इसके अतिरिक्त, कोई आदेश या दैनिक डायरी पेश नहीं की गई और यह साबित किया गया कि अभि. सा. 1 पुलिस बल के साथ कंपनी के सुरक्षा गार्डों के साथ तैनात किया गया था । विचारण न्यायालय के बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है जिससे अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

8. इसके विपरीत, उप-महाधिवक्ता श्री पी. एम. नेगी ने दोषसिद्ध और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि राकेश सिंघा प्रमुख कार्यकर्ता था जिसने घटना से पूर्व हड़ताल पर जाने के लिए कर्मकारों को राजी किया और कर्मकारों को आंदोलित करने के लिए बैठक बुलाई कि सुरक्षा कार्मिक को वापस भेजा जाए और उनसे यह कहा कि वे उक्त बैठक में भाग लें । उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में निरीक्षक ध्यान चन्द (अभि. सा. 34) के कथनों का भी अवलंब लिया और यह दलील दी कि हरिओम अभियुक्त जो राकेश सिंघा की बैठक में उपस्थित हुआ था वह अन्य सहापराधी के साथ अभिकथित घटना की तारीख को मौजूद था जब पुलिस के साथ सुरक्षा के व्यक्ति वहां पहुंचे थे । जब अन्य कर्मकार जो वहां पर मौजूद थे, का अनुसरण करते हुए परिवादी पक्षकार पर पत्थर फेंके गए थे । श्री नेगी के अनुसार कर्मकार आक्रामक थे

और सुरक्षा कार्मिक तथा पुलिस पदधारी ने अपने बचने की कोशिश की थी ।

9. मैंने पक्षकारों की परस्पर दलीलों पर गहराई से विचार किया है और अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य का बारीकी से सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करके छानबीन की ।

10. यह सुस्थिर विधि है कि अभियुक्त में से एक व्यक्ति का कार्य या कार्रवाई अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के प्रयोग में नहीं लाई जा सकती । षड्यंत्र को साबित करने के लिए यह आवश्यक है कि षड्यंत्र का प्रथमदृष्ट्या मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के लागू करने के लिए अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है जो षड्यंत्र की विधि के अपवाद के रूप में है । परंतु धारा 10 केवल तब लागू होती है जब न्यायालय का यह समाधान हो कि विश्वास करने का यह युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध कारित करने के लिए एक साथ षड्यंत्र किया था । दूसरे शब्दों में, प्रथमदृष्ट्या ऐसा साक्ष्य होना चाहिए कि व्यक्ति अपने कार्यों को करने से पूर्व षड्यंत्र का पक्षकार था, सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है । जबकि ऐसा प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य विद्यमान है, उक्त आशय को प्रथम बार ग्रहण करने के पश्चात् सामान्य आशय के संदर्भ में षड्यंत्रकारियों में से किसी के द्वारा की गई या लिखित में किया जाना कहा जा सकता है जो अन्यों के विरुद्ध सुसंगत है । यह षड्यंत्र के विद्यमान होने को साबित करने के प्रयोज्य के लिए ही सुसंगत नहीं है । एक बार अभियुक्त को आपराधिक षड्यंत्र का पक्षकार होने के रूप में साबित कर दिया जाता है जिस पर अन्य सह-अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाता है । यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त षड्यंत्र के लिए जिम्मेवार है जिसने अपराध किए जाने में भागीदारी नहीं की, उस मुख्य अपराधी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । **केहर सिंह और अन्य** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि (i) किसी षड्यंत्र का दुष्प्रेरण (ii) आपराधिक षड्यंत्र के बीच महत्वपूर्ण भिन्नता है । पहले को धारा 107 के द्वितीय खंड में परिभाषित किया गया है और बाद वाले को धारा 120-क में परिभाषित किया गया है । आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का सार धारा 120-क के अंतर्गत है यह अपराध किए जाने का एक स्पष्ट करार है जिसे दंड संहिता की धारा 120-ख के अधीन दंडनीय बनाया गया

---

[1] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1883.

है । दुष्प्रेरण का अपराध धारा 107 के द्वितीय खंड के अंतर्गत सृजित किया गया है जिसमें यह अपेक्षित है कि मात्र षड्यंत्र की अपेक्षा कुछ और भी होना चाहिए । उक्त षड्यंत्र के अनुसरण में कुछ कार्य या अवैध लोप होना चाहिए । इस प्रकार, षड्यंत्र के दुष्प्रेरण के लिए दंड और षड्यंत्र भी भिन्न है ।

11. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने दुष्प्रेरण तथा षड्यंत्र का अत्यधिक अवलंब लिया है । निरीक्षक ध्यान चंद (अभि. सा. 34) का कथन अभियुक्त राकेश सिंघा के विरुद्ध दबाव बनाता है ।

12. स्वीकृततः, "लायल सुरक्षा कार्मिक, बम्बई" तारीख 20 जून, 1999 को रामपुर पहुंच गए थे । निरीक्षक ध्यान चंद (अभि. सा. 34) के अनुसार राकेश सिंघा, सह-अभियुक्त ने सीआईटीयू कार्यालय, कोटला में 17 जून, 1999 को बैठक रखी थी और कंपनी के लगभग 26 कर्मचारी उक्त बैठक में उपस्थित हुए थे परंतु उसी समय सुरक्षा कार्मिक वहां पर नहीं पहुंचे थे और न प्रबंधतंत्र द्वारा उन्हें बुलाया जाना साबित किया गया है । तारीख 22 जून, 1999 को उसी स्थान पर एक दूसरी बैठक रखकर संबोधित की गई थी । उसके बारे में मौजूद कर्मकारों को आंदोलन चलाने के लिए भड़काया जाना अभिकथित है । वहां पर उन्हें यह सूचना मिली थी कि सुरक्षा कार्मिक पहुंच गए हैं और उन्हें वापस भेजा जाएगा और जो कोई भी उक्त आंदोलन में भागीदारी करेगा वही वास्तविक कामरेड होगा । इस साक्षी के बारे में रिपोर्ट तैयार किया जाना कहा गया है और उसे उच्चतर प्राधिकारियों को भेजा गया था । यह सुसंगत है कि उक्त निरीक्षक के बारे में उस समय ज्योरी पर तैनात होना अभिकथित है । अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह मंगलाहाड पर मौजूद था । अभियोजन पक्ष ने उसके द्वारा अपने उच्चतर प्राधिकारियों को ऐसी रिपोर्ट भेजा जाना साबित नहीं किया है जिससे कि यह न्यायालय सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे प्राप्त करने का हकदार हो सकता था । उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार करने के अलावा इनकार नहीं किया है कि राकेश सिंघा हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा था । उसकी प्रतिपरीक्षा में यह भी अभिकथित है कि उसे उसकी लोकप्रियता को कम करने के लिए कई मिथ्या मामलों में फंसाया गया था परंतु इस साक्षी ने इन तथ्यों के बारे में अपनी अनभिज्ञता अभिव्यक्त की है । उसके कथन की उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) के कथनों के प्रकाश में परीक्षा किया जाना

अपेक्षित है ।

13. अभि. सा. 1 ने कहीं भी अभिकथित घटना के दिन को राकेश सिंघा की मौजूदगी के बारे में कथन नहीं किया है । उसने किसी भी हमलावर की पहचान नहीं की है जिसने उसे या दीपक सुरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) जिसके कमरे में उक्त निरीक्षक बैठा हुआ था कमरे से बाहर खींचा था । उसके अनुसार घटनास्थल पर लगभग 500 व्यक्ति मौजूद थे । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वह घटना के स्थान पर पहुंचा तब उसने परियोजना स्थल पर पहले ही कुछ पुलिस पदधारियों को नियोजित होने के रूप में देखा था जो कर्मकारों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे जो कर्मकार फरवरी, 1999 से हड़ताल पर थे और अभिकथित घटना की तारीख तक को हिंसा की घटना नहीं घटी थी जिससे यह दर्शित होता है कि जब तक सुरक्षा कार्मिक वहां पर नहीं पहुंचे थे तब तक वहां पर सभी प्रकार से हालात ठीक चल रहे थे और कर्मकारों ने अपनी असहमति के तरीके का सहारा लिया था जो विधि के अधीन अनुज्ञेय है ।

14. इसके अतिरिक्त, चन्द्रमणी ने यह कथन किया है कि जब वह पुलिस पदधारियों और सुरक्षा कार्मिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा राजेन्द्र कौशल नामक व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं था ने पत्थर उठा लिया और उस समय हरिओम (मृतक अभियुक्त) के बारे में कोई प्रत्यक्ष कार्य किया जाना नहीं माना गया है । उसने यह भी कथन किया है कि पुलिस पदधारी और सुरक्षा कार्मिक ने यान के पीछे अपने को छुपा लिया था और जब सुरक्षा कार्मिक घटनास्थल से चले गए तब कर्मकारों ने उनका पीछा किया और उन पर पत्थर फेंके । इसके पश्चात् ऐसा हुआ था कि वह दीपक सुरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) के कमरे में गया जिसे कमरे से बाहर खींचा जाना अभिकथित है । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि कांस्टेबल, बहादुर सिंह (अभि. सा. 2) उसके साथ चला था परंतु बहादुर सिंह (अभि. सा. 2) के अनुसार कि वह पहले ही परियोजना स्थल पर नियोजित था । उसने किसी कर्मकार की उपस्थिति के बारे कथन नहीं किया है जिसको राकेश सिंघा द्वारा संबोधित किया गया है ।

15. कांस्टेबल, बहादुर सिंह (अभि. सा. 2) जैसाकि ऊपर पहले ही कथन किया गया है । घटनास्थल पर अभियुक्त राकेश सिंघा की मौजूदगी के बारे में अभियोजन पक्ष के द्वारा किया गया कथन प्रारंभिक मामले के विरुद्ध जाता है जो अभियोजन पक्षकथन के प्रतिकूल है । यह बात महत्वपूर्ण है कि उसने घटनास्थल पर राजेन्द्र कौशल और हरिओम के

पहुंचने के बारे में कथन नहीं किया है बल्कि यह कथन किया है कि जब सुरक्षा कार्मिक घटनास्थल पर पहुंचे तब कर्मकारों को परिसर के क्षेत्र के अंदर घुसने की आज्ञा नहीं दी गई । उन्होंने सीटी बजाई और कई कर्मकार वहां पर पहुंचे और उन्होने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए तथा वह कर्मकारों की पहचान नहीं कर सका जिन्होंने पत्थर फेंके थे । उसका हरिओम और राजेन्द्र कौशल के पहुंचने के बारे तथा पत्थर उठाने के बारे में कथन की पूर्वोक्त अभि. सा. 1 के वृत्तांत से सम्पुष्टि नहीं होती है ।

16. इसके अतिरिक्त, दीपक सुरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 3) के बारे में यह कहा गया है कि उसे कमरे से बाहर खींचा गया था परंतु वह किसी व्यक्ति का नाम या अभियुक्त में से किसी व्यक्ति की पहचान करने में विफल रहा । इस प्रकार, उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन से विभेद प्रकट करता है परंतु उसने उसके समक्ष किसी कथन को किए जाने को इनकार किया है । उसने अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि वह कंपनी के सभी कर्मकारों से परिचित नहीं था और पुलिस को हमलावरों के रूप में किसी व्यक्ति के नाम को नहीं बताया । उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि अभिकथित घटना के दिन को लगभग 150 से 200 व्यक्ति जमा हुए थे, यद्यपि, उसने बन्दूक की गोली चलने की आवाज नहीं सुनी परंतु उसने लोगों को तथा सुरक्षा कार्मकारों को देखे जाने का कथन किया है जो इधर-उधर भाग रहे थे जब पत्थर फेंके जा रहे थे । अभि. सा. 5 हेड-कांस्टेबल, जीत राम ने भी इसी तरह का कथन किया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि भगदड़ में एक सुरक्षा कार्मिक जमीन पर भी गिर गया था और उसने 2/3 बन्दूक की गोली की आवाज सुनी थी ।

17. कांस्टेबल, किशोरी लाल (अभि. सा. 6) उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) के साथ था । उसके अनुसार, कंपनी के कर्मकारों पर बन्दूक की गोली चलाने के पश्चात् वे इधर-उधर भाग रहे थे और दोनों पक्षों को क्षतियां कायम हुई थीं । उसने व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया जो उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) और अन्य कांस्टेबलों को क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी था ।

18. हेड कांस्टेबल, धीरज सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि जब पुलिस और सुरक्षा कार्मिक घटनास्थल पर पहुंचे तब चन्द्रमणी ने कर्मकारों को शांत करने का प्रयास किया और कर्मकारों से यह कहा कि

कंपनी के परिसर में सुरक्षा कार्मिकों को आने की इजाजत दें, इसके पश्चात् एक जीप पहुंची और कुछ व्यक्ति अर्थात् भगत सिंह कौशल, हरिओम, बिहारी लाल, किशन सिंह, लेखराज, नरसिंह, कुलदीप और रणबीर अपने हाथों में पत्थर, लाठियां लेकर वहां पर पहुंचे । उसका कथन उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) के कथन के विरुद्ध है जिसने यह कथन किया कि केवल राजेन्द्र कौशल और हरिओम यान से वहां पर पहुंचे थे । उसने यह भी कथन किया कि जब उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी ने शांति बनाए रखने का प्रयास किया तब अभियुक्त भगत सिंह जिसने सुरक्षा कार्मिकों से इस बारे में कहा कि वे लोग कैसे उनकी सहमति के बिना कारखाने परिसर में घुसे और इसके पश्चात् उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए । उसने यह भी कथन किया कि उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी को कर्मकारों द्वारा तथा हरिओम, भरत सिंह, बिहारी लाल, किशन सिंह, नरसिंह, रणबीर सिंह और कुलदीप सिंह द्वारा भी पीटा गया था । जब उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित अपने कथनों से विभेद प्रकट किया है और उपरोक्त तात्विक तथ्यों का उसमें उल्लेख नहीं पाया गया था, यद्यपि उसने यह स्वीकार किया है कि कर्मकार मंगलाहाड परिसर पर पहले से नियोजित पुलिस पदधारियों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण था । वह नहीं कह सकता है कि क्या चन्द्रमणी के कब्जे में किसी प्राधिकारी का पत्र था जो कंपनी के परिसर में सुरक्षा कार्मिकों को लाने का था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि बंदूक की गोली चलने के पश्चात् लोगों ने इधर-उधर भागना शुरू कर दिया और जिसके परिणामस्वरूप कुछ सुरक्षा कार्मिक जमीन पर गिर गए और कुछ शरण लेने के लिए भाग गए । यान का पहुंचना और घटनास्थल पर उसके द्वारा बताए गए व्यक्तियों की मौजूदगी पर प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से विवाद किया गया है ।

19. कंपनी का कार्मिक प्रबंधक, शिवपाल सिंह रघुवंशी (अभि. सा. 25) ने यह कथन किया है कि कंपनी और कर्मकार के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे, यद्यपि अभियुक्त राकेश सिंघा कंपनी के परिसर में जाया करता था । उसके अनुसार, वह कंपनी के कर्मकारों को भड़काया करता था । वे पहले ही लांसर सुरक्षा बल में नियोजित थे । राकेश सिंघा को समर्थन करने वाले कर्मकार धमकाया करते थे और अन्य कर्मकारों को उनके निवासगृहों से बुलाकर बैठक में उपस्थित होने के लिए कहा करते थे । सुरक्षा कार्मिक और कंपनी के कर्मकार जो काम पर लगे हुए थे, भयभीत थे, इस प्रकार,

अतिरिक्त सुरक्षा कार्मिक बधल के रूप में ज्ञात स्थान पर नियोजित थे जिन्हें वहां पर आने की इजाजत नहीं दी गई थी । तद्नुसार, अतिरिक्त सुरक्षा बल को सेवा देने के लिए बुलाया गया था । इस प्रक्रिया में लायल सुरक्षा बल, बम्बई के 30/40 व्यक्ति पुलिस संरक्षण के अधीन घटनास्थल पर पहुंचे थे । उसने इस बात से इनकार किया है कि सुरक्षा कार्मिकों को श्रमिक संघ पर दबाव बनाने के लिए बुलाया गया था । उसने यह कथन किया है कि कंपनी के कर्मकारों से अभियुक्त राकेश सिंघा ने अपने साथ सम्मिलित होने के लिए कहा था । कंपनी के कर्मकार 19 फरवरी, 1999 से हड़ताल पर रहे थे और लगभग 1 माह के पश्चात् कर्मकारों ने कार्य संभाला था । 1 माह पश्चात् वे पुनः हड़ताल पर चले गए थे । उसने इस बात से इनकार किया है कि सुरक्षा कार्मिक हड़ताल को दबाने के लिए बुलाए गए थे । उसने यह स्वीकार किया है कि उसने सम्पूर्ण मामले को नहीं देखा था क्योंकि उसने अपने को डम्पर के नीचे छुपा लिया था । उसने 1 सुरक्षा कार्मिक की मृत्यु होना स्वीकार किया है । वह निश्चित रूप से यह कथन नहीं कर सका है कि भगत सिंह अभियुक्त उनके साथ था और वह कर्मकारों द्वारा अपने साथी की हत्या के संबंध में रजिस्टर्ड किए गए प्रति मामले में अभियुक्त भी था ।

20. कांस्टेबल, केशव नन्द (अभि. सा. 29) पुलिस थाना, झाकरी में तैनात था जहां पर वह लगभग 4-1/2 वर्ष से था । वह चन्द्रमणी, उप-निरीक्षक (अभि. सा. 1) के साथ गया था । उसने यह स्वीकार किया है कि उन दिनों कर्मकार हड़ताल पर चल रहे थे । उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी तथा हेड कांस्टेबल, धीरज सेन को क्षतियां कायम हुई थीं जब वह उन श्रमिकों के नामों को बताने में विफल हुआ तब उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए उसके कथन से विरोध प्रकट किया गया है जिन्हें उसने अस्वीकार कर दिया । उसने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त-व्यक्तियों में से किसी का नाम नहीं बता पाया और न वह उनमें से किसी की पहचान कर सका । उसने यह भी कथन किया है कि पुलिस पदधारियों ने श्रमिकों द्वारा पत्थर फेंके जाने के पश्चात् बन्दूक से गोली चलाई थी ।

21. हेड कांस्टेबल, राम सिंह (अभि. सा. 35) मंगलाहाड में ड्यूटी पर तैनात था । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था, यद्यपि उसने यह कथन किया है कि तारीख 25 जून, 1999 को वह वहां पर मौजूद था जब सुरक्षा गार्ड वहां पर पहुंचे थे । कर्मकारों ने सीटी बजाई थी और कंपनी के मुख्य

दरवाजे के नजदीक पहुंचे थे । उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी पुलिस यान में आया था । कंपनी के कर्मकारों ने सुरक्षा गार्डों पर पत्थर फेंके जिसके परिणामस्वरूप उन्हें क्षतियां पहुंचीं । वहां पर अत्यधिक पत्थर फेंके गए थे तब सुरक्षा गार्डों ने हवा में बन्दूक से गोलियां चलाईं और वह शरण लेने के लिए उस स्थान से चला गया । उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी को केबिन के अंदर परिरुद्ध किया गया था और वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी और वह घटना के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति का नाम नहीं बता पाया । यद्यपि अभियोजन पक्ष ने सुरेश बिथल (अभि. सा. 39) की परीक्षा की परंतु उसकी मुख्य परीक्षा आस्थगित की गई थी और जो पूरी नहीं हुई थी उसके पश्चात् उसकी परीक्षा नहीं की गई थी इसलिए उसका कथन अपने महत्व को खो देता है ।

22. तुलसी दास (अभि. सा. 42), रामसरन सिंह (अभि. सा. 43), अरुण कुमार तिवारी (अभि. सा. 44), अमर सिंह (अभि. सा. 45) और संतोष कुमार (अभि. सा. 46) "लायल सुरक्षा कार्मिक, बम्बई" सशस्त्र बल के सदस्य थे । सभी पक्षद्रोही साक्षी हैं । उनके बारे में यह कहा गया है कि वे तारीख 25 जून, 1999 को घटना के स्थान पर पहुंचे थे । उनके अनुसार उनके पहुंचने पर कर्मकारों ने एनजेजेवी के प्रबंधतंत्र के विरुद्ध नारेबाजी की थी । कर्मकारों ने सुरक्षा गार्डों और पुलिस पदधारियों पर पत्थर फेंके थे तथा उन्होंने यह कथन नहीं किया है कि उन्होंने यान के पीछे आश्रय लिया था । उन्होंने किसी यान का उल्लेख नहीं किया है जिससे भगत सिंह आदि या राजेन्द्र कौशल घटनास्थल पर पहुंचे थे और कर्मकारों को पत्थर फेंकने के लिए उकसाया था जैसाकि अभि. सा. 1 द्वारा कथन किया गया है । उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त व्यक्ति एनजेजेवी के कार्यबल के सदस्य थे और उक्त बल पत्थर फेंकने में तथा पुलिस और सुरक्षा बल को क्षतियां पहुंचाने में सम्मिलित था ।

23. हुकुम सिंह (अभि. सा. 41) जो निरीक्षक भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, झाकरी पर तैनात था शायद उस समय उप-निरीक्षक, चन्द्रमणी अतिरिक्त भारसाधक अधिकारी था । उसने मामले में अन्वेषण किया और पत्थरों, छड़ों की बरामदगी की । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अग्न्यायुध के छर्रे कर्मकारों के विरुद्ध प्रयोग किए गए थे और परियोजना के कर्मकारों में से एक कर्मकार को अग्न्यायुध से घातक क्षति पहुंची थी ।

24. पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा करने पर मैं उपरोक्त साक्षियों के कथनों में असंगतताएं, अतिश्योक्ति और सुधार पाता हूं । यदि किसी साक्षी ने मामले को साबित करने का प्रयास किया है और दूसरा साक्षी का साक्ष्य बिखर जाता है और तात्विक विशिष्टियों पर उससे विभेद प्रकट करता है, परंतु किसी प्रकार साक्षियों के एक समूह ने यह कथन किया है कि केवल हरिओम, राजेन्द्र कौशल कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था जब सुरक्षा कार्मिक परियोजना के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे थे और कई अन्यों की न्यायालय में परीक्षा की गई जिनके बारे में अन्य सीआईटीयू कर्मकारों के पहुंचने के बारे में उल्लेख किया गया है, परंतु वे इस प्रश्न पर संगत रहे हैं कि सशस्त्र सुरक्षा कार्मिक और पुलिस के पहुंचने पर कर्मकारों ने पहले किसी हिंसा का सहारा नहीं लिया था क्योंकि उनके पहुंचने पर भी वे परियोजना स्थल पर पहले ही नियोजित पुलिस कार्मिकों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे । अभिलेख पर दर्शित करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि कर्मकार ससज्जित थे जबकि सुरक्षा कार्मिकों के पास बन्दूकें थीं और एक गोली चलाई गई थी जिससे कर्मकारों में से एक व्यक्ति को क्षति पहुंची थी जिसकी मृत्यु हो गई और कुछ अन्य कर्मकार क्षतिग्रस्त हुए थे, उन्हें छर्रे की क्षतियां कायम हुई थीं जैसाकि डाक्टर द्वारा कथन किया गया है । इस प्रकार अभिलेख के साक्ष्य से दो मत प्रकट हुए हैं । एक मत केवल अभियुक्त हरिओम मृतक की ओर इंगित करता है तथा राजेन्द्र कौशल को कर्मकारों को भड़काने के लिए अभियुक्त नहीं बनाया गया और दूसरा मत यह है कि गार्डों को उकसाए बिना उन्होंने गोली चलाई थी जिससे कुछ कर्मकारों को क्षतियां पहुंचीं जिसमें से एक की मृत्यु हो गई । अन्यों के बारे में कोई अकाट्य या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है और यह सुस्थापित किया गया है कि मत का फायदा जो अभियुक्त के पक्ष में है, अभियुक्त को दिया जाना चाहिए । पूर्वोक्त परिस्थितियों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि आक्रामक कौन था ।

25. अभियोजन साक्ष्य यह सिद्ध करने में विफल हुआ है कि किस प्राधिकारी के कहने पर उप-निरीक्षक चन्द्रमणी (अभि. सा. 1) सशस्त्र सुरक्षा कार्मिक के साथ घटनास्थल पर गया था जब उसके पास कोई विधिमान्य आदेश नहीं थे । सुरक्षा कार्मिकों के साथ पुलिस दल के प्रस्थान के बारे में रोजनामचा (दैनिक डायरी) में अभिलिखित नहीं किया गया और पुलिस पदधारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय आंदोलन को

किसने संचालित किया था । निरीक्षक, ध्यान चंद (अभि. सा. 34) के कथन को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है । तथ्यों से यह प्रकट हुआ है कि सुरक्षा कार्मिक और पुलिस को कंपनी द्वारा आंदोलन के दबाने के लिए तथा परियोजना में कर्मकारों को काम पर वापस लाने के लिए विवश करने हेतु घटनास्थल पर लाया गया था । ऐसी स्थिति से यह प्रकट है कि पुलिस द्वारा मामले में ठीक से कार्यवाही नहीं की गई जिससे अंततः एक बुरी घटना घटी जिसके बारे में अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आक्रमक कौन था ।

26. पूर्वोक्त पृष्ठभूमि के संबंध में जब साक्ष्य से विश्वास उत्प्रेरित नहीं होता है और उसमें पूर्णतया विभेद हैं और अभियुक्त व्यक्तियों की पंजिका के बारे में उचित पहचान का अभाव है तब मेरी यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति में से किसी को भी उपरोक्त अपराधों के संबंध में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट नहीं किया जा सकता है । तद्नुसार, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को यहां पर अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप अपील मंजूर की जाती है ।

27. तद्नुसार अभियुक्त-व्यक्तियों के उनके द्वारा पेश किए गए जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है जो उनके द्वारा इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान किसी प्रक्रम पर पेश किए गए थे और जुर्माने की रकम यदि जमा की गई है तो उन्हें वापस किया जाएगा ।

28. अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

देवराज

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 4 मार्च, 2013

न्यायमूर्ति देवदर्शन सूद

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – विनिषिद्ध माल की बरामदगी – पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र साक्षी का परिसाक्ष्य – पुलिस अधिकारियों के परिसाक्ष्य को मात्र इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस अधिकारी हैं और स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य को भी इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि साक्षी से बलात् हस्ताक्षर कराया गया और दस्तावेजों की कूटरचना की गई, अतः, पुलिस अधिकारी और स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर चरस की बरामदगी को अविधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 30 नवंबर, 2009 को पुलिस दल जिसका कांस्टेबल, करतार सिंह मुखिया था "हरदासपुर चौक" चंबा कस्बे में तैनात था, लगभग 5.10 बजे अपराह्न उसने अभियुक्त को अपने दाहिने कंधे पर थैला ले जाते हुए देखा और उसे देखकर अभियुक्त ने भागने की कोशिश की, जिससे उस पर संदेह हुआ परंतु उसे पकड़ लिया गया । दो स्वतंत्र साक्षी पंकज कुमार और कुलदीप सिंह, वहां पर मौजूद थे । अभियुक्त के थैले की तलाशी ली गई और छड़ें और गोल गेदों इत्यादि के आकार में चरस पाई गई । विनिषिद्ध माल 3 किलोग्राम पाया गया और इसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 10 साक्षियों को पेश किया । अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए करतार सिंह (अन्वेषक अधिकारी) की परीक्षा कराई जिसने यह कथन किया कि पूर्वोक्त दिन को वह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ हरदासपुर चौक पर मौजूद था । लगभग 5.10 बजे अपराह्न उसने भरमोर की ओर से अभियुक्त को कंधे पर थैला रखकर आते हुए देखा था जो चंबा की ओर जा रहा था । पुलिस दल को देखकर उसने घटनास्थल से भागने की कोशिश की परंतु लगभग

50 मीटर की दूरी पर उसे पकड़ लिया गया । कुलदीप सिंह जो हरदासपुर का निवासी है और पंकज कुमार जो मोहल्ला धारगो का निवासी है, घटनास्थल पर मौजूद थे । जांच करने पर अभियुक्त ने अपना नाम देवराज पुत्र श्री उज्जल सिंह बताया । पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने के बारे में उसके विधिक अधिकारों के बारे में बताया गया और उसे "एनडी और पीएस" अधिनियम की धारा 50 के अधीन तलाशी लिए जाने का विकल्प दिया । थैले की तलाशी लेने पर हरे रंग का एक पोलिथीन बैग जिसमें विनिषिद्ध माल था जिसका वजन तौलने पर 3 किलोग्राम पाया गया था । इसे पार्सल में 4 मोहरों से जिसकी छाप "के" है, द्वारा मोहरबंद किया गया तथा एनसीबी प्ररूप आदि भी तैयार किए गए । उसने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पार्सल प्रदर्श पी-1 बाहर से सिलाई मशीन द्वारा सिला गया था । हेड कांस्टेबल श्री विरेन्द्र सिंह ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया और हेड कांस्टेबल श्री करतार सिंह के वृत्तांत की सम्पुष्टि की । उसने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त को व्यस्त स्थान में रोका गया था । कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल मोहम्मद असलम का साक्ष्य भी उसी प्रभाव का है जिन्होंने बाजार में अभियुक्त को रोके जाने के तथ्य के बारे में तथा उससे अभिगृहीत किए गए विनिषिद्ध माल के संबंध में सभी तात्विक विशिष्टियों से अन्य साक्षियों की सम्पुष्टि की है । इन दोनों अपीलों का विनिश्चय एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है क्योंकि वे विद्वान् विशेष न्यायाधीश के एक ही निर्णय से उद्भूत हुई हैं । अपीलार्थी-देवराज को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषसिद्ध किया गया और 5 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया । दोनों पक्षकारों ने न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि पुलिस पदधारियों के परिसाक्ष्य/साक्ष्य केवल इस तथ्य के कारण त्यक्त नहीं किए जा सकते कि वे पुलिस पदधारी हैं । न्यायालय ने मिथ्या आलिप्त किए जाने को दूर करने के लिए संवीक्षा का नियम अधिकथित किया है । जब उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों पर विचार किया जाता है तब न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चारों पुलिस पदधारियों अर्थात् हेड कांस्टेबल, करतार सिंह, हेड कांस्टेबल, विरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार और कांस्टेबल मोहम्मद असलम के साक्ष्य में कोई विभेद प्रकट नहीं हुआ है । स्वतंत्र साक्षी के मामले में विचार करते हुए न्यायालय

ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसने ज्ञापनों पर उन्हें अच्छी तरह समझने के पश्चात् स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए हैं । न्यायालय इस प्रक्रम पर यह भी कहता है कि ऐसी दशा में इस साक्षी से दस्तावेजों पर बलपूर्वक हस्ताक्षर कराया गया था और इस मामले की इस कारण से किसी कानूनी प्राधिकारी को रिपोर्ट दी जा सकती है कि यह किसी नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का मामला है जो दांव पर लगा हुआ था कि उससे यह आशा नहीं की गई थी कि वह कूटकृत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे । इन परिस्थितियों में, न्यायालय इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है । राज्य द्वारा फाइल किए गए द्वितीय अपील (2010 की क्रिमिनल अपील सं. 387) का उल्लेख करते हैं जिसमें अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था । राज्य द्वारा मामले में यह दलील दी गई कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से 3 किलोग्राम चरस पाई गई थी । न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि दंडादेश को बढ़ाने के लिए कोई मामला बनता है । इसके अतिरिक्त, धरम पाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य वाले मामले में अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह केवल लचीली बात है जिसे विचार किया जाएगा । विद्वान् विशेष न्यायाधीश के निर्णय पर किसी तरह का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 746 : **अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	10
[2007]	(2007) 2 शिमला ला जर्नल 19 : **धरम पाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	13
[2007]	(2007) 6 एस. सी. सी. 410 : **रविन्द्रन** उर्फ **जान** बनाम **अधीक्षक, कस्टम** ;	8
[2007]	(2007) 7 एस. सी. सी. 625 : **गिरजा प्रसाद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	12
[2006]	(2006) 12 एस. सी. सी. 321 : **रितेश चक्रवर्ती** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	9
[2003]	(2003) 9 एस. सी. सी. 159 :	

	जगदीश बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	6
[2003]	(2003) 10 एस. सी. सी. 198 : **अब्दुल मजीद** बनाम **गुजरात राज्य** ;	12
[2002]	(2002) 1 एस. सी. सी. 6060 : **बहादुर सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** ;	7
[2001]	(2001) 1 एस. सी. सी. 35 : **भोला राम कुशवाहा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	7
[1996]	(1996) 2 एस. सी. सी. 589 : **अनिल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	12
[1996]	(1996) 8 एस. सी. सी. 228 : **पट्टू लाल** बनाम **पंजाब राज्य** ;	12
[1996]	(1996) 11 एस. सी. सी. 139 : **बलबीर सिंह** बनाम **राज्य** ;	12
[1990]	(1990) 1 एस. सी. सी. 95 : **दुरंड दिदियर** बनाम **चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी आफ गोवा** ;	9
[1956]	ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217 : **अहेर राजा खीमा** बनाम **सौराष्ट्र राज्य** ।	12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 162 और 387.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अनूप चितकारा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अशोक चौधरी, अपर महाधिवक्ता और आर. पी. सिंह, सहायक महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति देवदर्शन सूद – इन दोनों अपीलों का एक ही निर्णय से विनिश्चय किया जा रहा है क्योंकि वे विद्वान् विशेष न्यायाधीश के एक ही निर्णय से उद्भूत हुई हैं । अपीलार्थी-देवराज को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एनडी और पीएस" अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 के अधीन दंडनीय

अपराधों से दोषसिद्ध किया गया तथा 5 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 30 नवंबर, 2009 को पुलिस दल जिसका कांस्टेबल, करतार सिंह (अभि. सा. 10) मुखिया था "हरदासपुर चौक" चंबा कस्बे में तैनात था, लगभग 5.10 बजे अपराह्न उसने अभियुक्त को अपने दाहिने कंधे पर थैला ले जाते हुए देखा और उसे देखकर अभियुक्त ने भागने की कोशिश की, जिससे उस पर संदेह प्रकट हुआ परंतु उसे (अभियुक्त) को पकड़ लिया गया । दो स्वतंत्र साक्षी श्री पंकज कुमार (अभि. सा. 1) और श्री कुलदीप सिंह (जिसकी परीक्षा नहीं की गई है), वहां पर मौजूद थे । अभियुक्त के थैले की तलाशी ली गई और छड़ें और गोल गेदों इत्यादि के आकार में चरस पाई गई थी । विनिषिद्ध माल 3 किलोग्राम पाया गया था और इसके पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 10 साक्षियों को पेश किया । अभियुक्त ने मामला होने से पूर्णतया इनकार किया है । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए करतार सिंह (अभि. सा. 10) अन्वेषक अधिकारी की परीक्षा की जिन्होंने यह कथन किया कि पूर्वोक्त दिन को वह अन्य पुलिस पदधारियों के साथ हरदासपुर चौक पर मौजूद था । लगभग 5.10 बजे अपराह्न उसने भरमोर की ओर से अभियुक्त को कंधे में थैला रखकर आते हुए देखा था जो चंबा की ओर जा रहा था । पुलिस दल को देखकर उसने घटनास्थल से भागने की कोशिश की परंतु लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसे पकड़ लिया गया । कुलदीप सिंह जो हरदासपुर का निवासी है (जिसकी परीक्षा नहीं की गई) और पंकज कुमार (अभि. सा. 1) जो मोहल्ला धारगो का निवासी है, घटनास्थल पर मौजूद थे । जांच करने पर अभियुक्त ने अपना नाम देवराज पुत्र श्री उज्जल सिंह बताया । पुलिस द्वारा उसे तलाशी लिए जाने के बारे में उसके विधिक अधिकारों के बारे में बताया गया था और उसे "एनडी और पीएस" अधिनियम की धारा 50 के अधीन तलाशी लिए जाने का विकल्प दिया गया था । थैले की तलाशी लेने पर हरे रंग का एक पोलिथीन बैग जिसमें विनिषिद्ध माल था और जिसका वजन तोलने पर 3 किलोग्राम पाया गया था । इसे पार्सल में 4 मोहरों से जिसकी छाप "के" है, से मोहरबंद किया गया तथा एनसीबी प्ररूप आदि भी तैयार किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि पार्सल प्रदर्श पी-1 को बाहर से सिलाई मशीन

से सिला गया । हेड कांस्टेबल श्री विरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 2) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और हेड कांस्टेबल श्री करतार सिंह (अभि. सा. 10) के वृत्तांत की सम्पुष्टि की है । उसने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त को व्यस्त स्थान में रोका गया था । कांस्टेबल राजेश कुमार (अभि. सा. 3) और कांस्टेबल मोहम्मद असलम (अभि. सा. 4) का साक्ष्य भी उसी प्रभाव का है जिन्होंने बाजार में अभियुक्त को रोके जाने के तथ्य के बारे में तथा उससे अभिगृहीत किए गए विनिषिद्ध माल के संबंध में सभी तात्विक विशिष्टियों से अन्य साक्षियों की सम्पुष्टि की है ।

4. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि कुलदीप सिंह जिसने अभियोजन के अनुसार जो स्वतंत्र साक्षी था उसकी परीक्षा नहीं की गई और अन्य स्वतंत्र साक्षी पंकज कुमार (अभि. सा. 1) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

5. श्री पंकज कुमार (अभि. सा. 1) के साक्ष्य का उल्लेख करते हैं । उसने यह कथन किया है कि वह मिष्ठान की दुकान चलाता है और वह मोहल्ला जिला जुलाकारी, चंबा पर अपनी मोटर साइकिल की मरम्मत के लिए गया हुआ था । राख की ओर से एक प्राइवेट बस आई जिसे पुलिस द्वारा रोका गया था, 3/4 व्यक्तियों को उनके द्वारा बस से उतारा गया था और उसने यह बताया कि चरस की बरामदगी की गई और उसने दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए होंगे । वह अभियुक्त की शिनाख्त नहीं कर सका । उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था तथा अभियोजन पक्ष द्वारा उससे लंबी प्रतिपरीक्षा की गई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी मौजूदगी में कोई विनिषिद्ध माल का अभिग्रहण नहीं किया गया और पुलिस ने अभियुक्त को तलाशी के बारे में उसके विधिक विकल्प के बारे में कभी भी नहीं बताया गया था । तब उसने यह स्वीकार किया कि तब उसने अपने विवेक का प्रयोग करने के पश्चात् दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे । उसने यह कथन किया कि उसने इन दस्तावेजों की अंतर्वस्तुओं का परिशीलन करने के पश्चात् अपने हस्ताक्षर किए । अभिलेखों का परिशीलन करने से यह दर्शित हुआ है कि उसने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क पर अपने हस्ताक्षर किए थे जो तलाशी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख लेने के लिए सहमति प्राप्त करने का विकल्प ज्ञापन है । अन्वेषक अधिकारी की वैयक्तिक तलाशी अभियुक्त के समक्ष की गई थी, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग प्रतिकृति मोहरें प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/घ तलाशी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.1/ङ गिरफ्तार ज्ञापन है तथा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/एफ जो अभियुक्त व्यक्ति से बरामद की

गई वस्तुएं हैं ।

6. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई थी कि चूंकि कोई स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया और दूसरा साक्षी अपने कथन से मुकर गया, विनिषिद्ध माल की बरामदगी के बारे में साबित किया जाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्य सभी साक्षी पुलिस कार्मिक हैं । विद्वान् काउंसेल श्री अनूप चितकारा ने यह दलील दी है कि यद्यपि यह सिद्धांत है कि पुलिस पदधारियों के साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता और यह बात कई मामलों में सिद्ध की गई है परंतु न्यायालय को हमेशा साक्ष्य की सावधानीपूर्वक संवीक्षा के लिए बल देना चाहिए जिससे कि मिथ्या रूप से फंसाए जाने की बात को अलग किया जा सके । इन परिस्थितियों में, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि अन्य स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा क्यों नहीं की गई । पंकज कुमार (अभि. सा. 1) ने किसी भांति अभियुक्त की मदद करने की कोशिश की है । विद्वान् काउंसेल ने **जगदीश** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "4. केवल ऐसा साक्ष्य जो अभियोजन मामले को प्रकट करता है यह है कि श्री दूधनाथ राम (अभि. सा. 1) जो उस सुसंगत समय पर उप-निरीक्षक स्वापक विभाग में कार्य कर रहा था । दोनों पंच साक्षी शंकर लाल (अभि. सा. 2) और छोगा लाल (अभि. सा. 3) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । यद्यपि, बस का ड्राइवर हरि सिंह (अभि. सा. 5) और कंडक्टर अफसर-उ-द्दीन (अभि. सा. 6) पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए और उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । दूधनाथ राम (अभि. सा. 1) के अभिसाक्ष्य का हमने सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जिससे यह दर्शित हुआ कि उसके परिसाक्ष्य में कई दुर्बलताएं हैं और अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए उसके एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं होगा ।
>
> 5. अभियोजन पक्ष और अभि. सा. 1 द्वारा इस बारे में तनिक भी ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि बस से केवल एक यात्री के रूप में उसे क्यों उतारा गया यदि उसके पास कोई पूर्व सूचना या संदेह करने का कोई कारण इस बारे में नहीं है कि अफीम को कब्जे

---

[1] (2003) 9 एस. सी. सी. 159.

में रखने या तस्करी के लिए अपीलार्थी का अंतर्वलन रहा है । अभि. सा. 1 का पक्षकथन यह नहीं है कि उसे कोई पूर्व सूचना थी और इसलिए, संदेह होने पर उसने बस की तलाशी ली । ऐसी दशा में उसे पूर्व में सूचना होने की और वह इस बात के लिए बाध्य था कि इसके अभिलेख को तैयार करें और इसकी प्रति जांच की कार्यवाही को शुरू करने के पूर्व उच्चतर पदधारियों को दें । अभि. सा. 1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह बसों की जांच के लिए रतलाम की ओर गया और इस विचार से कि कोई अफीम जो तस्करी के रूप में लाई जा रही है या यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में अफीम है, उसका पता लगाए । उसने बस में केवल एक यात्री की जांच की जबकि उसमें अधिकांशतः 30-40 यात्री थे और यह पता लगाया कि केवल एक यात्री के कब्जे में अफीम थी । यह सम्पूर्ण कहानी अस्वाभाविक प्रतीत होती है । अभि. सा. 1 द्वारा इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उसने किसी अन्य यात्री से कोई प्रश्न क्यों नहीं किया या तलाशी क्यों नहीं ली । दोनों पंच साक्षी तथा बस का ड्राइवर और कंडक्टर ने अभि. सा. 1 दूधनाथ राम के कथन पर झूठ बोला है । हमने बड़ी सावधानीपूर्वक उसके साक्ष्य की संवीक्षा की परंतु हमें विश्वास प्रेरित नहीं होता है । (पृष्ठ 160 और 161)"

7. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि **भोला राम कुशवाहा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत की अभिपुष्टि की है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि **बहादुर सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

"8. पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन अपीलार्थी को पुलिस साक्षियों (यथामुद्रित अभि. सा. 3) के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । अधिनियम की धारा 35 की प्रयोज्यता का प्रश्न वर्तमान मामले में उद्भूत नहीं होता जब बरामदगी स्वतः संदेहपूर्ण हो जाती है । अपीलार्थी ने विनिषिद्ध माल की बरामदगी पर विवाद किया था और इसकी बरामदगी, अभिग्रहण और मालखाने में जमा करने के बारे में गंभीर विभेद प्रकट हुए हैं । इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त

---

[1] (2001) 1 एस. सी. सी. 35.

[2] (2002) 1 एस. सी. सी. 6060.

संदेह के परे साबित करने में विफल हुआ है जो संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है ।"

8. **रविन्द्रन** उर्फ **जान** बनाम **अधीक्षक, कस्टम**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है –

"12. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दो स्वतंत्र साक्षी जिनकी मौजदगी में उसकी तलाशी ली गई थी, उनकी विचारण में परीक्षा नहीं की गई । पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य **बनाम** बाबू चक्रवर्ती [(2004) 12 एस. सी. सी. 201] की रिपोर्ट के पैरा 28 में की गई मताभिव्यक्ति का अवलंब लिया गया था । वर्तमान मामले में यह विवाद नहीं किया गया है कि दो स्वतंत्र साक्षियों को सहबद्ध किया गया था जब तलाशी ली गई थी । अतः विधि के अनुसरण में तलाशी ली गई थी परंतु यह दलील दी गई कि दो साक्षियों की परीक्षा करने में विफल होना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । हमारा यह मत है कि यह सही विधिक स्थिति नहीं है जहां स्वतंत्र साक्षी का विचारण के दौरान परीक्षा नहीं की गई है उसका प्रभाव यह है कि शासकीय साक्षियों का साक्ष्य में संदेह उत्पन्न हो सकता है और न्यायालय उनके साक्ष्य की सम्पुष्टि पर बल दे सकेगा । कोलुथुमोतिल रजाक **बनाम** केरल राज्य [(2000) 4 एस. सी. सी. 465] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :–

"7. दुर्भाग्यवश वर्तमान मामले में पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य के अलावा कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है जिससे कि हमारे विवेक में विश्वास उत्प्रेरित हो कि वास्तव में तलाशी अभि. सा. 1 द्वारा की गई थी क्योंकि उसने इस बात का दावा किया और उसका साक्ष्य अधिनियम की धारा 42 के अतिक्रमण के कारण संदेहपूर्ण होना अपेक्षित है । हमारे लिए स्वतंत्र स्रोत से इसकी सम्पुष्टि कराना अपेक्षित है और इस मामले में इस बात की कमी है ।"

एम. प्रभुलाल **बनाम** असिसटेंट, ड्राइरक्ट्रेट आफ रेवेन्यू इटेलिजेंस [(2003) 8 एस. सी. सी. 449] वाले मामले में ऐसी ही प्रश्न एनडीपीएस अधिनियम के उपबंधों के संदर्भ में उद्भूत हुआ है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है –

"6. विद्वान् काउंसेल ने दूसरी यह दलील दी है कि विनिषिद्ध

---

[1] (2007) 6 एस. सी. सी. 410.

माल की बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई और केवल पुलिस साक्षियों की परीक्षा की गई, इसलिए, बरामदगी संदेहपूर्ण हो गई है । प्रदीप नारायण मदगांवकर **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1995) 4 एस. सी. सी. 255] वाले मामले के विनिश्चय का अवलंब लिया गया । इस विनिश्चय में अवलंब लेते हुए यह मत व्यक्त किया गया कि प्रज्ञा से प्रकट है कि पुलिस साक्षियों के साक्ष्य की कठोरता से संवीक्षा की जानी चाहिए, यह भी मत व्यक्त किया था कि उनके साक्ष्य को केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वे पुलिस बल से संबंधित हैं या अन्वेषण या अभियोजन अभिकरण में हितबद्ध हैं परंतु जहां तक संभव है तात्विक विशिष्टियों में उनके साक्ष्य की सम्पुष्टि की जानी चाहिए ।"

9. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि **रितेश चक्रवर्ती** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में न्यायालय ने इस आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था कि यद्यपि स्वतंत्र साक्षियों को पेश किया गया था परंतु वे एक ही इलाके के नहीं थे और इस मामले के तथ्य एक ही समान प्रकृति के हैं क्योंकि साक्ष्य ग्रहण किए जाने के बावजूद जो साक्षियों द्वारा किए गए थे, वहां पर उस क्षेत्र के नजदीक कई दुकाने थीं जहां अभियुक्त की तलाशी ली गई और स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे । ऐसे साक्षियों की परीक्षा न करना मामले के लिए घातक है । **दुरंड दिदियर** बनाम **चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी आफ गोवा**[2] वाले मामले में समान स्थिति है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया :–

"8. पुलिस द्वारा अपीलार्थी को आश्वस्त किए जाने के पश्चात् अभि. सा. 7 ने अभि. सा. 4 को यह निदेश दिया कि वह दो पंच साक्षियों को लाएं । तदनुसार, अभि. सा. 4 उस स्थान से दो साक्षियों को लाया जो अभि. सा. 7 के अनुसार 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे और अभि. सा. 5 के अनुसार वहां पर 5 मिनट की पैदल दूरी थी । विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने प्रबल रूप से यह दलील दी थी कि ये दोनों साक्षी उस स्थानीय क्षेत्र के सम्मानित निवासी नहीं हैं ; वे इच्छुक साक्षी हैं और पुलिस के अनुग्राहक साक्षी हैं और यहां पर कानूनी रक्षोपाय का जानबूझकर अतिक्रमण हुआ है । यह दलील एक से अधिक कारणों के कारण टिकी नहीं रह सकती जैसाकि

---

[1] (2006) 12 एस. सी. सी. 321.

[2] (1990) 1 एस. सी. सी. 95.

वर्तमान मामले में कथन किया गया है । अपीलार्थी की पुलिस आउट पोस्ट के नजदीक मध्य रात्रि में सुरक्षा का प्रबंध किया गया था । अभिलेखों से स्पष्टतया यह प्रकट हुआ है कि ये दोनों साक्षी बाहरी नहीं हैं परंतु उसी क्षेत्र अर्थात् कोलवा के निवासी हैं । कुछ स्पष्ट सुझावों को छोड़कर कि दोनों साक्षी नियमित और व्यावसायिक साक्षी हैं और प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी वास्तविक रूप से प्रकट नहीं हुआ है जिससे कि अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जाए । इस न्यायालय ने सुन्दर सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (1956 क्रिमिनल ला जर्नल 801) और तेज बहादुर **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1970) 3 एस. सी. सी. 779] वाले मामले में ऐसी ही दलीलों पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि यदि पंच साक्षी एक ही स्थान के सम्मानित व्यक्ति नहीं हैं परंतु किसी अन्य इलाके के हैं तब यह केवल इसमें अनियमितता हो सकती है, इससे कार्यवाहियों की वैधानिकता प्रभावित नहीं होती है और यह तथ्य के न्यायालयों का मामला है कि उस पर विचार करें और उच्चतम न्यायालय ने निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए समवर्ती तथ्यों के निष्कर्ष पर साधारणतया विचार नहीं किया है ।

9. पंजाब राज्य **बनाम** वासन सिंह और पांच अन्य [1981] 2 एस. सी. आर. 615 वाला मामला भी देखिए ।

10. इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर ऐसे मत की अभिव्यक्ति की गई । हम विद्वान् काउंसेल के निवेदन का मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं कि अभियोजन पक्षकथन से तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में प्रक्रिया का अतिक्रमण होता है । यह प्रश्न कि अभि. सा. 1 और अन्य पंच साक्षी उस इलाके के निवासी नहीं हैं वर्तमान मामले में ऐसा विवाद उद्भूत नहीं हुआ है क्योंकि इससे निर्विवादतः यह दर्शित हुआ है कि वे एक ही कोलवा क्षेत्र के निवासी हैं जहां पुलिस आउट पोस्ट स्थित है । यह तथ्य कि ये दोनों साक्षी अभिग्रहण किए जाने के स्थान के निवासी नहीं हैं । हमारा यह मत है कि विनिषिद्ध माल और अन्य वस्तुओं के अभिग्रहण के संबंध में अभि. सा. 1 के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है । पंचनामा तैयार करने के बारे में प्रतिरक्षा में दो विभेदकारी सुझाव दिए हैं कि सुझाव अभि. सा. 1 को दिया गया है कि उसने केवल कुछ कागजातों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं जिससे नई कहानी प्रकट होती है अभि. सा. 7 को यह सुझाव दिया गया कि अभिग्रहण के संबंध में

अभियोजित किए जाने से अभि. सा. 5 के भाई रमेश को बचाने के लिए लगभग 5 जनवरी, 1988 को पंचनामा मिथ्या रूप से गढ़ा गया था । निषिद्ध माल सहित सभी वस्तुओं के अभिग्रहण को सिद्ध करने के अभियोजन पक्ष का अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य पर भी पक्षकथन आधारित नहीं है बल्कि अभि. सा. 5 और 7 के साक्ष्य पर भी है जिनके साक्ष्य की मामले में उपस्थित परिस्थितियों द्वारा व्यापक सम्पुष्टि दी गई है ।"

(पृष्ठ 100 और 101)

10. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि ऐसा कोई लचीला सिद्धांत नहीं है और यह अनिवार्य नहीं है कि मामले के तथ्यों पर उसे लागू किया जाए । उन्होंने **अजमेर सिंह** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया :–

"19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि शासकीय साक्षी के साक्ष्य का उनके परिसाक्ष्य के रूप में अवलंब नहीं लिया सकता जिसकी किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा सम्पुष्टि नहीं की गई है । हम विद्वान् काउंसेल के उक्त निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हैं । अभियोजन साक्षी अभि. सा. 3 परमजीत सिंह अहलवात, उप-पुलिस अधीक्षक, पेहोवा, अभि. सा. 4 राजा राम, हेड कांस्टेबल और अभि. सा. 5 माया राम के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है जो अभिलेख पर हैं कि अन्वेषक दल द्वारा बरामदगी के समय पर स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया परंतु किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की । यह सही है कि अधिनियम के अधीन आरोप गंभीर हैं और दुर्वह परिणाम प्रकट करता है । अधिनियम के अधीन विहित किया गया न्यूनतम दंडादेश 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना है । ऐसी स्थिति में सामान्यतः यह आशा की जाती है कि अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने के लिए स्वतंत्र साक्षी होना चाहिए । तथापि, ऐसा कोई अलंघनीय नियम नहीं है । इसलिए, मामले की विशिष्ट परिस्थिति में हमारा यह समाधान है कि यह न्याय के विपरीत होगा यदि अपीलार्थी को किसी स्वतंत्र साक्षी को पेश नहीं किए जाने के कारण दोषमुक्त कर दिया जाता है ।

---

[1] (2010) 3 एस. सी. सी. 746.

20. हम इस बात को नहीं भूल सकते कि सभी समयों पर और सभी स्थानों में स्वतंत्र साक्षी को पाने की संभावना नहीं हो सकती । लोक साक्षियों को पाने का दायित्व पूर्ण नहीं है यदि प्रयास किए जाने के पश्चात् न्यायालय को मामले की परिस्थितियों पर युक्तियुक्त रूप से विचार करना चाहिए, पुलिस अधिकारी कोई छापा डालने के दौरान या अपराधी को गिरफ्तार करने के दौरान किसी लोक साक्षियों को सहबद्ध करने में समर्थ हैं तब गिरफ्तारी और बरामदगी अपरिहार्य रूप से दूषित नहीं होगी । न्यायालय सुसंगत साक्ष्य का मूल्यांकन करेगा और यह अवधारित करेगा कि क्या पुलिस अधिकारी का साक्ष्य विश्वसनीय है जिस पर उनके साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् विश्वास किया जाएगा ।

21. वर्तमान मामले में दोनों विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में मान्यताप्राप्त सिद्धांतों को लागू किया है और उन्होंने ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया था और अपीलार्थी के कब्जे से चरस बरामद की गई थी जिसके लिए उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है । हम उक्त निष्कर्ष से भिन्नता प्रकट करने का कोई अच्छा कारण नहीं पाते हैं ।"

(पृष्ठ 754)

11. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि वास्तव में उसे विधि में सिद्ध किया गया है । ऐसा कोई कठोर सिद्धांत नहीं हो सकता कि मात्र साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने या अन्य साक्षी जो पुलिस पदधारी हैं तब अभियोजन पक्षकथन के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के निबंधनों में साबित होना नहीं कहा जा सकता है ।

12. **अनिल** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1], **पट्टू लाल** बनाम **पंजाब राज्य**[2], **अब्दुल मजीद** बनाम **गुजरात राज्य**[3], **बलबीर** सिंह **बनाम राज्य**[4], **गिरजा प्रसाद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[5] तथा **अहेर राजा खीमा** बनाम **सौराष्ट्र**

---

[1] (1996) 2 एस. सी. सी. 589.
[2] (1996) 8 एस. सी. सी. 228.
[3] (2003) 10 एस. सी. सी. 198.
[4] (1996) 11 एस. सी. सी. 139.
[5] (2007) 7 एस. सी. सी. 625.

राज्य[1] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि पुलिस पदधारियों के परिसाक्ष्य/साक्ष्य केवल इस तथ्य के कारण त्यक्त नहीं किए जा सकते कि वे पुलिस पदधारी हैं । न्यायालय ने मिथ्या आलिप्त किए जाने को दूर करने के लिए संवीक्षा का नियम अधिकथित किया है । जब उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों पर विचार किया जाता है तब न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चारों पुलिस पदधारियों अर्थात् हेड कांस्टेबल, करतार सिंह, (अभि. सा. 10), हेड कांस्टेबल, विरेन्द्र सिंह (अभि. सा. 2), कांस्टेबल राजेश कुमार (अभि. सा. 3) और कांस्टेबल मोहम्मद असलम (अभि. सा. 4) के साक्ष्य में कोई विभेद प्रकट नहीं हुआ है । स्वतंत्र साक्षी के मामले में विचार करते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उसने ज्ञापनों पर उन्हें अच्छी तरह समझने के पश्चात् स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए हैं । न्यायालय इस प्रक्रम पर यह भी कहता है कि ऐसी दशा में इस साक्षी से दस्तावेजों पर बलपूर्वक हस्ताक्षर कराया गया था और इस मामले की इस कारण से किसी कानूनी प्राधिकारी को रिपोर्ट दी जा सकती है कि यह किसी नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता का मामला है जो दांव पर लगा हुआ था कि उससे यह आशा नहीं की गई थी कि वह कूटकृत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे । इन परिस्थितियों में, न्यायालय इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता है जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है ।

13. राज्य द्वारा फाइल किए गए द्वितीय अपील (2010 की क्रिमिनल अपील सं. 387) का उल्लेख करते हैं जिसमें अभियुक्त पर अधिरोपित दंडादेश को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था । राज्य द्वारा मामले में यह दलील दी गई कि अभियुक्त के सचेत कब्जे से 3 किलोग्राम चरस पाई गई थी । न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकालता है कि दंडादेश को बढ़ाने के लिए कोई मामला बनता है । इसके अतिरिक्त, **धरम पाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह केवल लचीली बात है जिसे विचार किया जाएगा । विद्वान् विशेष न्यायाधीश के निर्णय पर किसी तरह का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है । अपीलें खारिज की जाती है ।

अपीलें खारिज की गई ।

आर्य

---

[1] ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 217.

[2] (2007) 2 शिमला एल. सी. 19.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

प्यारे लाल और अन्य

तारीख 30 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और 498-क – आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण – क्रूरता – मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन संवीक्षा करने पर यह सिद्ध होता है कि यह न तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण और न ही दहेज की मांग के परिणामस्वरूप अभिकथित क्रूरता का मामला है अतः, साक्ष्यों में तात्विक सुधार और विरोधाभासों के कारण अभियुक्त दोषमुक्त ठहराए जाने के हकदार हैं ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि परिवादी/शिकायतकर्ता अजुध्या देवी मृतका सुलोचना **उर्फ** सुरेखा की माता है जिसका प्रत्यर्थी प्यारे लाल के साथ तारीख 21 अप्रैल, 1995 को विवाह हुआ था । प्रत्यर्थी रामरखा और अजुध्या देवी (मृतका) प्रत्यर्थी प्यारे लाल के माता-पिता हैं जबकि प्रत्यर्थी जमुना देवी और मीरा देवी प्रत्यर्थी प्यारे लाल के भाइयों की पत्नियां हैं । छठा प्रत्यर्थी रमेश चन्द अन्य प्रत्यर्थियों का कुटुंब का मित्र है । अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 30 मार्च, 1996 को मृतका ने जहर पिया था और तारीख 30 मार्च, 1996 को 5.15 बजे अपराह्न अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । श्री जगदीश चंद अपर भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना सदर, विलासपुर अस्पताल गया था और मृत्यु समीक्षा कागजात तैयार करके शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया था । तारीख 31 मार्च, 1996 को शव परीक्षा की गई थी । अभियुक्त-व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । उनके लिखाई के नमूने भी लिए गए थे । सुखराम और पारस राम के कथन जो अभियोजन साक्षी हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । यह अभिकथन किया गया है कि मृतका के अभिकथित मृत्युकालिक कथन अभियुक्त प्यारे लाल द्वारा लिखा गया था जिसमें उसने अपने पक्ष के सह-अभियुक्त के साथ षड्यंत्र किया था, इस

प्रकार प्रश्नगत दस्तावेज सरकारी परीक्षक को भेजे गए थे और यह रिपोर्ट दी गई थी कि इसे अभियुक्त द्वारा लिखा गया था जिस पर मृतका के हस्ताक्षर कराए गए । इस प्रकार मामले के अन्वेषण के पश्चात् दंड संहिता की धारा 498-क, 306 और 201 के साथ पठित धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय में चालान पेश किया गया था । प्रत्यर्थियों को आरोपपत्रित करके उनका विचारण किया गया तथा उन्हें दंड संहिता की धारा 498-क, 306, 201 और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया, इस प्रकार, राज्य ने व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है । विचारण के पश्चात् अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य ने विचारण न्यायालयों के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य की पुनः परीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन किया है । अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता अजुध्या देवी उसके पति नानक चंद, मीरन पत्नी रामस्वरूप, सीमा देवी और प्रेम चंद के कथनों का अत्यधिक अवलंब लिया है । जैसाकि पहले ही कथन किया गया जब तक कि मृतका का दाह संस्कार न कर दिया गया तब तक शिकायतकर्ता पक्षकार द्वारा अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई थी । ऐसा केवल तब हुआ था जब सहायक उप-निरीक्षक रवीन्द्र कुमार मृतका के पैतृक गृह पर गया था जहां मृतका की माता का कथन अभिलिखित किया गया था । यह सुसंगत है कि मृतका मानसिक रूप से बीमार भी थी और उसे उपचार के लिए मानसिक अस्पताल, अमृतसर में भर्ती भी किया गया था जहां उसे बिजली के झटके दिए गए परंतु कोई परिणाम नहीं निकला । उसका "तांत्रिक" से भी उपचार कराया गया जैसाकि उसके द्वारा कथन किया गया है । शिकायतकर्ता की प्रारंभिक रिपोर्ट/कथन में उसने कहीं भी दहेज की मांग का अभिकथन नहीं किया या उसे अपर्याप्त दहेज लाने के लिए परेशान किया गया जैसाकि अभि. सा. 1 ने कथन किया है कि जब मृतका उसके घर पर आई तो उसने उसे यह बताया कि अभियुक्त मीरा देवी ने उसके सिर पर "सिंदूर" फेंक कर "जादू-टोना" किया था और उसे परेशान किया जा रहा था । उसने यह भी कथन किया है कि विवाह के 5 माह पश्चात् मृतका को मानसिक अस्पताल, अमृतसर ले जाया गया था परंतु उसका उपचार नहीं हो सका तत्पश्चात् कुछ समय के पश्चात् उसी तरह के अस्पताल पर उसे ले जाया गया था

परंतु अंततः घुमारविन पर "छेला" द्वारा उसका उपचार किया गया था और तब वह सामान्य हो गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि नवजात शिशु की मृत्यु के 3 दिन पश्चात् मृतका को अभियुक्त प्यारे लाल द्वारा उसके पैतृक गृह छोड़ा गया था किंतु उस समय उसने उसे कोई बात नहीं बताई । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त प्यारे लाल ने अपनी यह इच्छा अभिव्यक्त की कि वह मृतका को अपने साथ ले जाना चाहता है जहां वह तैनात था और उसने उसके लिए किराए का मकान ले रखा था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त मीरा देवी ने कम दहेज लाने के लांछन लगाए थे और उसके अतिरिक्त मृतका सुंदर नहीं थी परंतु इन तथ्यों का प्रारंभिक रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में उल्लेख नहीं किया गया है । यद्यपि उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मृतका मानसिक बीमारी से ग्रसित थी और उसका अमृतसर में उपचार किया जा रहा था परंतु उसने मीरा देवी (अभियुक्त) द्वारा "जादू-टोना" करने के बारे में कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क कथन से विरोध व्यक्त किया । इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है और उसने प्रारंभिक कथन का कोई अकाट्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बहन शकुंतला देवी मानसिक तनाव से भी ग्रसित थी । न्यायालय के समक्ष अपने सम्पूर्ण कथन में उसने कोई ऐसा अभिकथन नहीं किया है कि अभियुक्त प्यारे लाल के अभियुक्त मीरा देवी से अवैध संबंध थे । इस प्रकार उसके प्रारंभिक कथन में तथा न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कथनों में भी तात्विक विभेद हैं । उसके कथनों में तात्विक विसंगतियां और सुधार हैं । यह प्रतीत होता है कि वे वैरभाव से किए गए हैं । पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा करने पर हम अभियोजन साक्ष्य को तर्कसंगत और विश्वसनीय नहीं पाते हैं क्योंकि सामग्री में सुधार किया गया है और विभेदकारी हैं और न अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा कोई दहेज की मांग किया जाना सिद्ध किया गया है । अभिकथित मृत्युकालिक कथन जो अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा लिए गए थे उन्हें अभियुक्त-व्यक्तियों के षड्यंत्र का परिणाम होना साबित नहीं किया गया है । पारस राम का कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अभिलिखित किया गया जिसमें उसने यह कथन किया कि मृतका के बारे में गलती से जहर पिए जाने का कथन किया गया है । इस प्रकार पूर्वोक्त साक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करने पर न तो यह आत्महत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरण का मामला है और न यह दहेज की मांग का मामला है जिसके परिणामस्वरूप अभिकथित क्रूरता बरती गई है, क्या इसमें षड्यंत्र

की बात कही जा सकती है । विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अभिलेख से प्रकट हैं । इस प्रकार मामले में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । इसलिए, अपील गुणागुण रहित है । तदनुसार इसे खारिज किया जाता है । (पैरा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 244.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री रमेश ठाकुर और जे. एस. राना, सहायक महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी (सं. 1 से 4) की ओर से	श्री विवेक ठाकुर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (सं. 6) की ओर से	श्री दिनेश ठाकुर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से	कोई नहीं

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – प्रत्यर्थियों को आरोप-पत्रित करके उनका विचारण किया गया तथा उन्हें दंड संहिता की धारा 498-क, 306, 201 और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया, इस प्रकार, राज्य ने व्यथित होकर वर्तमान अपील फाइल की है ।

2. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

3. अजुध्या देवी पत्नी श्री रामरखा की इस अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, इस प्रकार अपील का उसके विरुद्ध उपशमन किया गया था ।

4. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि परिवादी/शिकायतकर्ता अजुध्या देवी (अभि. सा. 1) मृतका सुलोचना **उर्फ** सुरेखा की माता है जिसका प्रत्यर्थी प्यारे लाल के साथ तारीख 21 अप्रैल, 1995 को विवाह हुआ था ।

(ii) प्रत्यर्थी रामरखा और अजुध्या देवी (मृतका) प्रत्यर्थी प्यारे लाल के माता-पिता हैं जबकि प्रत्यर्थी जमुना देवी और मीरा देवी प्रत्यर्थी प्यारे लाल के भाइयों की पत्नियां हैं । छठा प्रत्यर्थी रमेश चन्द अन्य प्रत्यर्थियों का कुटुंब का मित्र है ।

(iii) अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 30 मार्च, 1996 को मृतका ने जहर पिया था और तारीख 30 मार्च, 1996 को 5.15 बजे अपराह्न अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । श्री जगदीश चंद (अभि. सा. 20) अपर भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना सदर, विलासपुर अस्पताल गया था और मृत्यु समीक्षा कागजात तैयार करके शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया था । तारीख 31 मार्च, 1996 को शव परीक्षा की गई थी ।

(iv) विसरा फारेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । रिपोर्ट के अनुसार इसमें अल्मोनियम फास्फेट और कीटनाशक की अंतर्वस्तु पाई गई थी । रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/ख है । तारीख 1 अप्रैल, 1996 को शव का दाह संस्कार कर दिया गया था । जब तक मृतका का दाह संस्कार नहीं कर दिया गया तब तक प्रत्यर्थी जिसमें इसके पश्चात् अभियुक्त-व्यक्ति कहा गया है, के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई थी ।

(v) सहायक उप-निरीक्षक, रविन्द्र कुमार (अभि. सा. 17) तारीख 2 अप्रैल, 1996 को मृतका के माता-पिता के गांव गया ताकि मृतका की मृत्यु की जांच हो सके और मृतका की माता अजुध्या देवी (अभि. सा. 1) का कथन अभिलिखित किया जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क में तब्दील कर दिया गया । पूर्वोक्त शिकायतकर्ता ने अपने कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में यह अभिकथन किया है कि अभियुक्त प्यारे लाल के साथ मृतका के विवाह के तत्काल पश्चात् उसे वैवाहिक गृह में परेशान किया जा रहा था तथा उससे दुर्व्यवहार किया जा रहा था जब कभी वह उसके पास आती है उसे इस बारे में बताती थी । उसने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था परंतु उसका पति उसे लेने के लिए वापस नहीं आया । तारीख 11 फरवरी, 1996 को मृतका ने बच्ची को जन्म दिया था जिसकी मार्च 1996 में मृत्यु हो गई । वे उसे बुलाने के लिए नहीं आए । इस तथ्य से यह पता चलता है कि मृतका के पिता अभियुक्त-व्यक्तियों के पास गए थे और मृतका को उसके पिता के साथ नहीं भेजा गया था परंतु बाद में मृतका तथा अभियुक्त पति उनके पास आए थे । उसने यह भी अभिकथन किया है कि उसकी अभियुक्त ननद उसको प्रताड़ित किया करती है । उसने अपने कथन में यह भी अधिकथित किया है कि अभियुक्त प्यारे लाल के भाई की पत्नी मीरा देवी के साथ अवैध संबंध थे । जब उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं तब पत्रों द्वारा धमकियां दीं कि वह सेना में नौकरी करता था और अब हाल में अभियुक्त-व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि वह उनके लायक नहीं रही थी । ऐसे पीड़ादायक कार्यों से उसने अपने

जीवन को समाप्त कर लिया था ।

(vi) इन अभिकथनों पर अन्वेषण किया गया था । अन्वेषण के दौरान मृतका की माता ने पत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 19/क और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ग पेश किए थे । अभियुक्त-व्यक्तियों के मकान की भी तलाशी ली गई थी परंतु अपराध में फंसाने वाली कोई वस्तु बरामद नहीं हो पाई थी ।

(vii) तारीख 4 अप्रैल, 1996 को सीमा देवी (अभि. सा. 4) ने अंतर्देशीय पत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ख पेश किया था जिसे जगदीश चन्द (अभि. सा. 20) द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 20/ख के माध्यम से कब्जे में लिया था । तारीख 6 अप्रैल, 1996 को उसने ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/क के माध्यम से अभियुक्त प्यारे लाल से पत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क भी कब्जे में लिया । नानक चंद (अभि. सा. 2) ने तारीख 27 जून, 1995 का पत्र भी पेश किया था जिसे तारीख 8 अप्रैल, 1996 को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क के माध्यम से कब्जे में लिया गया था ।

5. अभियुक्त-व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । उनके लिखाई के नमूने भी लिए गए थे । सुखराम और पारस राम के कथन जो अभियोजन साक्षी हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किए गए थे । यह अभिकथन किया गया है कि मृतका के अभिकथित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क अभियुक्त प्यारे लाल द्वारा लिखा गया था जिसमें उसने अपने पक्ष के सह-अभियुक्त के साथ षड्यंत्र किया था, इस प्रकार प्रश्नगत दस्तावेज सरकारी परीक्षक को भेजे गए थे और यह रिपोर्ट दी गई थी कि इसे अभियुक्त द्वारा लिखा गया था जिस पर मृतका के हस्ताक्षर कराए गए । इस प्रकार मामले के अन्वेषण के पश्चात् दंड संहिता की धारा 498-क, 306 और 201 के साथ पठित धारा 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय में चालान पेश किया गया था ।

6. तदनुसार अभियुक्त-व्यक्तियों को पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप-पत्रित किया गया था जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा की । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त-व्यक्तियों की भी परीक्षा की गई । उनके समक्ष उपस्थित परिस्थितियों को रखा गया । उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों से

इनकार किया । प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया । तथापि, विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण मामले पर विचार करके अभियोजन साक्ष्य पर अविश्वास किया है और तद्नुसार, अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया ।

8. हमने अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य की पुनः परीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन किया है । अभियोजन पक्ष ने शिकायतकर्ता अजुध्या देवी (अभि. सा. 1), उसके पति नानक चंद (अभि. सा. 2), मीरन (अभि. सा. 3) पत्नी रामस्वरूप, सीमा देवी (अभि. सा. 4) और प्रेम चंद (अभि. सा. 7) के कथनों का अत्यधिक अवलंब लिया है ।

9. जैसाकि पहले ही ऊपर कथन किया गया जब तक कि मृतका का दाह संस्कार न कर दिया गया तब तक शिकायतकर्ता पक्षकार द्वारा अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई थी । ऐसा केवल तब हुआ था जब सहायक उप-निरीक्षक रवीन्द्र कुमार (अभि. सा. 17) मृतका के पैतृक गृह पर गया था जहां मृतका की माता का कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया गया था । यह सुसंगत है कि मृतका मानसिक रूप से बीमार भी थी और उसे उपचार के लिए अमृतसर के मानसिक अस्पताल में भर्ती भी किया गया था जहां उसे बिजली के झटके दिए गए परंतु कोई परिणाम नहीं निकला । उसका "तांत्रिक" से भी उपचार कराया गया जैसाकि उसके द्वारा कथन किया गया है । शिकायतकर्ता की प्रारंभिक रिपोर्ट/कथन में उसने कहीं भी दहेज की मांग का अभिकथन नहीं किया या उसे अपर्याप्त दहेज लाने के लिए परेशान किया गया जैसाकि अभि. सा. 1 ने कथन किया है कि जब मृतका उसके घर पर आई तो उसने उसे यह बताया कि अभियुक्त मीरा देवी ने उसके सिर पर "सिंदूर" फेंक कर "जादू-टोना" किया था और उसे परेशान किया जा रहा था । उसने यह भी कथन किया है कि विवाह के 5 माह पश्चात् मृतका को मानसिक अस्पताल, अमृतसर ले जाया गया था परंतु उसका उपचार नहीं हो सका तत्पश्चात् कुछ समय के पश्चात् उसी तरह के अस्पताल पर उसे ले जाया गया था परंतु अंततः घुमारविन पर "छेला" द्वारा उसका उपचार किया गया था और तब वह सामान्य हो गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि नवजात शिशु की मृत्यु के 3 दिन पश्चात् मृतका को अभियुक्त प्यारे लाल द्वारा उसके पैतृक गृह छोड़ा गया था किंतु उस समय उसने उसे कोई बात नहीं बताई । उसने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त प्यारे लाल ने अपनी यह इच्छा अभिव्यक्त की कि वह मृतका

को अपने साथ ले जाना चाहता है जहां वह तैनात था और उसने उसके लिए किराए का मकान ले रखा था । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त मीरा देवी ने कम दहेज लाने के लांछन लगाए थे और उसके अतिरिक्त मृतका सुंदर नहीं थी परंतु इन तथ्यों का प्रारंभिक रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क में उल्लेख नहीं किया गया है ।

10. यद्यपि उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मृतका मानसिक बीमारी से ग्रसित थी और उसका अमृतसर में उपचार किया जा रहा था परंतु उसने मीरा देवी (अभियुक्त) द्वारा "जादू-टोना" करने के बारे में कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क कथन से विरोध व्यक्त किया । इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है और उसने प्रारंभिक कथन का कोई अकाट्य स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बहन शकुंतला देवी मानसिक तनाव से भी ग्रसित थी ।

11. न्यायालय के समक्ष अपने सम्पूर्ण कथन में उसने कोई ऐसा अभिकथन नहीं किया है कि अभियुक्त प्यारे लाल के अभियुक्त मीरा देवी से अवैध संबंध थे । इस प्रकार उसके प्रारंभिक कथन में तथा न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कथनों में भी तात्विक विभेद हैं । उसके कथनों में तात्विक विसंगतियां और सुधार हैं । यह प्रतीत होता है कि वे वैरभाव से किए गए हैं ।

12. इसके अतिरिक्त, मृतका के पिता नानक चंद (अभि. सा. 2) का कथन भी प्रतिकूल प्रतीत होता है । उसने यह स्पष्टीकरण दिया है कि मृतका ने अस्पताल में स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था परंतु अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा नवजात बच्ची के मृत्यु के 8 दिन पश्चात् उसकी हत्या कर दी गई थी । उसकी पुत्री की भी मृत्यु की गई थी । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त रमेश चन्द ने मृतका का मृत्युकालिक कथन नकली बताया परंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में सुसंगत रूप से यह कथन किया है कि इसकी पुत्री ने कभी भी दुर्व्यवहार/प्रताड़ना आदि के बारे में निजी तौर पर उसे कभी कुछ नहीं बताया और यह भी स्वीकार किया गया है कि मृतका के विवाह के तीन माह पश्चात् उसे उपचार के लिए अमृतसर ले जाया गया क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार थी । उसका "छेला" से भी उपचार कराया गया था । उसकी मुख्य शिकायत अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध थी कि उन्होंने उसकी पुत्री पर "जादू-टोना" किया था जिसके परिणामस्वरूप उसको मानसिक रूप से तनाव हो गया था । उसने यह भी कथन किया है कि इसकी पुत्री को जिला अस्पताल, विलासपुर भेजा गया

था । इस मामले में भी रामस्वरूप की पत्नी मीरन (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि "जादू-टोना" के कारण मृतका मानसिक रूप से बीमार हो गई थी । वह अभियुक्त प्यारे लाल से मृतका का विवाह करवाने में एक मध्यस्थ थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि "छेला" से उपचार दिसंबर, 1995 तक लगातार करवाया गया था । उसने यह भी कथन किया है कि मृतका के जीवन पर्यन्त उसने अभियुक्त प्यारे लाल के अभियुक्त मीरा के साथ अवैध संबंधों के बारे में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया था और उसके द्वारा ऐसा कथन न्यायालय के समक्ष प्रथम बार किया गया है ।

13. सीमा देवी (अभि. सा. 4) मृतका की सहपाठी है । उसने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अभियुक्त-व्यक्तियों ने मृतका को परेशान किया और पत्र प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/ख में कहीं भी अपराध में फंसाने के लिए कुछ भी नहीं था । पारस राम (अभि. सा. 8) मृतका का पड़ोसी है । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि मृतका ने उसकी मौजूदगी में कथन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क) किया था जिसे अभियुक्त रमेश चंद द्वारा लिखा गया था और जिसे मृतका के समक्ष पढ़ा गया और उसका स्पष्टीकरण दिया गया । उसकी सत्यता को स्वीकार करने के पश्चात् मृतका ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे । प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/क के परिशीलन करने से यह प्रकट हुआ है कि मृतका की अभियुक्त के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है और मृतका ने गलती से सल्फास की गोलियां खा ली थीं ।

14. प्रेम चंद (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि वह मृतका के विवाह के पश्चात् प्रथम बार अमृतसर में उसे मिला था जहां मानसिक अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था ।

15. पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा करने पर हम अभियोजन साक्ष्य को तर्कसंगत और विश्वसनीय नहीं पाते हैं क्योंकि सामग्री में सुधार किया गया है और विभेदकारी हैं और न अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा कोई दहेज की मांग किया जाना सिद्ध किया गया है । अभिकथित मृत्युकालिक कथन जो अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा लिए गए थे उन्हें अभियुक्त-व्यक्तियों के षड्यंत्र का परिणाम होना साबित नहीं किया गया है । पारस राम (अभि. सा. 8) का कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष भी अभिलिखित किया गया जिसमें उसने यह कथन किया कि मृतका के बारे में गलती से जहर पिए जाने का कथन किया गया है । इस प्रकार पूर्वोक्त साक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करने पर न तो यह आत्महत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरण का

मामला है और न यह दहेज की मांग का मामला है जिसके परिणामस्वरूप अभिकथित क्रूरता बरती गई है, क्या इसमें षड्यंत्र की बात कही जा सकती है । विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अभिलेख से प्रकट हैं । इस प्रकार मामले में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । इसलिए, अपील गुणागुण रहित है । तदनुसार इसे खारिज किया जाता है ।

16. अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान पेश किए गए जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

संसद् के अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 43)

[13 सितम्बर, 2005]

ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं –** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है ;

(ख) "बालक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है ;

(ग) "प्रतिकर आदेश" से, धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(घ) "अभिरक्षा आदेश" से धारा 21 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(ङ) "घरेलू घटना रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, विहित प्ररूप में तयार की गई हो ;

(च) "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं ;

(छ) "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है ;

(ज) "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ;

(झ) "मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(ञ) "चिकित्सीय सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए ;

(ट) "धनीय अनुतोष" से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की ईप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान, किसी प्रक्रम पर, व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए, प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा ;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "संरक्षण अधिकारी" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ण) "संरक्षण आदेश" से धारा 18 के निबंधनों के अनुसार किया गया कोई आदेश, अभिप्रेत है ;

(त) "निवास आदेश" से धारा 19 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(थ) "प्रत्यर्थी" से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है :

परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी ;

(द) "सेवा प्रदाता" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है ;

(ध) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ततः स्वामित्व या किरायेदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किरायेदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ;

(न) "आश्रय गृह" से ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आश्रय गृह के रूप में, अधिसूचित किया जाए ।

अध्याय 2

घरेलू हिंसा

3. **घरेलू हिंसा की परिभाषा –** इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, –

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है ; या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता ; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है ; या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ।

स्पष्टीकरण 1 – इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(त्) "शारीरिक दुरुपयोग" से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है;

(त्त्) "लैंगिक दुरुपयोग" से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार

करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है ;

(त्त्) "मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, –

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप से संतान या नर बालक के न होने के संबंध में अपमान या उपहास; और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमिकयां देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है ;

(त्थ्) "आर्थिक दुरुपयोग" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :–

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना ;

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और उसके सदृश या अन्य संपत्ति का, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्यसंक्रामण ; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन ।

स्पष्टीकरण 2 – यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन "घरेलू हिंसाऊ का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा ।

अध्याय 3

संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और कर्तव्य

4. **संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन –** (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा ।

5. **पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य –** कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो वह, व्यथित व्यक्ति को द्ध

(क) इस अधिनियम के अधीन, किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की ;

(ख) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की ;

(ग) संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की ;

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की ;

(ङ) जहां कहीं सुसंगत हो, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की,

जानकारी देगा :

परन्तु इस अधिनियम की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए, अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है ।

6. **आश्रय गृहों के कर्तव्य –** यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय उपलब्ध करने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा ।

7. **चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य –** यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो चिकित्सीय सुविधा को ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा ।

8. **संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति –** (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) ऐसे संरक्षण अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

9. **संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य –** (1) संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –

(क) किसी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के अधीन उसके

कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना ;

(ख) किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और उस पुलिस थाने के, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, भारसाधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को, उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना ;

(ग) किसी मजिस्ट्रेट को, यदि व्यथित व्यक्ति, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए, अनुतोष का दावा करने की वांछा करता हो, तो ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, आवेदन करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उस विहित प्ररूप को, जिसमें शिकायत की जानी है, मुफ्त उपलब्ध कराना ;

(ङ) मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं की, जो विधिक सहायता या परामर्श आश्रय गृह और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, एक सूची बनाए रखना ;

(च) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में, जहां वह आश्रय गृह अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना ;

(छ) व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, और उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष के लिए आदेश का, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है ;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, पालन करना ।

(2) संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और वह, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

10. **सेवा प्रदाता –** (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा, महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी ।

(2) किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(क) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्ररूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति, उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना ;

(ख) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा हुई है, चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को, यदि वह ऐसी वांछा करे तो, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया गया है और व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट, उस पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है, अग्रेषित करना ।

(3) इस अधिनियम के अधीन, घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के,

जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्यित है, विरुद्ध नहीं होगी ।

11. **सरकार के कर्तव्य –** केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि –

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर, लोक मीडिया के माध्यम से जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाता है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवाद्यकों पर समय-समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) घरेलू हिंसा के विवाद्यकों को संबोधित करने के लिए विधि, गृह कार्यों जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी है, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के परिदान से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अंतर्गत न्यायालयों को तैयार करना और किसी स्थान पर स्थापित करना भी है ।

अध्याय 4

अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

12. **मजिस्ट्रेट को आवेदन –** (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है :

परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं या यथासंभव उसके निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा ।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक नहीं होगी ।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा ।

13. **सूचना की तामील –** (1) धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी जो प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर, ऐसे साधनों द्वारा जो विहित किए जाएं, उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम दो दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्तियुक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तामील करवाएगा ।

(2) संरक्षण अधिकारी द्वारा की गई सूचना की तामील की घोषणा, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए इस बात का सबूत होगी कि ऐसी सूचना की तामील प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य

व्यक्ति पर कर दी गई है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ।

14. **परामर्श** – (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को, अकेले या संयुक्ततः सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से, जो परामर्श में ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता है, जो विहित की जाएं, परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया है, वहां वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख, दो मास से अनधिक अवधि के भीतर नियत करेगा ।

15. **कल्याण विशेषज्ञ की सहायता –** इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति की, अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेगा ।

16. **कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना –** यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो वह इस अधिनियम के अधीन, कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित कर सकेगा ।

17. **साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार –** (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं ।

(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय, कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा ।

18. **संरक्षण आदेश –** मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसका प्रथमदृष्ट्या समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा तथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध कर सकेगा, द्ध

(क) घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना ;

(ख) घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण करना ;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या यदि व्यथित व्यक्ति बालक है, तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां व्यथित व्यक्ति बार-बार आता जाता है, प्रवेश करना ;

(घ) व्यथित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी रूप में हो, इसके अंतर्गत वैयक्तिक, मौखिक या लिखित या इलैक्ट्रोनिक या दूरभाषीय संपर्क भी है ;

(ङ) किन्हीं आस्तियों का अन्यसंक्रामण करना; उन बैंक लाकरों या बैंक खातों का प्रचालन करना जिनका दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग या धारण या उपयोग, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्ततः या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उसका स्त्रीधन या अन्य कोई संपत्ति भी है, जो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्ततः या उनके द्वारा पृथक्तः धारित की हुई है ;

(च) आश्रितों, अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है, के साथ हिंसा कारित करना ;

(छ) ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

19. **निवास आदेश –** (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा :द्ध

(क) प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से, किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं ;

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना ;

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के

किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना ;

(घ) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंक्रांत करने या व्ययनित करने या उसे विल्लंगमित करने से अवरुद्ध करना ;

(ङ) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना ; या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करे, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना ;

परन्तु यह कि खंड (ख) के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति के, जो महिला है, विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे ।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किए जाने का निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से, एक बंधपत्र, प्रतिभूओं सहित या उनके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए, निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के उन्मोचन से संबंधित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर

अधिरोपित कर सकेगा ।

(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है, निदेश कर सकेगा ।

(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा ।

20. **धनीय अनुतोष –** (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु वह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगा द्ध

(क) उपार्जनों की हानि ;

(ख) चिकित्सीय व्ययों ;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि ; और

(घ) व्यथित व्यक्ति के साथ-साथ उसकी संतान, यदि कोई हों, के लिए भरण-पोषण, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है ।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष, पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवनस्तर से, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है, संगत होगा ।

(3) मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृत्ति और परिस्थितियां, अपेक्षा करें, भरण-पोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी ।

(4) मजिस्ट्रेट, आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी

निवास करता है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा ।

(5) प्रत्यर्थी, उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश के निबंधनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर, मजिस्ट्रेट, प्रत्यर्थी के नियोजक या ऋणी को, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भूत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा ।

21. **अभिरक्षा आदेश –** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट संतान या संतानों के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इनकार करेगा ।

22. **प्रतिकर आदेश –** अन्य अनुतोष के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाएं, मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रत्यर्थी को क्षतियों के लिए, जिसके अंतर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित हैं, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आदेश पारित कर सकेगा ।

23. **अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति –** (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अंतरिम आदेश, जो न्यायसंगत और उपयुक्त हो, पारित कर सकेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा

है या उसने किया है, या यह संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है, तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, शपथपत्र के आधार पर, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22 के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकेगा ।

24. **न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना –** मजिस्ट्रेट, सभी मामलों में जहां उसने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है, वहां यह आदेश देगा कि ऐसे आदेश की एक प्रति निःशुल्क आवेदन के पक्षकारों को, उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के पास पहुंच की गई है और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित किसी सेवा प्रदाता को और यदि किसी सेवा प्रदाता ने किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत किया है तो उस सेवा प्रदाता को दी जाएगी ।

25. **आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन –** (1) धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा निर्मोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश, जो वह समुचित समझे, पारित कर सकेगा ।

26. **अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष –** (1) धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय या किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, मांगा जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष, किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ जिसकी व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही में वांछा करे, मांगा जा सकेगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया गया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा ।

27. **अधिकारिता –** (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर द्व

(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या

(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या

(ग) हेतुक उद्भूत होता है,

इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा ।

28. **प्रक्रिया –** (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन सभी कार्यवाहियां और धारा 31 के अधीन अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, धारा 12 के अधीन या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने से न्यायालय को निवारित नहीं करेगी ।

29. **अपील द्व** उस तारीख से, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की, यथास्थिति, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर जिस पर भी पश्चात्वर्ती हो, तामील की जाती है, तीस दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील हो सकेगी ।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

30. **संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक**

सेवक होना – संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्यित हो, तब यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं ।

31. **प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति –** (1) प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग, इस अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपराध का विचारण यथासाध्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना अभिकथित किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरोपों को विरचित करते समय, मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 498क, या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के अधीन आरोपों को भी विरचित कर सकेगा, यदि तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन उपबंधों के अधीन कोई अपराध हुआ है ।

32. **संज्ञान और सबूत –** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(2) व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर, न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है ।

33. **संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति –** यदि कोई संरक्षण अधिकारी, संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निदेशित अपने कर्तव्यों का, किसी पर्याप्त हेतुक के बिना, निर्वहन करने में असफल रहता है या इंकार करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित

किया जाएगा ।

34. **संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान –** संरक्षण अधिकारी के विरुद्व कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाता है ।

35. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण –** इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

36. **अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना –** इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में ।

37. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति –** (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(क) वे अर्हताएं और अनुभव, जो धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी संरक्षण अधिकारी के पास होंगे ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संरक्षण अधिकारियों और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई घरेलू घटना रिपोर्ट बनाई जा सकेगी ;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को कोई आवेदन किया जा सकेगा ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई परिवाद फाइल किया जाएगा ;

(च) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कर्तव्य ;

(छ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के नियम ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुतोषों की वांछा करने के लिए धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया जा सकेगा और वे विशिष्टियां जो उस धारा की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आवेदन में अंतर्विष्ट होंगी ;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचनाओं की तामील करने के उपाय ;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना की तामील की घोषणा का प्ररूप ;

(ट) परामर्श देने के लिए अर्हताएं और अनुभव जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के पास होंगे ;

(ठ) वह प्ररूप, जिसमें कोई शपथपत्र, धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकेगा ;

(ड) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।